इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखक के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादक-मंडल

संपादक

सी. आर. गोपालसुंदरम
प्राचार्य और मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

एन. पी. सिन्हा
मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. सी. चौधरी
सचिव, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

प्रेम सेठी
महा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

पी. डी. लखनपाल
मुख्य (राजभाषा), पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली

श्री बसुनायक द्विवेदी
मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, मुंबई

श्री के. के. गुप्ता
उप महा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

डॉ. श्रीनिवास द्विवेदी
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. राजेश्वर गंगवार
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

वि. अ. कर्णिक
उप प्राचार्य और महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

जसबीर सिंह
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य-सचिव

आशा वशिष्ठ
सहायक महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग
दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028.

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषयसूची

पृष्ठ सं.

संपादकीय 1

अनुचिंतन 3

लेख

- **भारत का नियति के साथ करार ? – डॉ. विमल जालान** 4
- **बैंकों का बीमा क्षेत्र में प्रवेश – श्री अर्णव राय** 8
- **गुणवत्ता परक एवं संबंध परक ग्राहक सेवा, बैंकिंग की बुनियाद है – श्री एन. एस. मिश्रा** 13
- **रिज़र्व बैंक की वेबसाइट भी अब हिंदी में – श्री आर. डी. धुर्वे** 15
- **आस्ति-देयता प्रबंधन – सर्वश्री अरुण कुमार त्रिवेदी और अशोक कुमार सेठी** 17
- **द्विभाषिक सॉफ्टवेयर : प्रयोग-अनुप्रयोग – डॉ. अमरसिंह वधान** 20
- **कुशल प्रबंधन में मानवीय संबंध – श्री सच्चिदानंद त्रिपाठी** 22
- **अगले दशक में भारतीय बैंकिंग का स्वरूप – श्री सर्वज्ञशेखर गुप्त** 24
- **बैंकों की लाभप्रदता एवं उनका सामाजिक दायित्व – श्री राजेन्द्र सिंह** 29

बैंकिंग परिदृश्य 35

- **कंप्यूटर परिभाषा कोश** 39
- **फेमा के अन्तर्गत विदेश यात्रा** 43
- **मुद्रा प्रबंधन** 45
- **2000 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां** 49

महत्वपूर्ण परिपत्र 54

लेखकों से 64

मूल्य : रु. 15/- वार्षिक शुल्क : रु. 60.00

शुल्क भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम मुंबई में देय माइकर ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित किया जाये।

संपादक, मुद्रक और प्रकाशक श्री सी. आर. गोपालसुंदरम, बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028 द्वारा प्रकाशित तथा मौज प्रिंटिंग ब्यूरो, मुंबई - 400 004 में मुद्रित।

संपादकीय

मैंने सोचा कि क्यों न इस अंक में मैं पाठकों को बैंक पर्यवेक्षण पर बासले समिति द्वारा 16 जनवरी 2001 को उद्घाटित नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के द्वितीय मार्गदर्शी पैकेज की एक झलक प्रदान करूँ जिसे नयी बासले पूंजी अभिसन्धि के रूप में जाना जाता है। पूरे विश्व में 1997 और 1998 में वित्तीय बाज़ारों में हुए भारी उथलपुथल से कई राष्ट्रों की बैंकिंग प्रणालियाँ किसी न किसी रूप में प्रभावित हुईं और बैंक पर्यवेक्षकों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को विश्वास और वित्तीय स्थिरता बनाये रखने के लिए काफी प्रयास करने पड़े। इस उथलपुथल के परिणामस्वरूप निरंतर परिवर्तनशील बाज़ार प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए नयी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की खोज की गयी और बाज़ारों की स्थिरता तथा बाज़ार सहभागियों की सुरक्षा एवं सुदृढ़ता को सुनिश्चित करनेवाले समाधान ढूंढ़ने के प्रयास किये गये। वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनायी गयी प्रणालियों में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा गठित बैंक पर्यवेक्षण पर बासले समिति ने कार्य किया।

इस सलाहकारी पैकेज का उद्घाटन करते समय बासले समिति के अध्यक्ष और फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयार्क के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विलियम जे. मैक डोनॉफ ने कहा कि इस नये ढांचे का उद्देश्य है विनियामक पूंजी आवश्यकताओं का निहित जोखिमों के साथ तादात्म्य स्थापित करना और बैंकों तथा पर्यवेक्षकों को पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराना।

एक बार अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद यह नयी अभिसन्धि मौजूदा 1988 की अभिसन्धि का स्थान ले लेगी। निःसंदेह, 1988 की अभिसन्धि बैंकिंग पर्यवेक्षण के इतिहास में मील का पत्थर है क्योंकि इससे पर्यवेक्षक पहली बार बैंक की पूंजी पर्याप्तता आंकने के लिए समान मापदंड का प्रयोग कर सके। जोखिम आधारित पूंजी अनुपातों के विकास के कारण इस अभिसन्धि को अपनानेवाले 100 से भी अधिक देशों को पूंजी मानकों को मज़बूत करने में सहायता मिली। तथापि 1988 की अभिसन्धि में एकल जोखिम मापन, अर्थात् ऋण जोखिम पर ध्यान केंद्रित किया गया, सभी संस्थाओं और भौगोलिक स्थानों पर मापन के प्रयोग में समानता को सभी के लिए एकसमान निर्धारण के रूप में परिभाषित किया गया जिसके कारण वित्तीय संस्थाओं की अंतर्निहित शक्तियों और कमजोरियों में अन्तर करने में सफलता नहीं मिली तथा जोखिम वृध्दि के प्रति असंवेदनशील स्थूल ढांचे का अनुसरण किया गया। इस दृष्टिकोण के कारण अनिवार्य रूप से पूंजी की समनुरूप राशि रखे बिना ही उच्चतर जोखिम उठाने को प्रोत्साहन मिला।

नये प्रस्तावों में इन मामलों पर संक्षेप में विचार किया गया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जैसे-जैसे वित्तीय प्रणाली संश्लिष्ट और गतिशील होगी वैसे-वैसे उसकी सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए प्रभावी बैंक-स्तरीय प्रबंधन, बाज़ार अनुशासन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। प्रस्तावों में निम्नानुसार त्रि-स्तंभीय ढांचा शामिल है :

- प्रथम स्तंभ : न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं
- द्वितीय स्तंभ : पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया
- तृतीय स्तंभ : बाज़ार अनुशासन

ये तीनों स्तंभ एक दूसरे के पूरक हैं और ये मिलकर वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता को बढ़ाते हैं।

प्रथम स्तंभ पर ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के संबंध में न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। ढांचे में किये जानेवाले संशोधन से समूचे बैंकिंग समूह के लिए समेकित आधार पर इस आवश्यकता का निर्धारण किया जा सकेगा। एक ओर जहां बाज़ार जोखिम के लिए मापन प्रणाली अपरिवर्तित रखी गयी है वहीं दूसरी ओर परिचालनात्मक जोखिम के लिए पहली बार उसका निर्धारण किया जा रहा है। ऋण जोखिम के मापन के संबंध में यह दो विकल्प प्रदान करता है, अर्थात् मानकीकृत दृष्टिकोण और आंतरिक दर्जा निर्धारण पर आधारित दृष्टिकोण। मानकीकृत दृष्टिकोण संकल्पनात्मक रूप से 1988 की अभिसन्धि के दृष्टिकोण जैसा है परंतु जोखिम के प्रति वह

अधिक संवेदनशील है क्योंकि नये दृष्टिकोण में जोखिम भारितों को बाह्य ऋण मूल्यांकन निकाय द्वारा दिये गये दर्जा निर्धारण के संदर्भ में परिष्कृत किया गया है। आंतरिक दर्जा निर्धारण पर आधारित दृष्टिकोण तीन चरणोंवाले दृष्टिकोण का अनुसरण करता है; पहले चरण में प्रत्येक ऋण या जोखिम को आंतरिक ग्रेड प्रदान किया जाता है; दूसरे चरण में हानि की तीव्रता का मूल्यांकन करके उसे बकाया ऋण, जिसे हानि के कारण बकाया के रूप में जाना जाता है, के रूप में निर्धारित करने पर विचार किया जाता है और तीसरे चरण में, बैंक की पूंजी आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है।

संबंधित लचीलेपन से बैंकों को जोखिम मापन का मूल्यांकन करने की अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में निरंतर रूप से सुधार लाने, जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील विकल्पों का प्रयोग करने और इस तरह से अधिक यथार्थ पूंजी आवश्यकताएं पेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह स्पष्ट है कि दूसरा दृष्टिकोण पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन है। नये ढांचे से जो दूसरा सुधार हुआ वह है संपार्श्विक, गारंटी और क्रेडिट डेरिवेटिव तथा प्रतिभूतिकरण जैसे ऋण कम करनेवाले तकनीकों के प्रभाव को दी गयी मान्यता जिससे वह जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील बन गया है।

ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार इन प्रस्तावों में दूसरे महत्वपूर्ण जोखिम अर्थात् परिचालनात्मक जोखिम को कवर करने और उसके लिए अलग से पूंजी प्रभार उपलब्ध करने की आवश्यकता पर भी विचार किया गया है। इससे इस क्षेत्र में जोखिम मापन क्षमताओं का विकास होगा। यद्यपि परिचालनात्मक जोखिम का कार्य विकास के पथ पर है तथापि समिति ने बढ़ते परिष्करण के तीन दृष्टिकोणों अर्थात् मूलभूत निर्देशक दृष्टिकोण, मानकीकृत दृष्टिकोण और आंतरिक मापन दृष्टिकोण की पहचान की है। आंतरिक मापन दृष्टिकोण के लिए बैंको को चाहिए कि वे अपनी पिछली आंतरिक हानि के आंकड़ों का आलेखन करें और जोखिम का अनुमान लगाने में उसका प्रयोग करें।

दूसरे स्तंभ अर्थात् पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक में अपने जोखिमों के गहन मूल्यांकन के आधार पर पूंजी पर्याप्तता तय करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया है। इस स्तंभ के कार्यान्वयन का प्रभाव पर्यवेक्षकों पर पड़ेगा जिन्हें बैंक के जोखिम अभिनिर्धारण और प्रबंधन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ साधन बनाने होंगे। इसके द्वारा जिस मूलभूत प्रश्न का समाधान किया जायेगा वह है : बैंक की गतिविधियों में जोखिम कहां है? उसका समाधान वे कैसे करते हैं?

अक्सर बाज़ार अनुशासन का उल्लेख वित्तीय अस्थिरता के विरुध्द दूसरे रक्षोपाय के रूप में किया जाता है। तथापि, सार्वजनिक रूप से जानकारी के अर्थपूर्ण प्रकटीकरण के बिना प्रभावी बाज़ार अनुशासन संभव नहीं है। वित्तीय स्थिरता के लिए विश्वास खोने से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु नहीं है और विश्वसनीय जानकारी के अभाव से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु जनता के विश्वास को खोखला नहीं कर सकती। इसी वजह से तीसरे स्तंभ से अधिक पारदर्शी रूप से जानकारी के प्रकटीकरण पर बल दिया गया है ताकि बाज़ार सहभागियों और अन्यों को तुलनपत्र के साथ ही उठाये गये जोखिम, जोखिम मूल्यांकन पध्दतियों और पूंजी आवश्यकताओं के मापन को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी। जिससे बाज़ार में लेनदेन करते समय वे सही निर्णय ले सकेंगे।

वर्ष 1988 की अभिसन्धि की तरह ही यद्यपि नये प्रस्तावों में मुख्यतया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, तथापि उनमें निहित सिध्दांत विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अलग-अलग प्रकार के बैंकों के लिए उपयुक्त होंगे। प्रस्तावित ढांचा लचीला और वित्तीय प्रणाली में होनेवाले परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तनीय होने के साथ ही उसकी सुरक्षा और सुदृढ़ता को बढ़ानेवाला है। इस ढांचे के अनुसार निर्धारित की गई पूंजी आवश्यकताएं सन्निहित जोखिमों के अनुरूप होंगी और बैंकों को अपना कारोबार कारगर ढंग से करने में सहायक होंगी।

यह दूसरा मार्गदर्शी प्रारूप पर्यवेक्षकों और अन्य संबंधितों द्वारा मई 2001 तक अपने अभिमत प्रस्तुत करने के अधीन है। अंतिम अभिसन्धि को वर्ष 2001 के अंत तक प्रकाशित करने और वर्ष 2004 में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

आपका

सी. आर. गोपालसुंदरम

अनुचिंतन

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका का प्रत्येक अंक ज्ञान के भंडार से युक्त है। बैंकिंग से संबंधित जानकारी एवं लेख के अंत में दी जानेवाली प्रयुक्त शब्दावली सरल एवं ज्ञानवर्धक होती है। ``हिन्दी के विकास में कम्प्यूटर का उपयोग'' लेख सराहनीय है। ``बैंक विलयन और अभिग्रहण इस दशक की अनिवार्यता'' लेख में दी गयी जानकारी उपयोगी है। इस पत्रिका के सभी लेख महत्वपूर्ण एवं नवीनतम जानकारी से युक्त होते हैं।

– ओमप्रकाश श्रीवास्तव
उप महा प्रबंधक, दि बनारस स्टेट बैंक लि.
बंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय, 657, पहली मंजिल
जयानगर, बंगलूर 560 011

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका का सितंबर 2000 का अंक प्राप्त हुआ। यह पत्रिका अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं सूचनापरक है। पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख पाठकों के लिए उपयोगी हैं। शब्दावली की सहायता से लेखों को समझने में आसानी हो जाती है। नि:संदेह, राजभाषा हिन्दी में बैंकिंग विषयों पर उच्चकोटि के लेख एवं आधिकारिक जानकारी प्रस्तुत करनेवाली यह अकेली पत्रिका है। इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए संपादक मंडल एवं आपकी टीम के प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए कम है।

– टी. वी. लक्ष्मीनारायणन
उप महा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा
अंचल कार्यालय (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)
पो.बा.सं. 363, विश्व शांति कॉम्प्लेक्स
देहली रोड, मेरठ 250 002

अत्यंत आश्चर्य एवं खेद के साथ मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि अभी तक मुझे एक भी अंक प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया मुझे अक्तूबर 1999 से प्रकाशित चार अंक शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें ताकि आपकी सम्माननीय पत्रिका से मिलने वाली आवश्यक जानकारी से मैं वंचित न रह जाऊं।

– हरीशकुमार
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
नजदीक छात्र संघ भवन
पो. यूनि. कैम्पस, कसया रोड
पैडलेगंज, गोरखपुर 273 009

मैं आपकी पत्रिका का नियमित पाठक हूं। ``बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'' हम बैंकरों के लिए समय से स्तरीय जानकारी उपलब्ध कराती है, विशेषकर भारतीय बैंकर संस्थान की नयी परीक्षा प्रणाली के संबंध में, क्योंकि भारतीय बैंकर संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए समसामयिक परिवर्तनों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक अच्छा बैंकर बनने के लिए हिन्दी भाषा में उपलब्ध इस पत्रिका के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता।

– निरंजनकुमार
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
शाखा-गम्भीरपुर
आजमगढ़-276 302 (उत्तर प्रदेश)

मैं आपके महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका ``बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'' का 1991 से नियमित पाठक हूं। 1996 के बाद कुछ विशेष परेशानियों के कारण तारतम्य टूट गया था। किन्तु अब मैं पुन: आपकी पत्रिका का ग्राहक बनना चाहता हूं तथा पिछले अंकों को भी प्राप्त करना चाहता हूं।

– के. के. मिश्रा
भारतीय स्टेट बैंक
चुनार शाखा
मिर्जापुर-231 304 (उत्तर प्रदेश)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) में अर्थशास्त्र विषय में एम.ए. के अंतिम वर्ष का छात्र हूं। मैंने ऐच्छिक विषय के रूप में `Indian Banking System' यह विषय लिया है। आपकी पत्रिका `बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के कुछ अंक पढ़े जो मुझे काफी अच्छे लगे। अत: मुझे वर्ष 1999-2000 के चार अंक भेजने की व्यवस्था करें।

– सिकंदर भोविया
द्वारा श्री कान्हा राम सहारण
3-ए-20, जवाहर नगर
श्रीगंगानगर 335 001 (राजस्थान)

अर्थशास्त्र और अन्य विषय लेकर मैं बी.ए. के तृतीय वर्ष में पढ़ रहा हूं। मुझे बैंकिंग से संबंधित चिंतन, जानकारियों एवं प्रशिक्षण में गहन रुचि है। आपकी पत्रिका `बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का अक्तूबर-दिसंबर 1998 का अंक पढ़ा जो बेहद रोचक है।

– यशवंत रमेशचन्द्र शर्मा
वन विभाग नर्सरी
सिंचाई विभाग के पास
मन्दसौर 458 001

हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए यह पत्रिका अत्यंत लाभदायक है। कृपया अपनी पत्रिका में सीएआइआइबी परीक्षा के लिए मार्गदर्शन करें एवं परीक्षोपयोगी सामग्री प्रकाशित करें।

– कु. पंकज मित्तल
भारतीय स्टेट बैंक
गोधरा (गुजरात)

भारत का नियति के साथ करार ? *

डॉ. विमल जालान
गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक

भारत की आर्थिक नीतियों की नयी दिशाओं के निहितार्थों पर देश में काफी बहस हो रही है। जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, नयी आर्थिक नीतियों के साध्यों और लक्ष्यों को लेकर कोई बड़ी असहमतियां नहीं हैं। सभी तो नहीं, लेकिन अधिकतर टीकाकार इस बात से सहमत प्रतीत होते हैं कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों के उपयोग और वृद्धि निष्पादकता की कुशलता में सुधार लाये जाने की ज़रूरत है। इस बात पर भी आम तौर पर सहमति है कि सरकार के राजकोषीय घाटों को कम किया जाना चाहिए, कि निर्यातों को बढ़ाया जाना चाहिए, और कि गरीबों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने के लिए और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। अलबत्ता, इस बात को लेकर विचारों में भारी मतभेद है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से उपकरण उपयोग में लाये जाने चाहिए और कि क्या मौजूदा नीतियां अर्थव्यवस्था में लम्बे अरसे के लिए वृद्धि दर को बढ़ाने में सफल हो पायेंगी। नयी नीतियों के कुछेक राजनैतिक और सामाजिक निहितार्थों पर भी चिंता व्यक्त की गयी है कि क्या ये देश को विदेशी बाहरी दबावों के सामने और कमज़ोर बनायेंगी और देश के घरेलू संसाधनों के विकास को क्षति पहुंचायेंगी। ये मामले महत्वपूर्ण हैं और इन पर इक्कीसवीं शताब्दी में भारत की आर्थिक नीति के निर्माण में पूरी तरह से विचार किये जाने की जरूरत है।

इन मामलों पर विचार करते हुए यह संभव नहीं है कि हमारे राज्य के उपकरण की प्रकृति और चरित्र पर ध्यान देने की जिम्मेदारी से और हमारे पिछले अनुभवों से नजरें चुरायी जायें। हम चहुं ओर फैले भ्रष्टाचार और `राजनीति के अपराधीकरण' पर हाय तौबा नहीं मचा सकते - यह एक ऐसा जुमला है जो एक ओर तो हाल ही के वर्षों में संसद में जोर शोर से गूंजता रहा है और दूसरी ओर राज्य के लिए और अधिक विवेकाधीन शक्तियों की मांग करता आ रहा है। इसे पूरा करने का मतलब एक तरह की `ज्ञात विसंगति' से हो कर गुजरना है। इस बात को भी याद रखने की जरूरत है कि वृद्धि बढ़ाने की अथवा गरीबी दूर करने की भारत की पिछली नीतियों के परिणाम बहुत अधिक असंतोषजनक थे और कुछ भी हो, वे अधिक खुली और प्रतिस्पर्धी अर्थ-व्यवस्था द्वारा दर्ज परिणामों से तो बदतर ही थे। जहां तक बाहरी दबावों का प्रश्न है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि लगातार भुगतान संतुलनों के संकटों से जूझने वाली सहायता पर निर्भर अर्थव्यवस्था (जैसा कि 1956 से 1991 के दौरान भारत में देखने को मिला) किसी भी ऐसे देश की तुलना में ज्यादा कमजोर है जो विदेशों से आर्थिक सहायता अथवा आपातकालीन सहायता पर निर्भर नहीं है।

सही दिशा में

मेरा यह मानना है कि पुरानी रणनीतियों के वास्तविक आर्थिक और गैर-आर्थिक परिणामों और विश्व अर्थव्यवस्था में जिस तरह के आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं, और भारत जिस तरह की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, उन्हें देखते हुए भारत को और अधिक खुला तथा और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की नीतियों की मौजूदा दिशा उचित है और इसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जब तक हम अपनी आर्थिक नीतियों में बड़ा परिवर्तन नहीं करते और वैश्विक व्यापार, विदेश तथा प्रौद्योगिकी की समसामयिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास नहीं करते, भारत के लिए यह संभव नहीं है कि वह सम्मानजनक स्थान पर रह सके और वृद्धि तथा विकास के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का दोहन कर सके।

सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका

मेरे विचार से और अधिक तथा गहरे आर्थिक सुधारों की तरफ निर्णायक प्रयास ही भविष्य के लिए पहली कूटनीतिज्ञपूर्ण प्राथमिकता होगी। अलबत्ता, आर्थिक सुधारों की जरूरत को यह समझ लेना बहुत बड़ी भूल होगी कि

* डॉ. विमल जालान, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यानमाला में दिये गये व्याख्यान का सार संक्षेप। `इंडियाज़ इकॉनामी इन द ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी-ए न्यू बिगिनिंग ऑर ए फॉल्स डॉन' शीर्षक का यह व्याख्यान नई दिल्ली में 15 जनवरी 2001 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित किया गया था।

इससे न्यायोचित विकास के लिए सकारात्मक परिवेश तैयार करने और अवसर बढ़ाने के लिए सरकार अथवा सार्वजनिक नीति की भूमिका कम हो जायेगी। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां बड़े पैमाने पर अशिक्षा है और आधारभूत ढांचा अविकसित है, वहां सरकार को अवश्य ही शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सिंचाई, आधारभूत ढांचे आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश के जरिए वृद्धि के लिए आवश्यक स्थितियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य भूमिका निभानी ही चाहिए। ये काम बाज़ार के भरोसे नहीं हो सकते। सफल आर्थिक सुधारों के परिणाम इस रूप में सरकारों की योग्यता बढ़ाने के लिए मिलने ही चाहिए कि वे उच्चतर वृद्धि, उच्चतर राजस्व और उच्चतर उत्पादकता पाने में सहायता करके जो कुछ करना चाहती हैं, उसे कर सकें। कई संक्रमण समयों के तथा उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के हाल ही के अनुभव इस ओर इशारा करते हैं कि आर्थिक सुधार जरूरी हैं लेकिन वृद्धि और विकास के लिए वे ही पर्याप्त स्थिति नहीं हैं।

एक बहु आयामी केंद्रीय मसला, जिसे आगे आने वाले वर्षों में निपटने की जरूरत होगी, जिसे हम अपने आर्थिक जीवन में बढ़ते हुए सार्वजनिक-निजी द्विभाजन के रूप में जान सकते हैं। हमारे आज के समय की यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि अब आर्थिक नवीकरण तथा सकारात्मक वृद्धि आवेग बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर-निजी निगमों के स्तर पर (उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर कम्पनियां), स्वायत्त संस्थानों में (उदाहरण के लिए आइआइएम या आइआइटी) अथवा भारत में तथा विदेशों में अपने व्यवसाय के शिखर पर बैठे व्यक्तियों द्वारा हो रहे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बहुत बड़े सरकारी क्षेत्र में न केवल उत्पादन, लाभ तथा सार्वजनिक बचतों के मामले में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है, (जिसके बारे में मैंने पहले बताया) बल्कि ये गिरावट शिक्षा, स्वास्थ्य, जल तथा परिवहन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में भी आ रही है। ये दो तत्व - राजकोषीय गिरावट तथा आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करा पाने में असमर्थता - आपस में नजदीकी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि हमारे अधिकांश सार्वजनिक संसाधन अब वेतनों के भुगतान अथवा पिछले कर्जों पर ब्याज अदा करने में ही खर्च हो जाते हैं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक अथवा सार्वजनिक समर्थन से चलने वाली सेवाओं के विस्तार के लिए संसाधन बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं बचते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में समस्या

स्वतंत्र प्रशासन के 50 वर्षों से अधिक के अनुभव के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम अभी भी खुद को संदेह का लाभ दे रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में हमारी समस्याएँ पहले से और अधिक असाध्य होती जा रही हैं। हम ऐसी कुछ समस्याएँ देखें जो अब हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को बिगाड़ रही हैं।

• हम इस बात को लेकर उचित ही गर्व का अनुभव कर सकते हैं कि हमारे देश में `कानून ही सर्वोपरि' का सिक्का चलता है और सबसे ताकतवर आदमी भी कानून से ऊपर नहीं है। न्यायिक प्रक्रियाओं में बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे विलम्ब के बावजूद `कानून ही सर्वोपरि' के लिए हर तरफ सम्मान बना हुआ है। अलबत्ता, यह भी एक सच्चाई है कि ऐतिहासिक कारणों से हमारी विधि प्रणाली तथाकथित `सरकारी नौकर' के निजी हितों को पूरा संरक्षण प्रदान करती है और अक्सर यह संरक्षण उस जनता की कीमत पर होता है जिसकी सेवा के लिए उसे रखा गया होता है। नौकरी की पूरी सुरक्षा के बावजूद, किसी भी सरकारी क्षेत्र के संस्थान - अस्पताल, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, बैंकों, बसों, डाकघरों, रेलवे, नगरपालिकाओं में सरकारी नौकरों का कोई भी वर्ग - अपने खुद के लिए और अधिक वेतन, पदोन्नति, बोनस की तलाश में हड़ताल पर जा सकता है। भले ही इससे उस जनता को (जिसके नाम पर ही उन्हें वहां भर्ती किया गया है) कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े या असुविधा का सामना न करना पड़े। समय बीतने के साथ-साथ समस्याएं बढ़ी ही हैं और सरकारी ड्यूटी निभाने में कोताही बरतने पर सरकारी कर्मचारी की या तो कोई जवाबदेही नहीं है और है भी तो बहुत कम।

• केन्द्र और राज्यों, दोनों में सरकारों का अपने निर्णय लागू करने का `अधिकार' समय के साथ-साथ क्षीण होता चला गया है। सरकारें आदेश पारित कर सकती हैं, जैसे अनधिकृत औद्योगिक इकाइयों को या दूसरे ढांचों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, लेकिन अगर ये काम कुछ लोगों के निजी हितों के खिलाफ जाते हैं (आम जनता के हितों की कीमत पर) तो इन्हें लागू करने में विलम्ब भी हो सकता है। इसी तरह सरकारें नुकसान या उत्पादन हानियों को कम करने के लिए लोक सुविधाओं का ढांचा बदल सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इन फैसलों को लागू

भी किया जाये अगर ये इन संगठनों में तैनात सरकारी कर्मचारियों के हितों के खिलाफ जाते हैं।

• सरकारें अलग-अलग स्तरों पर सामाजिक सेवाओं (जैसे साक्षरता बढ़ाना) के लिए योजनाएं तथा कार्यक्रम घोषित करती हैं लेकिन ये प्रयास राजकोषीय तंगहाली के कारण शुरू ही नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए 1994 में दसवें वित्त आयोग ने ऐसे चार राज्यों के लिए जहां गरीबी और अशिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा है, वहां सदी के अंत तक के लिए बुनियादी शिक्षा पर खर्च के लिए 2.5 प्रतिशत की दर पर वास्तविक रूप में वृद्धि करते हुए व्यय का अनुमान लगाया था। व्यय की यह प्रक्षेपित वृद्धि दर संबंधित आयु समूह में जनसंख्या वृद्धि दर से कम थी तथा प्रौढ़ शिक्षितों के नये कार्यक्रमों को कवर करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त थी। दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद अब पाचवें वर्ष में यह जानना रुचिकर होगा कि सरकारी अध्यापकों के वेतन को छोड़ दें तो बुनियादी शिक्षा पर इन चार राज्यों में व्यय वास्तव में ऋणात्मक रहा है।

• सरकारी तथा सार्वजनिक कारोबारी संगठनों में काम करने के लिए प्रक्रियाएं तथा क्रियाविधियां समय के साथ साथ बेकार होती चली गयी हैं। छोटे छोटे फैसले करने लिए भी एक से ज्यादा विभाग काम में लगे हुए हैं, उनमें दोहराव है और प्रशासनिक नियमों का यह आलम है कि वे आम तौर पर परिणामों के बजाय प्रक्रियाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। निर्णय लेने की शक्तियां, खासकर वित्तीय शक्तियों के दिये जाने में बहुत कम विकेन्द्रीकरण है। इस तरह से, हालांकि कुछेक राज्यों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं लेकिन उनके वित्तीय अधिकार सीमित हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य संबंधी व्ययों के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को राज्य सरकारों के बजट का औसत रूप से 15 प्रतिशत से कम धन अंतरित किया जाता है।

• सार्वजनिक कार्यालयों तथा स्थानीय संस्थाओं में अकुशल और कम प्रशिक्षित स्टाफ के जिम्मे कई सारे काम डाल दिये जाने और उत्तरदायित्व सौंप दिये जाने से कुशलता की किसी भी डिग्री के होते हुए सेवाएँ दे पाना लगभग असंभव हो जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा ही होता है। उदाहरण के लिए एक `बहु-उद्देशीय' महिला स्वास्थ्य कर्मचारी को अपनी सार्वजनिक ड्यूटी करते समय नियमित आधार पर सैंतालीस किस्म के काम करने पड़ते है।

भुक्त भोगी कौन?

इस राजकोषीय तंगहाली और सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के नाकाफी होने का सबसे अधिक असर किस पर पड़ता है? निश्चित रूप से प्रभुत्व संपन्न और ऐसे व्यक्ति जो जनता द्वारा उनकी सेवा के लिए चुने या नियुक्त किये जाते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते। वे हमेशा निजी अस्पतालों, निजी स्कूलों, उच्च शिक्षा के लिए स्वायत्त विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं में जा सकते हैं और इसी तरह की अपनी दूसरी जरूरतों के लिए उनके पास दूसरे विकल्प होते हैं। इनके सबसे अधिक असर गरीबों और बेरोजगारों तथा अनपढ़ लोगों पर पड़ते हैं, जो सार्वजनिक सेवाओं, सार्वजनिक निवेश तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों पर निर्भर करते हैं। इस नज़रिये को दिमाग में रखना फायदेमंद होगा क्योंकि यथास्थिति के पक्ष में काफी अधिक श्रम समाज के कमज़ोर तबकों के नाम पर ही किया जाता है।

शासन तंत्र में प्राण फूँकें

आर्थिक सुधारों के अलावा, जो पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में बने रहते हैं, अब यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार के सभी स्तरों पर - केन्द्र, राज्य तथा ज़िला स्तर पर सरकारी कामकाज तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नये सिरे से प्राण फूंकने के लिए तत्काल कार्यक्रम शुरू किये जायें। अकेले सरकार ही जो कुछ कर सकती है, उसे करने की उसकी योग्यता को मज़बूत किये बिना और इसकी गतिविधियों, जो देश के भावी विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण तथा काम करने वाला आधारभूत ढांचा - पर और अधिक ध्यान दिये बिना भारत अपने सामने उपलब्ध अवसरों का पर्याप्त रूप से दोहन नहीं कर सकता।

मेरे विचार में यह तथाकथित दूसरी पीढ़ी के सुधारों का वास्तव में कठिन हिस्सा है। गैर-सरकारी क्षेत्र के पास अब खुद की गति और गतिशीलता है। हालांकि समस्याएँ आयेंगी और उदारीकरण, खुलापन लाने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए किसी नीति विशेष के पक्ष में अथवा उसके खिलाफ तर्क दिये जायेंगे लेकिन मुझे विश्वास है कि अपेक्षित दिशा में प्रगति को न तो टाला जा सकता है और न ही उसका चक्र वापस घुमाया ही जा सकता है। साथ ही साथ यह स्पष्ट है कि जब तक हम अपने राजकोषीय प्रबंध को व्यवस्थित नहीं करते और अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार नहीं लाते, मैक्रो नीति सुधारों की कोई भी मात्रा न तो टिकी रह सकती है और न ही स्थायी परिणाम

ही दे सकती है। यदि सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाये जानेवाले लाखों प्राइमरी स्कूल, जिला प्राधिकारियों द्वारा स्थापित हजारों की संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सैकड़ों केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालय अपनी क्षमता से कम पर काम करते रहें या गिरावट दर्शाते रहें, ऐसे में दो या तीन हाइटैक शहर अथवा एक या दो बिजनेस स्कूल तथा तकनीकी संस्थान, मानव संसाधनों की असीम हानि की भरपाई नहीं कर सकते। यह सापेक्ष अनुपातों तथा सार्वजनिक हित और निजी प्रगति के बीच जटिल कड़ियों का सीधा सादा मामला है।

सर्वाधिक कठिन कार्य

इन समस्याओं में से कुछ से पार पाने के लिए हमें अनेक मोर्चों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हमें सार्वजनिक हित पर और न कि सार्वजनिक सेवकों पर ध्यान केंद्रित करने तथा सरकारी और सार्वजनिक वितरण की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कानूनी संशोधन करने होंगे। कार्यनिष्पादन की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली जरूरी है तथा सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों (सशस्त्र दलों या कानून व्यवस्था को बनाये रखनेवाली एजेंसियों को छोड़कर) में कार्य करनेवाले व्यक्तियों के विशेष बचाव को हटा देना चाहिए। हमें संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। सभी सार्वजनिक एकाधिकार खत्म करने होंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या एजेंसियों के लिए खरीद के संबंध में कोई वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। अत्यावश्यक सेवाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर किसी भी गैर-सरकारी संगठन या निजी सेवा प्रदान करनेवाले की सेवा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। हमें सूचना की आज़ादी होनी चाहिए और सरकारों तथा उनकी बहुविध एजेंसियों द्वारा लिये जाने वाले वित्तीय निर्णयों के बारे में हमें दैनिक आधार पर, न कि तिमाही या वार्षिक आधार पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। हमें एक नयी जिम्मेदारी और जवाबदेही के सुस्पष्ट विभाजन पर आधारित सुगठित नयी 'राजनैतिक अफसरशाही' की जरूरत है। परम्पराओं, पारस्परिक विश्वास और राज्य के विभिन्न एजेंसियों में सामंजस्य के बिना सार्वजनिक प्रणाली का कार्य नहीं चल सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें राजकोषीय सामर्थ्य की आवश्यकता है क्योंकि वित्तीय संसाधनों के बिना सड़क बनाना या स्कूल का निर्माण संभव नहीं है। अतीत के डरावने अनुभव को देखते हुए अंतिम कार्य सबसे कठिन कार्य है, परंतु अधिक समय तक उसे टाला नहीं जा सकता।

इस बात में कोई शक नहीं कि यदि हमारे पास इच्छा शक्ति है और हम अगले 20-25 वर्षों के बीच अपनी क्षमताओं का आधा भी प्रयोग में ला पाये तो भारत की गरीबी सुदूर अतीत की स्मृति ही रह जायेगी।

(स्रोत : रिज़र्व बैंक न्यूज़ लेटर के 31 जनवरी 2001 अंक से साभार)

बैंकों का बीमा क्षेत्र में प्रवेश

श्री अर्णव राय
उप महा प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
मुंबई 400 005.

I बीमा कंपनियों की गतिविधियां

बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा बीमा करनेवाला जिस व्यक्ति या व्यक्ति की वस्तु का बीमा करता है, उस व्यक्ति को वचन देता है कि बीमा पॉलिसी में बतायी गयी किसी सुनिश्चित घटना के घटित होने पर वह बीमाकृत या पॉलिसीधारक को हुए नुकसान की पूर्ति धन अर्थात् रुपये देकर करेगा। किसी बीमा कंपनी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :

(i) **हामीदारी :** बीमाकर्ता प्रस्ताव के जोखिम का मूल्यांकन करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रस्तावित संविदा की जाये या नहीं और अगर की जाये तो किन शर्तों पर।

(ii) **कीमत निर्धारण :** कीमत में दावे का खर्च एवं संविदा से जुड़े खर्च दिखलाने चाहिए और उसमें बीमाकर्ता के मुनाफे की सीमा भी शामिल होनी चाहिए।

(iii) **नये व्यापार का निष्पादन :** दलाल के बजाय सीधे बिक्री शक्ति पर अवलंबन की मात्रा और विज्ञापन पर खर्च की गयी राशि।

(iv) **दावों का भुगतान**

(v) **निधि का अनुरक्षण :** यह आवश्यक है। चूंकि रसीदों और भुगतान का **समन्वय** हो नहीं सकता और बीमाकर्ता प्रीमियम और निवेश के रूप में प्राप्त राजस्व प्राप्तियों से सभी दावों का भुगतान नहीं कर सकता।

(vi) **पुनर्बीमा की खरीद :** जब बीमाकर्ता के वित्तीय संसाधन से दावों का भुगतान बढ़ जाता है तब वह अपनी **देयताओं** का कुछ हिस्सा दूसरे बीमाकर्ता पर डाल देता है।

(vii) **खाते लिखना :** समस्या यह है कि बीमाकर्ता की देनदारी (संभावित दावों के भुगतान की राशि) कितनी होगी, यह पहले से मालूम नहीं हो सकता। अतः अंदाज लगाना पड़ता है। जीवन बीमा के लिए भावी देयताओं का मूल्यांकन अत्यंत तकनीकी प्रयोग है, जो कि एक्चुअरी (वास्तविक आंकड़ों का मूल्यांकन करनेवाले) को करनी पड़ती है। इस कार्य को मृत्यु संख्या सारणी और निवेश के ऊपर **परिमित** ब्याज दर के आधार पर करना पड़ता है।

II विदेश में बीमा क्षेत्र में बैंक

बैंकों द्वारा जिस तरह का बीमा किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में 'बैंकाश्यूरंस' कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक ज्यादा मार्जिनवाले बीमा उत्पादनों को बेचना चाहते हैं, जिससे उनके कीमती शाखा विस्तार को बढ़ोतरी मिले और वे वित्तीय उत्पादों की संपूर्ण **सीमा** के द्वारा अपने ग्राहकों से संबंध और भी ज्यादा मज़बूत बना सकें।

विदेशी बैंकाश्यूरंस के विकास का कारण

(i) **नियमों में ढील :** वित्तीय नियंत्रकों द्वारा नियमों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। इससे बैंक वित्तीय उत्पाद एवं स्रोतों की दृष्टि से **वैश्विक पूरक** के रूप में बदल गये हैं।

(ii) **स्वचालन :** जिससे बाज़ार पर आधारित **मध्यस्थ** परंपरागत वित्तीय संस्था पर आधारित मध्यस्थों की तुलना में लागत की दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में होते हैं।

(iii) **निजी सेवानिवृत्ति योजना :** पब्लिक पेन्शन के अलावा निजी सेवानिवृत्ति योजना की जरूरतें बढ़ रही हैं, जिससे लंबी अवधि के निजी बचत उत्पादों का विकास संभव हो सका है।

बैंकाश्यूरंस के रूप

(i) बीमाकर्ता (जो उन्हीं वित्तीय सेवाओं का **सम्मिश्रित रूप** है) से प्राप्त बीमा उत्पादों का बैंकों द्वारा वितरण।

(ii) जहां बैंक अभिकर्ता के रूप में दलाल का काम करता है, वहां करारों का वितरण।

(iii) बीमा भागीदार के साथ बैंकाश्यूरंस के संयुक्त उपक्रम का निर्माण ।

(iv) पूर्ण स्वामित्ववाली `बैंकाश्यूरंस' **अनुषंगी कंपनी** की स्थापना ।

(v) बहु वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व की बीमा कंपनियां ।

बैंकाश्यूरंस यूरोप में

(i) यूरोप के 173 अग्रणी बैंकों में से 80 बैंकों की पूर्ण स्वामित्ववाली बैंकाश्यूरंस अनुषंगी कंपनी है और 40 बैंकाश्यूरंस के संयुक्त उपक्रम में भाग ले रही हैं ।

(ii) लगभग सभी बैंक किसी न किसी प्रकार की बीमा सेवा देते हैं, भले ही उनका बैंकाश्यूरंस में **हिस्सा** न हो ।

यूरोप के बाहर बैंकाश्यूरंस

वित्तीय सेवाओं में वैश्विक स्तर पर स्पर्धा के कारण सक्रिय बैंकाश्यूरंस बाज़ार का विकास होने लगा है ।

(i) ब्राज़ील में 7 बड़ी बीमा कंपनियों में से 5 बैंकों की अनुषंगी कंपनियां हैं । वित्तीय दृष्टि से नये बीमा प्रीमियम का 20% बैंकों के अधिकार में है ।

(ii) मेक्सिको में पिछले 2-3 वर्षों में बड़े **खुदरा बैंकों** द्वारा बैंकाश्यूरंस से संबंध तेजी से बने हैं ।

किंतु अमरीका के बैंक प्रशासन इंस्टीट्यूट और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा किये गये संयुक्त अध्ययन से यह पता चला है कि अमरीका के अधिकतर बैंक बीमा को एक पूरक उत्पाद, कारोबार में वृद्धि करनेवाली प्रवृत्ति या क्रेडिट बीमा जैसे प्रवर्तमान उत्पादों को विशेष रूप से पूरा करनेवाली प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं । हाल में इनका नियंत्रण आयु और परिसंपत्ति / आकस्मिक (अपधान) बाज़ार पर 1% से कम मात्रा में रहा है । परंतु अब अमरीकी बैंकों पर विनियम संबंधी प्रतिबंध हटा दिये गये हैं । बीमा बाज़ार व्यापक हो गया है । राजस्व की दृष्टि से नापा जाये तो आयु बीमा और साधारण बीमा का बाज़ार लगभग अमरीकी खुदरा बैंकिंग बाज़ार जैसा है ।

बैंकाश्यूरंस का विदेश में नियंत्रक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण

बैंक और बीमा पर्यवेक्षकों के लिए पूंजी की अलग-अलग परिभाषा है और शोधता और **ऋण शोधन-क्षमता** के संबंध में बैंकों की आवश्यकताएं अलग-अलग हैं । बैंकाश्यूरंस के लिए नियंत्रक और पर्यवेक्षक दृष्टिकोण यूरोप के हर देश के लिए अलग-अलग है ।

(i) इंग्लैंड में **वित्तीय सेवा प्राधिकरण** की स्थापना से बैंकिंग और बीमा दोनों इसके नियंत्रण में आ गये हैं ।

(ii) नीदरलैंड में (नीदरलैंड बैंक) और बीमा पर्यवेक्षक के बीच संयुक्त पर्यवेक्षक संलेख अंकित किया गया है, जिसके अंतर्गत नियंत्रक कंपनी के पास पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधीनस्थ ऋणों की वह राशि होनी चाहिए, जो मध्यस्थ बैंक की जरूरी निधि के कम से कम बराबर हो और बीमा पर्यवेक्षक द्वारा लगायी गयी ऋण शोधन-क्षमता मार्जिन के बराबर हो ।

यूरोप में बैंकाश्यूरंस का नियंत्रण हर देश द्वारा `इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्यूरिटीज कमीशन' और `बासले कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न' के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर होता है । बैंकाश्यूरंस ग्रुप के लिए ऋण शोधन क्षमता मार्जिन के लिए अधिक **कठिन** कानून लागू किये जा रहे हैं ।

अमरीका में बीमा कंपनियों के परिचालन का नियमन एकमात्र राज्यों द्वारा होता है । औपचारिक रूप से ऋण शोधन-क्षमता संबंधी आवश्यकताओं को अभी तक स्थापित नहीं किया गया है । किंतु बीमा कंपनियों का प्रबंधन ठीक से हो और वे वित्तीय दृष्टि से सुचारु रूप से चलें, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अलग-अलग राज्य के अधिकृत बीमा आयुक्त की है । अधिकतर राज्यों ने बीमा गारंटी कानून पारित किये हैं, ऋण शोधन-क्षमता निधियां स्थापित की हैं और यह आवश्यक किया है कि हर बीमाकर्ता प्रतिभूतियां जमा करे । कंपनी के दिवालिया हो जाने जैसे विपरीत असर से बीमा दावेदारों को बचाने के लिए हर राज्य ने क्रियाविधि स्थापित की है, जिसके अंतर्गत, दिवाला निकलने पर समर्थ कंपनी बीमाकृत घाटे को ग्रहण कर लेती है, अर्थात् उसे अपने खातों में ले लेती है । `नेशनल असोसिएशन ऑफ इश्यूरंस कंपनीज्' ने जीवन बीमा और प्रापर्टी अकस्मात बीमा के लिए जोखिम पर आधारित अलग पूंजी का फार्मूला अपनाया है ।

भारत में स्थिति

III बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999

बीमा बाज़ार में ज्यादा सहभागियों को प्रवेश देने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,

1999 पारित किया गया । इसके पारित होने के साथ भारत में बैंक भी बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जिस पर अब तक कानूनी तौर से एलआईसी और जीआईसी एवं जीआईसी की चार सहयोगी कंपनियों का एकाधिकार है । लाइसेंसीकरण, पूंजीकरण और बीमा कंपनियों के परिचालन, बीमा अभिकर्ता, बीमा दलाल, सरवेयर इत्यादि के विनियमन के लिए नये कानून के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को अधिकार दिया गया है । हाल ही में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को संवैधानिक अधिकार दे दिये गये हैं और बीमा अभिकर्ता, बीमा दलाल, सरवेयर, एक्चुयरी इत्यादि के विनियमन का मसौदा बनाया गया है । बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की अपेक्षा है कि बीमा कंपनियों के लिए नियम जुलाई 2000 तक तैयार हो जायें और प्रथम लाइसेंस नवंबर 2000 में जारी होगा ।

IV भारत में बीमा के भावी विकास की संभावनायें

- भारतीय बाज़ार में वर्तमान में बीमा का प्रचलन बहुत कम है । केवल 5 प्रतिशत जनसंख्या ही बीमा का उपयोग कर रही है । जीवन बीमा क्षेत्र में `जीवन बीमा निगम' सक्रिय है । परंतु बीमा योग्य 25 करोड़ लोगों में से 21 प्रतिशत ही (अर्थात् एक चौथाई से भी कम) जीवन बीमा करवा रहे हैं । अब तक जीवन बीमा निगम सकल निवल उत्पाद की केवल 1.41% निधि ही जमा कर सका है । जीवन बीमा निगम की कुछ योजनाएं दूसरी योजनाओं से अधिक महंगी हैं, जैसे कि एंडाउमेंट / धन वापसी पॉलिसी इत्यादि पूर्ण जीवन (होल-लाइफ) और अवधि बीमा पॉलिसी से महंगी हैं । जीवन बीमा क्षेत्र में भावी विकास की दर सकल निवल उत्पाद की 15% आंकी गयी है ।
- साधारण बीमा क्षेत्र में बीमा का या सकल निवल उत्पाद पर प्रीमियम का अनुपात केवल 0.6 प्रतिशत है । मोटर वाहन बीमा, गैर जीवन बीमा कंपनी के कुल पोर्टफोलियो का 30 से 35 प्रतिशत तक होता है । फिर भी, चूंकि इस क्षेत्र में हामीदारी नुकसान बहुत हो रहा है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि गैर-जीवन बीमा के दूसरे प्रकारों - जैसे स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत बीमा, इंफ्रास्ट्रक्चर बीमा आदि पर ध्यान दिया जाये ।

V भारत में बैंकों के बीमा व्यवसाय में प्रवेश के पक्ष में मुख्य बिन्दु

(i) बीमा उत्पाद के वितरण से हुई अतिरिक्त शुल्क आय से बैंकों को अपनी लाभदायकता बढ़ाने का अवसर मिलेगा ।

(ii) जहां तक विक्रय-लागत का प्रश्न है, भारत में बैंक अपनी शाखाओं के नेटवर्क और मौजूदा ग्राहकों के आधार के कारण अच्छी स्थिति में हैं ।

(iii) यद्यपि बैंक और बीमा कंपनियां अभी तक भारत में साथ-साथ नहीं हैं, किंतु बैंकों द्वारा बीमा उत्पादों का वितरण पहले ही एक प्रकार से शुरू हो चुका है - जैसे कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों को व्यक्तिगत दुर्घटना या सामान बीमा मूल्य-वृद्धि सेवाओं के रूप में दे रहे हैं । बैंक गिरवी से संबंधित बीमा उत्पादों में भी भाग ले रहे हैं–जैसे अग्नि, मोटर वाहन या **पशु** बीमा में ।

(iv) बैंकिंग सेवायें, बीमा वितरण और निधि प्रबंध - सभी में अंदरूनी समानता है । एक ही स्थान पर सभी सेवायें- जैसे बैंकिंग, गिरवी, बचत, बीमा उत्पाद इत्यादि ग्राहकों को उपलब्ध हों - हम इसी तरफ जा रहे हैं ।

VI भारत में बैंकों के बीमा क्षेत्र में प्रवेश से जुड़े हुए प्रश्न

- आयुर्बीमा या जीवन बीमा लंबे अवधि की संविदा है । अतः प्रारक्षित निधि का निर्माण आवश्यक है, ताकि भविष्य में मिलनेवाले प्रीमियम एवं प्रारक्षित निधि को मिलाकर, बीमाकर्ता बीमा की अवधि समाप्त होने तक के सभी दावों का भुगतान कर सके । आयु / जीवन बीमा में मुनाफा मिलने में देरी होती है । सामान्यतः 5-7 वर्षों में मुनाफा होने लगता है ।

  सामान्य बीमा में शुद्ध प्रीमियम आय में अंशदान अनेक खंडों से होता है । यही सामान्य बीमा कंपनियों के लिए बोझ बने हुए हैं । सामान्य बीमा में मुनाफा मुख्यतः अग्नि बीमा और समुद्री बीमा खंड से होता है । अगर कोई नयी सामान्य (गैर आयु / जीवन) बीमा कंपनी बनायी जाये तो वह 4-6 वर्षों में लाभ-अर्जन की आशा कर सकती है ।

- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत बीमा कंपनी स्थापित करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है और कंपनी के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता एवं ऋण शोधन-क्षमता बनाये रखे । पूंजी

पर्याप्तता एवं चलनिधि सीमा के ये मानदंड कंपनी की देयताओं के संदर्भ में उसकी शुद्ध स्वाधिकृत निधि पूंजी पर्याप्तता, ऋण शोधन-क्षमता सीमा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पूंजी हर वर्ष नहीं लगा सकते । उन्हें पुनर्बीमा लेना पड़ेगा और इस तरह प्रीमियम गंवाना पड़ेगा ।

- अनिश्चित घटना में छिपे जोखिमों के अनुमान की गिनती विशेष व्यावसायिक के द्वारा होती है, जिसे एक्चुरी कहते हैं । इस क्षेत्र में बैंक अधिक निपुण नहीं हैं । आशा की जाती है कि संयुक्त उपक्रम के भागीदार यह निपुणता प्राप्त कर सकेंगे ।
- बैंकिंग कारोबार से पैदा होनेवाले जोखिम संभालने हेतु बैंकों ने हाल ही में जोखिम प्रबंधन व्यवस्था हासिल की है । उत्पादकता बढ़ाने और अनर्जक आस्तियों को कम रखने के साथ वित्तीय बाज़ारों का उदारीकरण भी हो रहा है । इससे उत्पन्न होनेवाली अनिश्चितताओं का भी प्रबंधन करना है । अतः ऐसी स्थिति में यह साहस और सूझ-बूझ का काम है । बीमा कारोबार में छिपे जोखिम बैंक कारोबार के जोखिमों से काफी अलग हैं ।
- संकट में बीमा कंपनियों की मदद के लिए बैंकों का आधार नहीं मांगना चाहिए । हाल ही में बैंकों को अपनी वित्तीय अनुषंगी कंपनियों को बचाने के लिए सहारा देना पड़ा था, जिसका गहरा असर बैंकों की लाभप्रदता पर पड़ा था । ऐसी स्थिति बीमा-कार्य के संबंध में नहीं होनी चाहिए।

VII बैंकों के बीमा क्षेत्र में प्रवेश के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश

बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा बीमा कारोबार में प्रवेश के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा 21 दिसंबर 1999 को परिचालित किया गया था । इन दिशानिर्देशों को 10 जनवरी 2000 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था, ताकि आम जनता और इसमें रुचि लेनेवाले लोग देख सकें और उसके बारे में अपनी राय दे सकें । बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त राय के आधार पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया और संशोधित दिशानिर्देश 16 मार्च 2000 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखे गये । बैंकों के बीमा क्षेत्र में प्रवेश के लिए अंतिम दिशानिर्देश वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति पर गवर्नर के वक्तव्य के साथ जोड़े गये थे । अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक निम्नलिखित ढंग से बीमा कारोबार कर सकते हैं ।

(i) सभी बैंक जोखिम में सहभागी बने बिना, शुल्क के आधार पर, बीमा कंपनियों से एजेंसी कारोबार कर सकते हैं । बैंकों की अनुषंगी कंपनियों को एजेंसी कारोबार करने की भी अनुमति होगी ।

(ii) जो बैंक निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, उन्हें बीमा कारोबार करने वाली संयुक्त उपक्रम कंपनी की **चुकता पूंजी** के 50% तक की पूंजी रखने की अनुमति दी जायेगी और बैंक, जोखिम में सहभागी होंगे । यह अनुमति पूर्णतः चयनात्मक आधार पर होगी । प्रारंभ में किसी बैंक को 50 से अधिक ईक्विटी अंशदान करके बीमा अनुषंगी कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है । किंतु यह अनुमति बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत निर्धारित और आई. आर. डी. ए. अधिनियम, 1999 द्वारा संशोधित अवधि के भीतर 50 प्रतिशत से अधिक के ईक्विटी निवेश की शर्त पर होगी ।

31 मार्च 2000 को संयुक्त उद्यम सहभागी के लिए पात्रता मानदंड नियमानुसार होंगे ।

- बैंक की निवल राशि 500 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए ।
- बैंक की **जोखिम भारित आस्तियों** की तुलना में पूंजी अनुपात 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।
- अनर्जक आस्तियों का स्तर यथोचित होना चाहिए ।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक को लगातार निवल लाभ हुआ हो ।
- संबंधित बैंक की अनुषंगी कंपनियों, यदि कोई हों, का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा हो ।

(iii) जो बैंक संयुक्त जोखिम भागीदारी के पात्र नहीं होंगे, उन्हें भी बैंक की निवल राशि के 10 प्रतिशत या 50 करोड़ रुपये, दोनों में से जो कम हो, की सीमा तक बीमा कंपनी में निवेश करने की अनुमति दी जायेगी, ताकि वे आधारभूत सामग्री और सेवा सहायता उपलब्ध करा सकें। इस प्रकार की सहायता को निवेश समझा जायेगा और इसमें बैंक की कोई आकस्मिक देयता नहीं होगी । इन बैंकों के लिए पात्रता मानदंड (31 मार्च 2000 को) नियमानुसार होगा ।

- बैंक की जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में उसका

पूंजी अनुपात 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

- अनर्जक आस्तियों का स्तर यथोचित होना चाहिए ।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक को लगातार निवल लाभ हुआ हो ।

VIII कानूनी (विधिक) स्थिति

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(i) (बी) के अंतर्गत बैंक एवं उनकी अनुषंगी कंपनियां बीमा कंपनियों के लिए एजेंसी कारोबार कर सकती हैं । आई. आर. डी. ए. द्वारा जारी बीमा अभिकर्ता विनियमन, 2000 के मसौदे में शब्द **'व्यक्ति'** (व्यक्ति के अलावा कंपनी या भागीदारी जो बीमा अभिकर्ता के रूप में काम कर सकता है) की परिभाषा में राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक एवं विदेशी बैंकों को शामिल नहीं किया गया था । हमने भारत सरकार के विशेष सचिव (बीमा) का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया था और अब 'व्यक्ति' शब्द की परिभाषा को, जो कि मसौदा में है, उसे संशोधित किया गया है और उसमें बैंकों को शामिल किया गया है ।

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 के अंतर्गत बैंक या तो बीमा कंपनी में 30 प्रतिशत पूंजी लगा सकते हैं या इस कार्य के लिए अनुषंगी कंपनी स्थापित कर सकते हैं । जो बैंक 30 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत तक का अंशदान करना चाहे उसे धारा 19 की प्रयोज्यता से छूट हेतु बही अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत आवेदन करना होगा । जिन मामलों में बैंकों को अपनी बीमा अनुषंगी कंपनी स्थापित करने की अनुमति चयनात्मक आधार पर 50 से अधिक के ईक्विटी अंशदान करने के लिए दी गयी है, उसके बारे में विधि विभाग की यह राय है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(i)(सी) इन परिस्थितियों में लागू होनी चाहिए । लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 (i)(ओ) के अंतर्गत बीमा व्यवसाय को बैंकों द्वारा करने योग्य कारोबार के रूप में अधिसूचना की आवश्यकता है । वित्त मंत्रालय / विधि मंत्रालय द्वारा जांची गयी अधिसूचना का मसौदा विधि विभाग द्वारा पारित किया गया है और केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है ।

(iii) ऐसे मामलों में जहां बैंकों को बीमा कारोबार में बैंक की निवल राशि के 10 प्रतिशत या 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक निवेश करने की अनुमति दी गयी हो, वहां यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के अंतर्गत प्रस्तावित बैंकों का निवेश उनकी चुकता पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक न हो ।

प्रयुक्त शब्दावली

समन्वय	Co-ordination	हिस्सा	Stake
देयता	Liability	खुदरा बैंक	Retail Bank
परिमित	Conservative	ऋण शोधन-क्षमता	Solvency
सीमा	Range	वित्तीय सेवा प्राधिकरण	Financial Services Authority
ढील	Relaxation	कठिन	Stringent
वैश्विक पूरक	Global Complimentary	पशु	Cattle
मध्यस्थ	Intermediary	चुकता पूंजी	Paid-up Capital
सम्मिश्रित रूप	Conglomerate	जोखिम भारित आस्तियां	Risk weighted assets
अनुषंगी कंपनी	Subsidiary	व्यक्ति	Person

गुणवत्ता परक एवं संबंध परक ग्राहक सेवा, बैंकिंग की बुनियाद है

श्री एन. एस. मिश्रा
महा प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज
बड़ौदा 390 005.

बदलते हुए **बैंकिंग परिदृश्य** में किसी भी बैंक का अस्तित्व उसकी लाभप्रदता पर निर्भर करता है तथा लाभप्रदता उत्तम ग्राहक सेवा और स्टाफ सदस्यों की ग्राहकों के प्रति अभिरुचि में ही निहित होगी । विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी एक विशिष्ट संस्थान में बने रहने संबंधी ग्राहकों का निर्णय बैंक के फ्रन्ट लाईन स्टाफ के ग्राहकों के साथ व्यवहार पर निर्भर करता है । हम यह जानते हैं कि व्यवसाय, उद्योग और सेवा क्षेत्र, विशेषतः वित्तीय क्षेत्र के विकास में ग्राहक एक केन्द्रीय धुरी के रूप में होता है । वित्तीय सेवाओं में इनपुट और आउटपुट ग्राहकोन्मुख है, इस संदर्भ में ग्राहक सेवा की महत्ता बाजार द्वारा संचालित परिवेश से प्रतियोगिता करने पर निर्भर होगी । पूर्व में बैंक उन लोगों को ही बैंकिंग सुविधाएं देते थे जिनका आर्थिक आधार मजबूत था । उस समय की बैंकिंग विशिष्ट बैंकिंग होती थी जो भावनात्मक और **मूल्यों** पर आधारित थी । परंतु आज ग्राहक सेवा के **प्रतिमान** बदल गये हैं । अब ये प्रतिमान ग्राहक सेवा की उत्कृष्टता में निहित हैं । उत्कृष्टता गुणवत्ता में निहित है । उत्कृष्टता गुणवत्ता एवं संबंध परक ग्राहक सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है । नई शताब्दी में तो उत्कृष्टता ग्राहक सेवा का एक प्रमुख अंग होगी क्योंकि नई शताब्दी **ज्ञान और सूचनाओं** की शताब्दी होगी । तकनीकी और कम्यूनिकेशन्स के बढ़ते हुए स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की अपेक्षाएं भी तुलनात्मक रूप से बढ़ी हैं । अतः बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए हमें नए सिरे से पुनः समर्पित करना होगा और यह सब गुणवत्ता परक एवं संबंध परक ग्राहक सेवा से ही संभव होगा ।

आज बैंकों की बिगड़ी हुई ग्राहक सेवा का यदि विश्लेषण करें तो कुछ अंश में हम पायेंगे कि राष्ट्रीयकरण के बाद गुणवत्ता के प्रति सजगता में बिखराव आया है और बैंक के स्टाफ सदस्यों की सोच सेवा देने के बजाय ग्राहकों को उपकृत करने की हो गई है । साथ ही गांवों तक बैंकों का विस्तार होने के कारण ग्राहकों को बैंकों की आवश्यकता भी अधिक महसूस हुई है । कुछ हद तक बैंकिंग सेवाओं के स्वरूप को बैंकों के सामाजिक, आर्थिक दायित्वों ने भी प्रभावित किया है। बैंक रिटेल बैंकिंग की अपेक्षा चुनी हुई बैंकिंग पर ज्यादा ध्यान देने में लग गए जिसके कारण सेवाओं की गुणवत्ता गौण हो गई । यद्यपि बैंकों ने वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक की सहायता से ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु, विशिष्ट शाखाओं की शुरूआत, सहायक इकाइयों और ए. टी. एम. की स्थापना जैसे कुछ कदम उठाए हैं। एक संतुष्ट ग्राहक अपनी बैंक के बारे में चाहे अच्छी धारणा फैलाए या न फैलाए, लेकिन एक असंतुष्ट ग्राहक न सिर्फ शाखा की बल्कि पूरे बैंक की प्रतिष्ठा पर **प्रतिकूल असर** डाल सकता है। अपनेपन से दी गई सेवा बैंक की सकारात्मक छवि को बनाने में ठोस और निर्णायक भूमिका अदा करती है । विशिष्ट ग्राहक विशेष सम्मान चाहते हैं और वे यह भी चाहते हैं कि उन्हें सेवाओं में प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पर छोटे और मध्यम आकार के ग्राहक उपेक्षित हो जाते हैं । शाखा के लिए छोटे से छोटा ग्राहक अथवा ऋणी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई विशिष्ट ग्राहक। बल्कि छोटा ग्राहक अधिक स्थायी होता है और बैंक के विकास में उसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए शाखा में उन्हें भी वही सम्मान और व्यक्तिगत सेवाएं दी जानी चाहिए ।

सामान्यतः शाखाएँ जमाकर्ताओं को ही ग्राहक मानती हैं जो कि एक भ्रामक अवधारणा है । वास्तविकता में जब लाभप्रदता पर अत्यधिक दबाव केन्द्रित हो गया है तब ऋणी स्वतः ही शाखा का लाभ अर्जित करने वाला महत्वपूर्ण घटक बन जाता है । अतः लाभप्रदता के इस केन्द्र बिंदु (ऋणी) की ओर विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है । इनकी कठिनाइयों को हल करने से अनुत्पादक आस्तियों में कमी आयेगी तथा स्वतः ही लाभप्रदता में अभिवृद्धि होगी ।

बदलते परिवेश में प्रतियोगिता भी सघन हुई है जिसके कारण संबंध परक बैंकिंग आवश्यक हो गई है । इस परिवेश में सभी जमाकर्ताओं और ऋणियों की आवश्यकता पर बराबरी का ध्यान रखा जाना चाहिए । संतुष्ट ग्राहक आपके बैंक के प्रति अपनी निष्ठा के कारण किसी दूसरे बैंक में नहीं जाएगा । संबंध परक बैंकिंग से ही संतुष्ट एवं असंतुष्ट ऋणियों की पहचान की जा सकती है, क्योंकि संतुष्ट ग्राहक जहाँ बैंक की लाभप्रदता तथा छवि सुधारता है वहीं असंतुष्ट ग्राहक लाभप्रदता पर तो विपरीत प्रभाव डालता ही है साथ ही साथ कर्मचारियों के मन में भी भय और अविश्वास का वातावरण उत्पन्न कर देता है जिससे उन्हें भविष्य में सकारात्मक निर्णय लेने में झिझक होती है और बैंक के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव डालती है ।

बैंकिंग जैसे सेवा उद्योग में बैंक का स्टाफ महत्वपूर्ण है, यही वे लोग हैं जो बैंक के लिए व्यवसाय लाते हैं, यही लोग ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं और यही लोग बैंक की **प्रतिष्ठा** को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । संस्थान की प्रतिष्ठा इनकी सोच, इनकी संतुष्टि और संस्थान के प्रति इनकी निष्ठा में ही निहित है । बैंक का ढाँचा और भवन इन्हीं के कठोर परिश्रम की बुनियाद पर टिका है इसलिए बैंक के विकास हेतु सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा बैंक की नीतियों और योजनाओं का **विपणन** अत्यन्त आवश्यक है ।

आज विश्वभर में गुणवत्ता ही किसी भी व्यवसाय की सफलता की कुंजी समझी जाती है तब बैंकिंग व्यवसाय इससे अछूता कैसे रह सकता है । अतः हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गुणवत्ता परक ग्राहक सेवा के लाभकारी परिणाम होते हैं । इससे व्यवसाय के कई आयामों में वृद्धि होती है । संतुष्ट ग्राहकों से यह आग्रह करना चाहिए कि वे अपने मित्रों, संबंधियों को बैंक का ग्राहक बनाएँ और अधिक नए खाते खोलें । ज्वायंट वेंचर, जैसी नई-नई **अवधारणाओं** के विकास से और बेहतर ग्राहक सेवा से व्यवसाय का विकास बहुआयामी हो सकता है और बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि हो सकती है । इस प्रकार की गुणवत्ता परक ग्राहक सेवा का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा । बेहतर ग्राहक सेवा से ग्राहकों में बचत की आदत विकसित होगी जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश का एक आधार तैयार हो सकेगा जिससे अंततोगत्वा संगठनात्मक ढाँचे का विकास हो सकेगा, स्तर उन्नत और समृद्ध हो सकेगा ।

इसके लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा क्योंकि दिन प्रतिदिन तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, सुविधाओं का विकास हो रहा है और एक मायने में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जारी है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को विकसित करना होगा, मधुर बनाना होगा, जिससे ग्राहकों को हम अधिक आकर्षित कर सकें और इस धारणा को झुठला सकें कि पुराने बैंक, नए बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते । बैंक के प्रत्येक स्टाफ का ग्राहकों के प्रति आदर, सम्मान और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना यही इस लेख की मूल भावना है ।

प्रयुक्त शब्दावली

बैंकिंग परिदृश्य	Banking Scenario	प्रतिकूल असर	Adverse effect
मूल्य	Values	प्रतिष्ठा	Status
प्रतिमान	Model	विपणन	Marketing
ज्ञान और सूचना	Knowledge and information	अवधारणा	Concept

रिज़र्व बैंक की वेबसाइट भी अब हिंदी में

श्री आर. डी. धुर्वे
उप महा प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, राजभाषा विभाग
गारमेंट हाउस, वरली
मुंबई 400 018.

रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. विमल जालान ने दिनांक 2 जनवरी 2001 को रिज़र्व बैंक की हिंदी वेबसाइट का उद्घाटन किया। नयी सहस्राब्दी के प्रारंभ में यह घटना नयी हो या न हो, ऐतिहासिक अवश्य है । इसी तरह की अन्य घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि राजभाषा हिंदी अब प्रौद्योगिक क्रांति का हिस्सा बन चुकी है। यह उद्घाटन अनवरत संघर्ष और अभिनव प्रयोगों की एक छोटी-सी सफलता है। कंप्यूटर द्विभाषीकरण एक ऐसा विषय-क्षेत्र है जहाँ आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी मंज़िलें स्वयं तय करनी हैं; रास्ते खुद बनाने हैं और उन पर खुद चल कर दिखाना है ताकि रास्ते पक्के हो जाएं। साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि ये रास्ते मंज़िलों तक पहुंचाते हैं, बीच में गुम नहीं होते।

हिंदी की साइटें और भी हैं, लेकिन उनमें और रिज़र्व बैंक की इस साइट में अंतर है। यह अपेक्षाकृत बड़ी साइट होने के साथ-साथ कुछ नये सफल प्रयोगों का सुखद परिणाम है। इसे पूरी तरह स्थापित होने में अभी समय लग सकता है। वैसे साइट कोई भी हो वह पूरे विश्व के लिए होती है। उसमें जानकारी का खजाना होता है। लेकिन इस खजाने तक पहुँचने के लिए जो प्रक्रिया अपनायी जाती है वह यदि सरल न हो या अत्यधिक जटिल हो तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। इस साइट पर जाना सरल है। यदि यह कहा जाए कि रिज़र्व बैंक की हिंदी वेबसाइट अमेरिका में भी देखी गयी है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह आश्चर्य नहीं रहा। हिंदी की अनेक साइटें विश्व में देखी जा सकती हैं बशर्ते अपना कंप्यूटर सिस्टम अच्छा हो। हार्डवेयर और साफ्टवेयर दोनों में अच्छा तालमेल हो। तालमेल बिगड़ जाये तो साइट पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। यह तालमेल कब, कैसे और क्यों बिगड़ जायेगा कहा नहीं जा सकता। उसे स्थिर और यूजरफ्रेंडली बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है।

कुछ हिंदी साइटें तो वास्तव में बहुत अच्छी हैं। यद्यपि जटिल परिचालन के कारण या हार्डवेयर और साफ्टवेयर में तालमेल बिगड़ जाने के कारण हर बार उसे अच्छी हालत में देखना संभव नहीं हो पाता। क्लिक करने के बाद बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा रहती है कि देवनागरी लिपि में लिखी गयी हिंदी आकाश मार्ग से स्क्रीन पर आयेगी और उसे स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकेगा। लेकिन अधिकतर मामलों में निराशा होती है। हिंदी की सामग्री रोमन लिपि में स्क्रीन पर आती तो है पर उसे न तो पढ़ा जा सकता है और न ही समझा जा सकता है।

दर असल, सबकुछ फांट की विशेषताओं पर निर्भर है। हिंदी और अंग्रेजी की द्विभाषिकता की छाया मस्तिष्क में इतनी घनीभूत हो गयी है कि कंप्यूटर द्विभाषीकरण के हर क्षेत्र के लिए हम द्विभाषी फांट ही आजमाना चाहते हैं। वेंडरों पर इसी के लिए जोर डाला जाता रहा है। लेकिन तब शायद हम नहीं समझ पाये थे कि शब्द संसाधन को छोड़कर अन्य सभी में अर्थात् प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग और यहाँ तक कि इमेज प्रोसेसिंग और साउंड प्रोसेसिंग के लिए मोनोलिंगुअल फांट ही बेहतर साबित होने जा रहे हैं। हिंदी की लगभग सभी वेबसाइटों में फांट डाउनलोड करने की व्यवस्था है। लेकिन अब यह व्यवस्था पुरानी पड़ चुकी है। वेब दर्शक डाउनलोडिंग का झंझट नहीं चाहते। डाउनलोडिंग की सुविधा भी जटिल है। इंटरनेट एक्सप्लोरर (अर्थात IE) और नेटस्केप में डाउनलोडिंग की विधि अलग-अलग है। इन ब्राउजरों का पुराना संस्करण इस साइट को देखने में मदद नहीं कर पायेगा। हार्डवेयर और साफ्टवेयर में परस्पर तालमेल न होने से कभी-कभी सामग्री अधूरी आती है, अक्षर टूटते हैं या एरर मेसेजेस आते हैं। इसे देखते हुए कंपनियों ने डायनामिक फांट बनाये और कुछ हद तक इन समस्याओं का समाधान मिला। रोमन लिपि के फांट कोड में विश्व स्तर पर एकरूपता है जबकि देवनागरी लिपि के फांट

कोड में भारत में ही एकरूपता नहीं है। उपयोगकर्ता अब इसे महसूस करने लगे हैं और कंप्यूटर द्विभाषीकरण या बहुभाषीकरण के लिए यह एक अच्छा लक्षण है। भारत की छोटी कंपनियों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है लेकिन रोमन फांट के संबंध में आज तक जितना अनुसंधान कार्य हुआ है उसकी तुलना में यह एक प्रतिशत भी नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजी में ध्वनि संसाधन का जो कार्य हुआ है वह आश्चर्यजनक है। वर्च्युअल रीडर उसी का परिणाम है। इस रीडर से हिंदी भी पढ़ायी जा सकती है, लेकिन इसके लिए अनुसंधान और प्रयोग की जरूरत होगी। ये पहलू हिंदी वेब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

पाम टाप से लेकर मेनफ्रेम पर चलनेवाले अनुप्रयोगों का सुचारू, व्यवधानरहित और कार्यक्षम परिचालन तीन बातों पर निर्भर होता है : (i) मशीनी तत्व (ii) मानव तत्व (iii) प्रौद्योगिकी तत्व। इन तीनों में बहुत अच्छा तालमेल होना अत्यावश्यक है। इनमें से मशीन तत्व और प्रौद्योगिकी तत्व में निरंतर परिवर्तन होता है। स्थिरता के लिए इन परिवर्तनों को आत्मसात करना जरूरी है। यह विकास प्रक्रिया का एक अंग है। मानव तत्व भी तीन प्रकार का होता है : सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। सकारात्मकता विकास प्रकिया में योगदान देती है, नकारात्मकता जहाँ विकासहीनता को जन्म देती है वहीं विकास की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए विद्यमान प्रणाली की कड़ी परीक्षा लेती है। तटस्थता से विकास रुक जाता है। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी सिस्टम के परिचालन में ये सभी तत्व एक साथ निरंतर सक्रिय होते हैं। अतः मानिटरिंग यानी निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से कंप्यूटर द्विभाषीकरण के सभी पहलुओं पर।

इस वेबसाइट में फिलहाल संगठनात्मक परिचय, प्रेस रिलीजेस, ऋण नीति, बैंकिंग परिचालन से संबंधित मास्टर परिपत्र, क्रेडिट इन्फरमेशन रिव्यू, बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन तथा राजभाषा नीति इत्यादि संबंधी लगभग 500-600 पृष्ठों की सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। भविष्य में समय-समय पर जनता के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। ई-मेल मैसेंजर तथा सर्च इंजन भी डाला जायेगा।

इन्हीं बातों की पृष्ठभूमि में रिज़र्व बैंक की हिंदी वेबसाइट को देखते रहिए। लेकिन सबसे पहले निम्नलिखित बातें सुनिश्चित कीजिए :

* आपके कंप्यूटर का न्यूनतम कनफिगरेशन इस प्रकार होना चाहिए :

  P-III, 32MB RAM, 10 GB HDD, तीव्र गति का मॉडेम और एक्रोबेट रीडर (PDF फाइल पढ़ने के लिए)

* यह साइट नेटस्केप 4.5 और उसके बाद के संस्करण में अच्छी तरह से देखी जा सकती है।

* इंटरनेट एक्सप्लोरर-5 में भी यह साइट देखी जा सकेगी। फांट में थोड़ा फर्क हो सकता है।

* उक्त ब्राउजरों के मेनू में रखी गयी सेटिंग पर भी साइट की स्पष्टता निर्भर है।

* टैक्स्ट ठीक से न दिखने पर ``टूल'' का reload या refresh button click कीजिए। बाद में टैक्स्ट साफ दिखने लगेगा।

* Click करने के बाद status bar में loading का प्रतिशत दिखता है। शत प्रतिशत loading होने के बाद ही सामग्री को स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकेगा।

* वांछित पृष्ठों का प्रिंट आउट लिया जा सकता है, परंतु फ्लॉपी या हार्ड डिस्क पर कापी करने के बाद इसे खोलना फिलहाल संभव नहीं है।

इस साइट को खोलने के लिए rbi.org.in से बैंक के अंग्रेजी होमपेज पर जाने के पश्चात् "for site in Hindi Click here" बटन को click करते ही आपके सामने हिंदी का होमपेज आएगा। इसके बाद यहां से ब्राउजिंग करके विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इस साइट को और उपयोगी बनाने के लिए निरन्तर प्रयास जारी हैं। सुझाव भी आमंत्रित किये गये हैं। अंततोगत्वा बैंकिंग के क्षेत्र में जनसाधारण की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

आस्ति-देयता प्रबंधन

अरुण कुमार त्रिवेदी
सहायक उपाध्यक्ष
इंडस-इंड बैंक लिमिटेड
ग्लोबल बैंकिंग डिपार्टमेंट
तीसरी मंजिल, संघराजका हाउस
431, दादासाहेब भडकमकर मार्ग
(लैमिंग्टन रोड), मुंबई 400 004

अशोक कुमार सेठी
वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग
केनरा बैंक, मुंबई (उत्तर) अंचल कार्यालय,
112, सायन गैरेज बिल्डिंग,
सायन कोलिवाड़ा रोड, सायन (पूर्व),
मुंबई 400 022

परिचय :

आस्ति और देयता के बीच अन्तर-परस्पर संबंध देशी और अन्तर्राष्ट्रीय **निधीकरण** और उधार से जुड़े हुए हैं । निधीकरण की उत्पत्ति या तो देशी स्रोतों से या यूरो मुद्रा बाजार से होगी । इसी तरह उधार का संबंध देशी अर्थव्यवस्था से हो सकता है या यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का स्वरूप ले सकता है । आस्ति और देयताओं का प्रबंधन विवेकपूर्ण नियंत्रणों और संबद्ध देश के प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई मौद्रिक नीति के फ्रेमवर्क के भीतर ही परिचालित होना चाहिए। आइए, अब आस्ति और देयताओं की संरचना और संघटन की ओर नजर डालें ।

आस्तियों और देयताओं की संरचना और संघटन

एक अच्छे आस्ति-देयता प्रबंधक को आस्ति और देयताओं की संरचना और उसके संघटन को भलीभांति समझना चाहिए ताकि वह दी गई परिस्थिति में उचित निर्णय लेना सुनिश्चित कर सके। आस्ति और देयताओं के घटकों को स्थायी प्रकृति की आस्तियों और देयताओं, दीर्घ चक्रकाल आस्तियों और देयताओं, मध्यम चक्रकाल आस्तियों और देयताओं, अल्पावधि आस्तियों और देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों और देयताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा खंडित दृष्टिकोण बैंकों को आस्तियों और देयताओं के प्रबंधन के लिए उपयुक्त और विशिष्ट **रणनीतियां** तैयार करने के लिए समर्थ बनाएगा । इससे बैंकों को विकृत सूक्ष्म दृष्टिकोण के बजाय सम्पूर्ण दृष्टिकोण भी हासिल होगा । ऐसा विभाजन परिपक्वता खण्डों के अनुसार असंतुलनों को पहचानने में सहायता करेगा ओर बैंक के फायदे के लिए योजना बनाने में सहायक होगा । किसी शाखा / बैंक की आस्तियों और देयताओं को परिशिष्ट `ए' के अनुसार चार्ट में पुनः समूहित किया गया है।

कारोबार संरचना

बैंक की अपनी स्वयं की कारोबार संरचना एक गैर-बहिर्जात कारक है जिसे आस्ति-देयता प्रबंधक को ध्यान में रखना है। बैंक किस प्रकार संरचित होता है, वह मोटे तौर पर निम्नवत् बातों पर निर्भर करता है :

गुंजाइश, शुद्धता और गति, जिसकी आवश्यकता आस्ति-देयता की स्थिति के निर्धारण और निर्णयन के लिए है।

आस्ति-देयता की स्थापना के लिए बैंक जिस आंतरिक और बाह्य जानकारी की गुंजाइश, गति और गुणवत्ता को उपलब्ध करा सकता है और बैंक की **मुनाफे** पर **राजकोषीय परिचालन** (स्थितियां, क्रय-विक्रय) चलाने की `वास्तविक' स्थितियां और उसकी क्षमता (प्रायः `आकार')।

बहुमुद्रा तुलन-पत्र

जब आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन किया जाता है और जब वे एक से अधिक मुद्राओं में रखी जाती हैं तो यह लेखों का बहुमुद्रा प्रस्तुतीकरण का मामला है। स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तन दर वह होगी जो आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर होगी। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अपनी आस्तियों और देयताओं को बहुमुद्राओं में प्रस्तुत कर रहे हैं । भारत सहित अनेक देशों में इसके प्रयोग की संकल्पना का साकार होना शेष है ।

पूँजी और विनियमन

नियामक और पर्यवेक्षी प्रक्रिया में पूँजी केन्द्रीय अवयव है। यह किसी भी बैंक पर्यवेक्षण करनेवालों का अंतिम कार्य और उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि बैंक का कारोबार सामान्यतः विवेकपूर्ण ढंग से चलाया जाए और जमाकर्ताओं की धन राशि को अस्वीकार्य जोखिम पर रखा जाए। समुचित पूंजी का रख-रखाव पर्यवेक्षी प्रक्रिया का प्रमुख भाग है । इसकी व्याख्या विशेष रूप से करने के लिए हमने देखा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड सामान्य दृष्टिकोण अपनाता है और यह दृष्टिकोण लगभग अमरीका में मुद्रा के

नियंत्रक की ही तरह है, जहाँ पूंजी आवश्यकता को व्यापक विवेकपूर्ण परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है जिसे `कमेली' (सी. ए. एम. ई. एल. आई.) प्रणाली के नाम से जाना जाता है ।

- बैंक की पूँजी की **पर्याप्तता**;
- उसकी आस्तियों की संरचना और गुणवत्ता;
- उसके प्रबंधन की गुणवत्ता;
- उसके **उपार्जन**, कार्य-निष्पादन; और
- तुलन-पत्र की तरल संरचना ।

हालांकि पूंजी पर्याप्तता महत्वपूर्ण मुद्दा है, फिर भी इसे बैंक के कारोबार के सभी पहलुओं से अलग नहीं देखा जा सकता और न ही देखा जाता है । इसे एक स्वतंत्र मुद्दे की तरह कठोरता से अलग करके नहीं रखा जा सकता और वह भी स्थापित आवश्यकताओं द्वारा किसी भी संस्थान की विशिष्ट स्थिति को नजरअंदाज करते हुए ।

बासले समिति

कुछेक पर्यवेक्षी और नियामक अभिक्रम हुए हैं और यह हाल ही में हुई घटनाओं और प्रसंगों के अनुरूप हैं । बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासले समिति-केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा स्थापित बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकारी । उक्त समिति में संयुक्त राज्य अमरीका, युनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, कनाडा, बुलगारिया, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इटली, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग जैसे देशों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व है । कथित समिति द्वारा ब्याज जोखिम के प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम (आई. आर. आर.) के प्रति बैंक के निवेश के माप पर एक पर्चा प्रस्तुत किया जाता है ।

समिति के उद्देश्य

- इस बात पर जोर देना कि बैंकों के विवेकपूर्ण परिचालन के लिए **जोखिम प्रबंधन** प्रथाएं अनिवार्य हैं ।
- समग्र रूप से वित्तीय प्रणाली में स्थायित्व को बढ़ावा देना ।

बासले समिति की सिफारिशों ने निम्नलिखित की आवश्यकता को उजागर किया :

- बैंक की अपनी प्रणालियों का पुनर्निर्धारण करना ।
- ब्याज दर जोखिम (आई. आर. आर.) के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराना ।
- किसी बैंक के मजबूत ब्याजदर जोखिम (आई. आर. आर.) के सिद्धांतों को परिभाषित करना ।
- ब्याज दर जोखिम (आई. आर. आर.) के लिए विशेष रूप से पूँजीगत प्रभार प्रस्तावित करना ।

नियामक की भूमिका

नियामक द्वारा ऋण और मौद्रिक नीति ने आस्ति-देयता प्रबंधन (ए. एल. एम.) प्रणाली प्रारंभ की । आस्ति-देयता प्रबंधन के कार्य का प्रारंभिक फोकस इस बात पर था कि जोखिम प्रबंधन शाखा को लागू करना अर्थात कारोबार का प्रबंधन और व्याप्त जोखिमों का निर्धारण दोनों साथ-साथ करना ।

भारतीय परिदृश्य

भारत के केन्द्रीय बैंक ने विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में सभी बैंकों को संशोधित / परिवर्तित दिशानिर्देश जारी किए हैं । बैंक द्वारा घोषित उपायों ने इस बात का संकेत दिया कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों संबंधी नरसिम्हन समिति की सिफारिशों को लागू करने के निदेश दिए। केन्द्रीय बैंक ने 31.3.1999 से प्रारंभ कर 31.3.2003 की अवधि के दौरान पूंजी पर्याप्तता, प्रावधान संबंधी मानदंडों, लागू किए जानेवाले निवेश मानदंडों के परिकलन के लिए जोखिम से परिपूर्ण विविध प्रकार के उपायों की घोषणा की है । अतः बैंक ने भावी वर्षों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के बारे में स्पष्ट संकेत दिए हैं और बैंकों को सलाह दी है कि वे घोषित उपायों को लागू करने के लिए तैयार रहें ।

आस्ति-देयता प्रबंधन का महत्व

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के राजकोष की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है आस्ति-देयता प्रबंधन और इसका संबंध प्रमुख रूप से तीन परस्पर संबंधित मुद्दों से है :

- नकदी प्रबंधन
- ब्याज-दर संवेदनशीलता
- तरलता

इस संदर्भ में प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं

- आस्तियों और देयताओं का मिश्रण
- देयताओं का स्रोत
- बाहरी नकदी शेष
- आस्ति और देयताओं दोनों का मूल्य निर्धारण ढांचा
- परिपक्वता और नकदी प्रवाह मुनाफा
- तरलता योग्य आस्तियां
- जमा-राशियों का संग्रहण और आंतरिक तरल स्रोतों का उपयोग
- श्रेष्ठ संभावित शर्तों पर आस्तियों का निधीकरण
- तुलन-पत्र पर विचार करना
- बैंक के नाम का न्यायसंगत उपयोग

तुलन-पत्र में न आनेवाली मदें :

नकद जमा राशियां, अग्रिम, निवेश आदि को तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है । वायदों, विनिमय जैसी व्युत्पन्नी मदों और साख-पत्र और गारंटी आदि जैसी आकस्मिक संविदाएं तुलन-पत्र में नहीं दर्शायी जाती हैं । जब तक विकल्प का प्रयोग न किया जाए यह तुलन-पत्र में न

आनेवाली मद है । जब तक पूर्वाधिकार आस्तियां खरीदी न जाएं और उनकी अदायगी न की जाए, तुलन-पत्र के लिए वायदों और भावी सौदों का भुगतान नहीं किया जा सकता । कुछेक नकदी प्रवाहों को, जिन्हें वस्तुतः उधार लेना और उधार देना अर्थात तुलन-पत्र के उद्देश्य से आस्तियां और देयताएं नहीं माना जा सकता, के विनिमय की संविदात्मक **प्रतिबद्धता** का नाम अदला-बदली है ।

चूंकि तुलन-पत्र में व्युत्पन्नी मदों को आस्तियों और देयताओं के रूप में प्रस्तुत करने या उनकी गणना करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए शेयरधारकों और नियामकों को समग्र रूप से इसके बारे में जानने का अधिकार है ।

तुलन-पत्र में न आनेवाले जोखिम

विचार करने योग्य अंतिम, किन्तु विवादास्पद क्षेत्र, तुलन-पत्र में न आनेवाले जोखिमों से संबंधित है । बैंक प्राथमिक रूप से वित्तीय मध्यस्थता के कारोबार में होता है : विविध विशेषताओं के साथ आस्तियों और देयताओं को जारी करना । इसे तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है। परन्तु तुलन-पत्र में जिन क्रिया-कलापों को निश्चित आस्ति के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, बैंक उनके संबंध में जोखिमों से घिरा रहता है । वस्तुतः तुलन-पत्र में न आनेवाले कारोबार में 1980 और 1990 के दशक में काफी वृद्धि हुई है और अंशतः इसका कारण बैंकों की पूंजी संबंधी बाध्यता या मजबूरी है । यदि कारोबार को तुलन-पत्र में आस्तियां सृजित किए बिना विकसित किया जा सकता है तो मुनाफा पूंजी और आस्तियों की तुलना में बढ़ता है और कम पूंजी की आवश्यकता होती है ।

परन्तु इसमें से अधिकांश कारोबार में आकस्मिक देयता शामिल रहती है और यदि पूंजी तुलन-पत्र में केवल वर्तमान आस्तियों से संबंधित है और ध्यान देने योग्य है तो बैंक अवपूंजीकृत होगा । उक्त चर्चित पूंजी आवश्यकताओं की तुलना में यह काफी अधिक जटिल मुद्दा है क्योंकि जोखिमों के आकार और उनकी प्रकृति का निर्धारण आसान नहीं है ।

आस्ति-देयता और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन

आस्ति-देयता प्रबंधन देशी और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है । इसका मूलभूत उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक की लाभप्रदता को ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण अनावश्यक रूप से खतरा न हो क्योंकि ब्याज दरों में परिवर्तन देशी के साथ-साथ विदेशी मुद्रा के मामले में आस्तियों और देयताओं के लिए महत्व का विषय है । ब्याज दर का खतरा आस्ति और देयताओं के परिपक्वता ढांचे में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है और इसलिए समय-समय पर ब्याज दरों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तथा यही कारण है कि ब्याज दरों में परिवर्तन देयताओं की लागत और इसीलिए लाभप्रदता को भी प्रभावित करता है । अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग में, आस्ति-देयता प्रबंधन का मुख्य रूप से प्रभाव मध्यावधि ऋणों के मूल्य निर्धारण, विशिष्ट मुद्रा मूल्यवर्ग की जमा राशि योजनाओं अर्थात भारत की तरह विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा राशियों पर पड़ा ।

आस्ति-देयता के आम विषय और इसकी स्थिति के निर्धारण के बारे में भारत सहित कुछेक देशों में नियामक व्यवस्था का एक विचित्र पहलू ध्यान देने योग्य है । हालांकि पर्यवेक्षी प्राधिकारी विदेशी मुद्रा पुस्तिका में अंतर के प्रति सदैव सजग रहते हैं और इन्हें सख्ती से नियंत्रित भी करते हैं, फिर भी रुपया पुस्तिका में मौजूद अन्तर पर भी समान रूप से जोर देने की आवश्यकता है - भले ही पर्यवेक्षक द्वारा या बैंक प्रबंधन द्वारा । यहां प्रमुख समस्या तुलनात्मक रूप से अल्पावधि देयताओं और बैंक पोर्टफोलियो के सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस. एल. आर.) के हिस्से में विशेष रूप से धारित दीर्घावधि परिपक्वता आस्तियों के बीच असंतुलन की है । चूंकि दीर्घावधि परिपक्वता आस्तियां अब भी बैंकों की आस्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनकी मार्केटिंग पर पहले से कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर भी बैंकिंग प्रणाली महत्वपूर्ण ब्याज दर जोखिम पर चल रही है । भारतीय रिज़र्व बैंक प्रतिभूति निपटान प्रणाली के लिए न्यूनतम स्तर तैयार करने और साथ ही विशेष रूप से उभरते बाजारों से सम्बद्ध और आसानी से लागू हो सकनेवाली प्रणालियों पर विचार करे । इसमें व्यापक रूप से ईक्विटी / ईक्विटी से जुड़े प्रपत्र / कारपोरेट बांड / सरकारी प्रतिभूतियाँ व्याप्त होनी चाहिए । निःसंदेह यह नियंत्रण व्यवस्था में अन्तर की भरपाई करने के लिए नियामकों की ओर से अच्छी पहल होगी ।

प्रयुक्त शब्दावली

निधीकरण	Funding	तुलन-पत्र	Balance sheet
रणनीति	Strategy	पर्याप्तता	Adequacy
मुनाफा	Profit	उपार्जन	Earnings
राजकोषीय परिचालन	Fiscal Operation	जोखिम प्रबंधन	Risk management
बहुमुद्रा	Multi currency	प्रतिबध्दता	Commitment

द्विभाषिक सॉफ्टवेयर : प्रयोग-अनुप्रयोग

डॉ. अमरसिंह वधान
मुख्य अधिकारी
सिंडिकेट बैंक
आंचलिक कार्यालय, सरोजिनी हाऊस
6, भगवानदास रोड
नई दिल्ली 110 001.

`जिस्ट शैल' (Gist Shell) एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एमएस-डॉस अनुप्रयोग पर आधारित पाठ्य-सामग्री की प्रविष्टि, भंडारण, प्रदर्शन तथा भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के साथ-साथ मुद्रण को संभव बनाता है । यह 80 कॉलम, 25 पंक्ति के टेक्स्ट मोड के प्रयोग द्वारा एमएस-डॉस आधारित सॉफ्टवेयर के लिए पूर्णतः उपयुक्त है । यह सॉफ्टवेयर डीबेस, लोटस आदि जैसे स्व-अनुप्रयोग को मनचाही भाषा के प्रयोग के लिए सुगम बनाता है । `सुलिपि' (Sulipi) द्वारा द्विलिपीय (हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में संसाधन की क्षमता प्रदान की जा सकती है । इसके द्वारा वेतन पर्ची, वित्तीय खाता लेखन, वस्तु सूची आदि का कार्य भी संभव है । `जिस्ट कार्ड' (Gist Card) मशीन विशेषक है जिसका लेन वातावरण (Novell Netware) में भी उपयोग किया जा सकता है । इसके द्वारा भारतीय अन्य लिपियों में अंग्रेजी सहित पाठ आधारित पैकेजों तथा कम्पाइलरों में डॉस पर कार्य किया जा सकता है । जिस्ट टर्मिनल (Gist Terminals) डेक वीटी 52/100/220/320 के समकक्ष है । इसके द्वारा किसी भी भारतीय लिपि और अंग्रेजी में सभी पाठ आधारित अनुप्रयोग पैकेजों में कार्य किया जा सकता है ।

कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्प्यूटर की सहायता से प्रबोध स्तर तक का हिन्दी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग ने सी-डेक, पुणे की सहायता से `लीला-हिन्दी-प्रबोध' (DOS) नामक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है । इसकी मदद से पाठों में आए वाक्यों, शब्दों और वर्णों का मानक उच्चारण प्रशिक्षणार्थी सुन सकता है और जितनी बार चाहे, उतनी बार उनका अभ्यास भी कर सकता है । इस सॉफ्टवेयर से देवनागरी वर्ण की लेखन विधि ग्राफिक्स के रूप में चित्रित होती है और वर्णों की रचना विधि तथा उनके उच्चारण संबंधी आवश्यक जानकारी मिलती है ।

प्रयोगकर्ता को संभव सुविधा देने के लिए तैयार किया गया `आकृति' विंडोज का इंटरफेस है जो पूरी तरह सॉफ्टवेयर-चालित होता है । इसमें हिन्दी और अंग्रेजी को एक ही फोन्ट्स में मिश्रित करने के लिए विशेष फोन्ट्स हैं और इसे बिना फोन्ट्स बदले एक सही द्विभाषिक सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग किया जा सकता है । यह विंडोज 3.1, 3.11 में हिन्दी तथा विंडोज में अनुप्रयोग उपलब्ध कराता है । लेकिन यह विंडोज 95 और उसके बाद के संस्करणों के अधीन कार्य करता है । इसमें कुंजी क्रम में आशोधन करने तथा टाइप करने के लिए एक की-बोर्ड ड्राइवर प्रोग्राम और फोन्ट्स का सेट होता है, जिसमें हिन्दी के वर्ण-अक्षर होते हैं । इसे नेटवर्किंग वातावरण में भी प्रयुक्त किया जा सकता है ।

टाटा आई. बी. एम. ने न्यूनतम क्षमतावाली मशीन पर लगाने के उद्देश्य से एक द्विभाषी परिचालन प्रणाली हिन्दी में पीसी-डॉस (Hindi PC-Dos) बनाया है । इससे देश की बहुसंख्यक हिन्दी भाषी जनता कम्प्यूटर पर अपनी भाषा में काम कर सकेगी । बैंकों में चेक बुक और पास बुक संबंधी कार्य करना, सेवा प्रभार, लेन-देन संबंधी सूचना तैयार करना, उच्च मूल्य समाशोधन करना, खातावार स्थायी अनुदेश, आवधिक और स्वतः ब्याज जोड़ना आदि कार्यों को सम्पन्न करने के लिए विंडो आधारित `बैंक मित्र' द्विभाषिक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है । इसके द्वारा ग्राहक सेवा संबंधी कार्य भी किए जाते हैं । इसके अलावा विंडोज आधारित भारतीय भाषाओं के लिए एक अन्य फोन्ट पैकेज है –`श्रीलिपि' (Shreelipi), जिसमें कुंजी पटल प्रबंधक और विभिन्न विंडोज आधारित पैकेजों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं । `प्रकाशक' (Prakashak) भी एडीटर 8 फोन्ट के परिवार और बॉर्डर फोन्ट्स सहित बहुभाषा पैकेज के रूप में डॉस, विंडोज, मैकनतोश और लेन पर उपलब्ध है ।

भारतीय भाषाओं के लिए `लीप ऑफिस' (Leap office) एक अन्य शब्द संसाधक के रूप में तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है, जो स्वतंत्र पैकेज के रूप में भी काम करता है तथा एम एस ऑफिस के इंटरफेस के रूप में भी । इससे एमएस-ऑफिस, पेजमेकर, एक्सेल आदि में भारतीय भाषाओं में काम किया जा सकता है । इस सॉफ्टवेयर से देवनागरी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आदि दस भारतीय भाषाओं में लिप्यंतरण भी किया जा सकता है । इसमें भारतीय लिपियों के लिए अंग्रेजी के सदृश फोन्ट उपलब्ध हैं ।

वास्तविक और प्रत्यक्ष जीवन की स्थितियों के माध्यम से प्रयोगकर्ता का मार्गनिर्देशन करने और उसे हिन्दी लिखना सिखाने के उद्देश्य से `हिंदी गुरु' (Guru) मल्टीमीडिया सीडी-रोम है । इसके संदर्भ खंड में सामान्य प्रयोग में आनेवाले 2000 से अधिक हिन्दी शब्दों का, अंग्रेजी अनुवाद सहित शब्दकोश दिया गया है । इसमें हिन्दी नामों का संग्रह है जिसमें 1000 हिन्दी नामों का अर्थ तथा उच्चारण भी दिया गया है । अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने का एक अन्य सॉफ्टवेयर है – मैट (MAT)। यह पैकेज लिरिक्स पर चलता है, जो मुक्त डोमेन परिचालन प्रणाली है तथा यूनिक्स के अनुकूल है । यह सॉफ्टवेयर 85 प्रतिशत पदव्याख्या (Parsing) तथा 60 प्रतिशत सही अनुवाद प्रस्तुत करता है। इसमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए सम्पादन सुविधा भी है । इस सॉफ्टवेयर में लगभग 9500 मूल शब्दों का शब्दकोश दिया गया है।

इसी क्रम में `श्रीलिपि अंकुर' (Shree Lipi Ankur) विंडोज आधारित बहुभाषी सॉफ्टवेयर है, जिसमें लिपि संसाधक, शब्द संसाधक और निजी डायरी है । यह केवल सीडी पर उपलब्ध है । इस सॉफ्टवेयर में कंट्रोल एट्रीब्यूटर के अनेक कैरेक्टर हैं । जैसे नॉर्मल, बोल्ड, इटेलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट तथा सेन्टर एलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन । अंकुर रुपा में दिन, तारीख और समय को भारतीय भाषाओं में डाला जा सकता है । इस सॉफ्टवेयर की सहायता से तारीख या नाम, शहर और जन्मतिथि खोजी जा सकती है । सुविंडोज (Suwindows-2.0) विंडोज के लिए हिन्दी सॉफ्टवेयर है । इसमें सुलिपि आधारित हिन्दी डॉस फाइलों को सुविंडोज अनुकूल फार्मेट में बदलने के लिए प्रोग्राम है । यह आईएससीआई-91 भारतीय भाषा कोड पर पूर्णतः कार्य करता है । इस सॉफ्टवेयर में लिप्यंतरण, शब्दों और पदबंधों का शब्दकोश स्थानापन्न और वर्तनी जाँच की सुविधा है । इसमें हिन्दी एवं द्विभाषी सोर्टिंग का भी प्रावधान किया गया है । इससे परिपत्रों, आदेशों आदि को टेम्पलेट में लाकर द्विभाषी रूप (हिन्दी-अंग्रेजी) में जारी किया जा सकता है । `अक्षर फॉर विंडोज' वैकल्पिक रूप में उपलब्ध अक्षर शब्दकोश पाठ के अंग्रेजी से हिन्दी शब्दों का अनुवाद करने में सहायता करता है । एक सरल कमांड देने से किसी अंग्रेजी शब्द के अलग-अलग अर्थ स्क्रीन पर आ जाते हैं । प्रयोगकर्ता उनमें से एक अर्थ चुन सकता है और यह स्वतः पाठ में जुड़ जाता है । वह हिन्दी के पाठ में शब्दों को ढूंढ़ने और बदलने का कार्य भी कर सकता है । यह एमएस विंडोज की सुविधा का प्रयोग करता है ।

कुशल प्रबंधन में मानवीय संबंध

श्री सच्चिदानंद त्रिपाठी
वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशिक्षण)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र
बी-984 सेक्टर ए
महानगर, लखनऊ

किसी भी संस्था की प्रगति में कुशल प्रबंधन का अमूल्य योगदान होता है । आज की प्रतिस्पर्धा के युग में बैंकिंग व्यवसाय की उत्पादकता, लाभप्रदता एवं कार्यकुशलता सफल प्रबंधन के अभाव में सुनिश्चित कर पाना कदापि संभव नहीं है । प्रत्येक प्रबंधक की अपनी कार्यशैली होती है जिससे वह अपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है । सभी जानते हैं कि किसी संस्था में मानव संसाधन का अधिकाधिक सदुपयोग ही बेहतर परिणाम प्रदान कर सकता है । परन्तु सफल प्रबंधन के गुणों के अभाव में सभी के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता । अतः सफल प्रबंधक में मानव मनोविज्ञान के ज्ञान, अनुभूति और उसके इष्टतम उपयोग की क्षमता होना आवश्यक है । इस संबंध में निम्नलिखित बातों को अमल में लाना चाहिए :

1. अपने कर्मचारियों को अच्छी तरह जाने

जिस प्रकार किसी मशीन को चलाने के पूर्व उसके बारे में सम्यक जानकारी आवश्यक है, उसी प्रकार अपनी शाखा/कार्यालय के प्रत्येक स्टाफ-सदस्य की योग्यता एवं कुशलता का पूरा लाभ उठाने हेतु उसके व्यक्तित्व की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। स्टाफ को जान लेने का अर्थ उसके बायोडाटा की जानकारी भर नहीं है, बल्कि उससे संबंधित हर मसले पर उसका दृष्टिकोण और राय जानना एवं उसे उसकी विशेष योग्यता वाले क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। सभी अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम, पारिवारिक विवरण, शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता की जानकारी भी प्रबंधक को होनी चाहिए। आप उस व्यक्ति को जितना व्यक्तिगत रूप से जानेंगे, उतना ही उसके करीब होंगे और उसे बैंक के कार्यों में अधिक रुचि लेने हेतु प्रोत्साहित कर संस्था के प्रति निष्ठा की उम्मीद कर सकते हैं।

2. कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार ही काम

किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य न सौंपने से दोहरा नुकसान होता है । सर्वप्रथम उस व्यक्ति को कार्य संतुष्टि नहीं होगी । साथ ही, बैंक द्वारा उस पर किया गया व्यय एवं समय भी बरबाद होगा । यदि स्टाफ योग्य होते हुए भी आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है एवं अक्सर अपनी सीट से गायब रहता है तो मान लेना चाहिए कि वह कार्य उसकी रुचि का नहीं है। बेहतर होगा, उसे उसकी रुचि का कार्य सौंपने का प्रयास करें, अन्यथा नये कार्य की महत्ता को समझाते हुए, उसमें उसकी रुचि बढ़ायें। यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण दिलाने में कभी भी न हिचकें।

3. स्टाफ से संवाद स्थापित करना

संवादहीनता के अभाव में न सिर्फ काम-काज में व्यवधान आता है, बल्कि जटिल परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं । अतः कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जो भी निर्देश दें, स्पष्ट शब्दों में दें । स्टाफ से बात करते समय गुस्सा, चिन्ता, दुःख आदि मनोभावों को उस पर प्रकट नहीं करना चाहिए । स्टाफ-सदस्यों को निरंतर सीखते रहने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए । स्टाफ सदस्यों के आग्रह को भी समय-समय पर स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति एवं बेहतर ग्राहक-सेवा में उनके योगदान नहीं, बल्कि भागीदारी के लिए उन्हें प्रेरित करें।

4. परस्पर फीडबैक भी जरूरी

फीडबैक बैंक प्रबंधन के लिए ही नहीं, अपितु कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृध्दि हेतु भी जरूरी है । फीडबैक का मकसद तभी पूरा होगा जब एक-दूसरे को उसकी कमी का एहसास कराया जाये। यदि आप किसी स्टाफ से नाराज हैं तो गुस्सा ठंडा होने का इन्तजार करें । नकारात्मक टिप्पणी देने से पहले यह अवश्य महसूस करा दें कि आपका आक्षेप उस पर व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उसके कार्य, आदत या किसी और हरकत पर है । आपकी राय ठोस प्रमाणों पर

आधारित होनी चाहिए, किसी के कहने पर नहीं। संवाद दोतरफा होना चाहिए। स्टाफ को कार्य का दायित्व तो सौंपना ही चाहिए, साथ ही आवश्यकता हो तो कार्य सिखाना भी चाहिए ।

5. स्टाफ-सदस्यों की जिम्मेदारी एवं अधिकार बढ़ायें

अधीनस्थ कर्मचारियों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों में क्रमिक विस्तार करते रहना चाहिए। शाखा के महत्वपूर्ण ग्राहकों की बेहतर सेवा की दृष्टि से, सभी स्टाफ-सदस्यों के बीच जिम्मेदारी बांटने से ग्राहक-सेवा पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। शाखा के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी अधीनस्थ कर्मचारियों से समय-समय पर मंत्रणा करनी चाहिए। शाखा कार्यालय में सीखने-सिखाने का वातावरण बनाये रखना चाहिए। कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं क्षमता का स्तर निरंतर ऊंचा उठाते रहना चाहिए, ताकि उन्हें, आपको एवं संस्था को, तीनों को ही लाभ पहुंचे, यही सफल प्रबंधन का मूलमंत्र है । ऐसे प्रयासों से स्थायी छवि-निर्माण संभव है। स्टाफ को सुरक्षा का एहसास करवायें, भले ही उससे गलती हुई हो । बाद में आप उस पर समुचित कार्रवाई कर सकते हैं । किये गये अच्छे कार्यों का श्रेय उसे जरूर दें एवं उसकी अच्छी उपलब्धि पर छोटा आयोजन करके सराहना करें । इससे उसका मनोबल बढ़ेगा।

6. अपने कर्मचारियों में भी रुचि लें

कुछ समय निकाल कर स्टाफ-सदस्यों के परिवार, बच्चों, मकान, स्वास्थ्य आदि के बारे में भी एक-दो बातें अवश्य पूछते रहना चाहिए। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, परन्तु इसका दूरगामी प्रभाव कर्मचारियों के व्यवहार पर पड़ता है। अच्छा कार्य करने पर अपने स्टाफ की प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं बरतें।

7. अपनी उत्तम छवि बनाना अति आवश्यक

अच्छी छवि बड़ी-बड़ी बातों या दावों से नहीं उत्तम आचरण और व्यवहार से बनती है। यह जान लें कि स्टाफ-सदस्य आपके कोरे आदर्शों से नहीं, बल्कि आप के उत्तम कार्यों और व्यवहार से प्रभावित / प्रेरित होते हैं। अत: आपका आचार-विचार आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। आप वैसा ही आदर्श प्रस्तुत करें जिसकी आप अपने स्टाफ से अपेक्षा करते हैं। लंच के नाम पर घंटों गायब रहना, अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों में व्यस्त रखना, उनके साथ दुर्व्यवहार, स्टाफ को मिलने का समय देकर इंतजार करवाना और खुद नियमों को ताक पर रखने की प्रवृत्ति से आपकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं इससे अधीनस्थ कर्मचारियों में भी ढिलाई पनपेगी, जिससे कार्यालय का वातावरण भी दूषित बन जायेगा। अत: अपने व्यक्तित्व में ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्यनिष्ठा के ऊंचे मानदंड अपनाने से आपका व्यक्तित्व अपने आप आकर्षक बनेगा। जिसका अनुसरण करने में आपके सहकर्मी गौरव का अनुभव करेंगे।

अपने कार्यों में दक्ष होने के अलावा मृदु व्यवहार, खुशमिजाजी, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और स्टाफ-सदस्यों से सहज संबंध स्थापित करने की कला अपनाने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि सफल प्रबंधन उतना कठिन नहीं है, जितना आप सोचते हैं।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म – IV

1.	प्रकाशन का स्थान	: मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	: तिमाही
3.	सम्पादक, प्रकाशक का नाम	: सी. आर. गोपालसुन्दरम
	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	पता	: बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर, मुंबई 400 028.
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	: बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर, मुंबई - 400 028.

मैं, सी. आर. गोपालसुन्दरम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

दिनांक : 31 मार्च 2001

सी. आर. गोपालसुन्दरम
प्रकाशक

अगले दशक में भारतीय बैंकिंग का स्वरूप*

श्री सर्वज्ञशेखर गुप्त
प्रबंधक, केनरा बैंक
मुख्य शाखा, जी. टी. रोड
मुजफ्फरनगर, जिला-आगरा
उत्तर प्रदेश

``शांत और सुरम्य वातावरण, न ग्राहकों की भीड़ न पुराने धूल भरे लेजरों को इधर से उधर ले जाने और उन्हें रखने की जरूरत, प्रबंधक फोन पर अपने प्रतिष्ठित ग्राहक से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं, ``आप कष्ट न कीजिए, मैं स्वयं आपके आवास पर ही आकर आपका खाता खोल जाऊंगा, आप दिन या रात में कभी भी फोन से सम्पर्क करके अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।''

यह कोई सपना नहीं बल्कि अगले दशक में भारतीय बैंकिंग के स्वरूप की परिकल्पना है। उस समय बैंकिंग का स्वरूप ऐसा हो जाएगा कि ग्राहकों को केवल पैसे निकालने के लिए ही बैंक जाना पड़ेगा। उनकी शेष सारी आवश्यकताएं घर बैठे या अपने कार्यालय में ही पूरी हो जायेंगी। घर में, कार्यालय में या रास्ते में कहीं भी हों, दिन के किसी भी पहर में हों, ग्राहक को मल्टीमीडिया इंटरनेट और ई मेल से समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। प्लास्टिक मनी (क्रेडिट कार्ड्स) के अत्यधिक प्रचलन के कारण ग्राहकों को अपने साथ अधिक पैसा लेकर चलने और खतरा मोल लेने की झंझट भी नहीं रहेगी।

वास्तव में आगामी दशक ``ग्राहकों के लिए स्वर्ग'' होगा। ग्राहकोन्मुख बैंकिंग ही बैंकों के अस्तित्व की रक्षक होगी। आज ग्राहक के पास, विशेषकर उद्योगपति और व्यापारियों के पास समय की बहुत कमी है। कम से कम समय में अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को जो बैंक पूरा कर सकेगा वही अगले दशक के अन्त तक अपना अस्तित्व बनाए रख पाएगा।

आगामी दशक का आधार

अगले दशक में बैंकिंग के स्वरूप पर चर्चा करते हुए रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन ने स्पष्ट कहा था कि बैंकिंग उद्योग दूसरी क्रान्ति की दहलीज पर खड़ा है। अब गुणात्मक उत्पादकता, कार्यकुशलता और उत्तम ग्राहक सेवा ही बैंकिंग का आधार रह जाएगा। वे दिन गए जब ग्राहक वित्तीय संस्थानों के रूप में केवल बैंकों को ही पहचानते थे, या बैंकों में जमाराशि ही उनकी वित्तीय संपत्ति होती थी।

डॉ. रंगराजन के अनुसार बैंकिंग उद्योग को अब न केवल आंतरिक वरन् बाह्य प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। गैरवित्तीय संस्थाएं न केवल जमाराशियों के संग्रहण के क्षेत्र में बल्कि ऋणों को देने और विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रदान करने में बैंकों का मुकाबला कर रही हैं। इन परिस्थितियों में बैंकों को वित्तीय व्यवस्था में बाजार में अपनी सहभागिता (मार्केट शेयर) बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा और यह तभी संभव है जब कि बैंक ग्राहकों को उनकी अपेक्षाओं और नई आशाओं के अनुरूप उन्हें नवोन्मेष सेवाएं प्रदान कर पाएं।

वित्तीय सुधारों का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। इसके मुख्य लक्ष्य 3 हैं। प्रथम-प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात को कम करके बाहरी दबाव से मुक्ति। इन अनुपातों (सी आर आर और एस एल आर) के कारण बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। द्वितीय - आय, पूंजी पर्याप्तता और प्रावधानों के मानदण्ड अपनाकर तुलनपत्रों को पारदर्शी बनाना ताकि बैंकों की सही आर्थिक स्थिति का आकलन हो सके और उनमें यदि कोई कमी है तो उसे दूर करके प्रतिस्पर्धा के लायक बनाया जा सके। तृतीय - प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना। बैंकों को बाजार की गतिविधियों में भाग लेने की छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में नये बैंकों को खोलने की अनुमति दी गई है ताकि बैंकिंग व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके उत्पादकता और कुशलता में वृध्दि की जा सके।

*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आयोजित अंतर - बैंक निबंध प्रतियोगिता, वर्ष 1998 - 99 में क्षेत्र `क' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध ।

उपर्युक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दशक में बैंकिंग का स्वरूप निम्नांकित बिंदुओं से निर्धारित होगा-

1. संसाधनों को जुटाना
2. पूंजी की पर्याप्तता
3. ढांचागत परिवर्तन
4. लाभप्रदता पर जोर
5. अत्याधुनिक तकनीक का विकास
6. प्रक्रियाओं का अन्तर्राष्ट्रीयकरण
7. निधिरहित सेवाओं और कम लागत वाली जमाराशियों पर जोर
8. प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तन
9. मानव संसाधन विकास की नवीनतम योजनाएं
10. उच्चतर ग्राहक सेवा

बैंकिंग व्यवस्था में यह परिवर्तन अचानक होने जा रहा है ऐसा नहीं है, यह तो एक अनवरत प्रक्रिया है। भारतीय बैंकिंग ने अपने जन्म से ही परिवर्तनों के अनेक झंझावातों को सहन किया है। प्रारम्भ से ही इसके स्वरूप में अनेक बार परिवर्तन हुए। कभी इसके द्वार कुछ खास घरानों के लिए ही खुलते थे और आम आदमी बैंक की शाखा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था तो कभी ऐसा भी हुआ कि बैंक गरीब से गरीब और अशिक्षित जनता के लिए भी वरदान सिध्द होने लगे। अगले दशक में बैंकिंग का जो स्वरूप बन रहा है उस पर अतीत की भी छाया विद्यमान है अतः संक्षेप में उसका सिंहावलोकन भी किया जाना आवश्यक है।

सिंहावलोकन

क्रान्तियां परिवर्तन लाती हैं और परिवर्तनों ने अनेक क्रान्तियों को जन्म दिया है। 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं सदी तक का भारतीय बैंकिंग का सफर भी अनेक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इन परिवर्तनों ने बैंकिंग उद्योग में क्रान्तिकारी बदलाव ला दिया है और 21वीं शताब्दी की दहलीज पर खड़ा यह उद्योग परिवर्तन की एक और प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा है।

17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आये। उससे पूर्व भारत में बैंकिंग का कार्य महाजनों और साहूकारों द्वारा ही किया जाता था। परंतु अंग्रेजों के आगमन के कारण महाजनों और साहूकारों का महत्व कम हो गया। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कलकत्ता और बम्बई में एजेन्सी गृहों की स्थापना करके एक प्रकार से भारत में आधुनिक बैंकिंग की आधारशिला रखी। फोर्बस एण्ड कं., बूर्स फोसट एण्ड कं., एलेक्जेण्डर एण्ड कं. और फर्गुसन एण्ड कं. नाम के ये एजेंसी गृह ईस्ट इण्डिया कं. की आवश्यकताओं के लिए रुपया उधार देते थे, पत्र मुद्रा का निर्गमन और कृषि उपज की बिक्री के लिए वित्तीय सहायता देते थे, जमा पर रुपया प्राप्त करते थे। 1813 में ईस्ट इण्डिया कं. के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति के साथ ही 1830 तक इन एजेन्सी गृहों का अन्त हो गया।

इसी बीच 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक नए बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक) रखा गया। 1860 में बैंकिंग अधिनियम जारी करके सीमित दायित्व वाले मिश्रित पूंजी के बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया। फलतः 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1881 में एलायंस बैंक ऑफ शिमला, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, 1901 में द पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया प्रारंभ हुए। 1906 के स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय बैंकिंग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया और 1906 से 1913 के काल में उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी भारत में नए-नए बैंकों की बाढ़-सी आ गई। दक्षिण में केनरा बैंक के अलावा अन्य प्रांतों में बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ मैसूर आदि का अभ्युदय हुआ।

संकट के बादल

बैंकिंग उद्योग पर संकट के पहले बादल 1913 से 1917 के मध्य मंडराये। बैंकों की तेजी से स्थापना के कारण उनका प्रबंधन स्थायी नहीं हो पाया, मुद्रा बाज़ार का विकास भी असंगठित रहा, मुद्रा और साख व्यवस्था में लोच की कमी रही, प्रथम महायुध्द से उत्पन्न परिस्थितियों से मुकाबला करने की असमर्थता, युध्द के कारण ब्याज दरों में वृध्दि आदि अनेक ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से भारतीय बैंकिंग उद्योग दबाव में आ गया। 1913-17 के मध्य 87 बैंक फेल हुए जबकि 1918-21 के बीच में 21 और 1922 से 1936 के काल में 373, और 1936 से 38 के मध्य 660 बैंक फेल हुए।

1930 में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने बैंकों को टूटने से बचाने और उन पर नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जोरदार सिफारिश की और 1934 में रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास किया गया और 1-4-1935 से

रिज़र्व बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1939 में बैंकों की संख्या जो 1951 थी वह 1946 तक बढ़कर 5521 हो गई। 1949 में बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम पास हुआ, अनार्थिक शाखाओं को बंद कर दिया गया और नई शाखाएं खोलने के लिए पूर्वानुमति आवश्यक कर दी गई, अनेक बैंकों का विलयन कर दिया गया।

बैंकिंग कानून में संशोधन कर रिज़र्व बैंक को नई शक्तियां दी गईं, निक्षेप बीमा निगम बनाया गया और छोटे-छोटे बैंकों को मिला दिया गया। इस नीति के फलस्वरूप भारतीय अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की संख्या जो 1960 में 74 थी वह घट कर 1969 में 58 रह गई। इसी अवधि में गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या 256 से घट कर केवल 17 रह गई। 2 फरवरी 1969 से बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण योजना लागू कर दी गई और 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे पूर्व 1955 में इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और 1960 में 8 बैंकों को स्टेट बैंक का सहयोगी बना दिया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इनमें से एक न्यू बैंक ऑफ इण्डिया को 4-9-93 को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। इस समय देश में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।

नये युग की शुरूआत

राष्ट्रीयकरण के उपरांत भारतीय बैंकिंग के स्वरूप में एकदम परिवर्तन आया। बैंकों के द्वार आम जनता के लिए खुल गये, सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु अनेक जनकल्याणकारी ऋण योजनाएं प्रारंभ हुईं। 1969 में अग्रणी बैंक योजना, 1972 में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों का निर्धारण, 1982 में ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना, 1985 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उदय, 1989 में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण और कम्प्यूटरीकरण की शुरूआत हुई। 1990 में 5 नए विदेशी बैंकों को भारत में शाखा खोलने की अनुमति दी गई, 1993 में पहले नए निजी बैंक, इण्डसिंध बैंक की स्थापना हुई और प्रधानमंत्री रोज़गार योजना तथा 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ हुई। इस समय भारतीय बैंकिंग उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। बैंक, पूंजी बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फण्ड, वेंचर कैपिटल, लीजिंग, फैक्टरिंग आदि जैसी नवोन्मेष गतिविधियों में बैंक शामिल हो रहे हैं।

उज्ज्वल भविष्य

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का यह लंबा इतिहास इस बात का साक्षी है कि बैंकिंग के दो युग बीत गए और तीसरा युग प्रारंभ हो रहा है। प्रथम युग राष्ट्रीयकरण से पूर्व और द्वितीय युग 1969 में राष्ट्रीयकरण के उपरांत का रहा जबकि तृतीय युग की शुरूआत 1991 में वित्तीय सुधारों के साथ हुई। यह प्रक्रिया अगले दशक में अवश्य परिपूर्ण हो जाएगी।

ढांचागत परिवर्तन

अगले दशक में छोटे-छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाकर उनकी संख्या कम कर दी जाएगी परंतु प्राइवेट बैंकों की संख्या में वृध्दि होगी। क्षेत्रीय और सीमित कारोबार करने वाले लघु स्थानीय बैंक अस्तित्व में आयेंगे। 4-5 बहुराष्ट्रीय बैंक रह जायेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार देखेंगे। ग्रामीण बैंकों को अपने प्रवर्तक बैंकों में मिला दिया जाएगा या उन्हें मिलाकर एक नया राष्ट्रीय बैंक बना दिया जाएगा। शाखा बैंकिंग के स्थान पर इकाई बैंकिंग का अभ्युदय होगा। ग्राहक का खाता किसी भी बैंक में हो वह दूसरे बैंक में जाकर भी अपना काम करा सकेगा। शेयर्ड पेमेण्ट नेटवर्क के रूप में मुम्बई में इसका प्रयोग भी हो रहा है। इस प्रकार बैंकिंग में मूलभूत ढांचागत परिवर्तन आ जाएगा।

पिछले दशकों की एक झलक और अगले दशक का अनुमानित स्वरूप

वर्ष	1951	1961	1971	1981	1991	इस समय	2001	2011
जमाराशि (करोड़ रु.)	880	1745	5910	37988	262875	567634 (31.1.98)	800000	2000000
अग्रिम (करोड़ रु.)	546	1320	4685	25371	158643	306100 (31.1.98)	450000	900000
शाखाएं	2647	4390	12013	35707	60220	64000	75000	85000

वर्ष	1951	1961	1971	1981	1991	इस समय	2001	2011
कर्मचारी			200000			1000000	1100000	1200000
परिचालन लाभ (करोड़ रु.)						8888 (31.3.97)	10000	15000
ग्रामीण बैंक						196	196	शून्य
बहुराष्ट्रीय बैंक							2	6

प्रशिक्षण

परिवर्तनों की आंधी का मुकाबला मानव अकेला नहीं वरन् मशीन के साथ मिल कर ही कर सकता है। टेलीफोन बैंकिंग, मल्टीमीडिया इंटरनेट और ई-मेल जैसे अनेक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगले दशक में बैंकों में अधिकाधिक प्रयोग होने लगेगा। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी मूलभूत परिवर्तन आ जाएगा। अगले दशक में प्रशिक्षणार्थी को पढ़ने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र नहीं जाना होगा। वह अपनी शाखा में या घर पर ही वीडियो पर प्रशिक्षण टेप सुनेगा। प्रशिक्षक जिस विषय पर टेप सुनना चाहेगा वह उपलब्ध रहेंगे। इस प्रकार कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रों से ब्लैक बोर्ड और चॉक, पेंसिल गायब हो जायेंगे।

बैंक गृह पत्रिकाएं छापना बंद कर देंगी और इनके स्थान पर वीडियो कैसेट्स आया करेंगे जो कर्मचारियों को बैंकिंग जगत के समाचार और उपलब्धियों की जानकारी प्रदान करेंगे। इसी प्रकार पुराने सारे मैनुअल्स बदलने पड़ेंगे। नए मैन्युअल छपवाने के बजाय बैंक नवीनतम तकनीक के बारे में कैसेट्स बनायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका संदर्भ लिया जा सके।

प्राथमिक क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण का कार्य अगले दशक में भी कम तो नहीं हो पाएगा परंतु गांवों में भी आधुनिकीकरण की लहर चलेगी और किसानों को भी ग्रीन कार्ड्स, किसान कार्ड, बीज कार्ड, खाद कार्ड आदि देकर ऋणों की गुणवत्ता में वृध्दि की जाएगी। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के प्रतिशत को घटाकर 10 या 12 किया जा सकता है क्योंकि यह माना जाता है कि लाभप्रदता और वसूली पर सर्वाधिक विपरीत प्रभाव प्राथमिकता क्षेत्रों के ऋण से ही है।

लाभप्रदता और गुणवत्ता

लाभ और लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले सांविधिक चलनिधि अनुपात (सी आर आर) में अगले दशक में काफी कमी की जाएगी। बैंक सेवा प्रभार, कमीशन और अन्य शुल्कों में भारी वृध्दि करेंगे और इनकी सही और त्वरित वसूली के प्रयास किए जायेंगे। लागत और खर्चों में कमी और प्रतिव्यक्ति उत्पादकता में वृध्दि भी अगले दशक में बैंकों के मुख्य लक्ष्य होंगे।

अगला दशक कई अन्य बैंकों को पूंजी बाजार में अपना भाग्य आज़माते हुए देखेगा क्योंकि बैंकों को स्वायत्तता मिलने का क्रम जारी रहेगा। विपणन के महत्व में अत्यधिक वृध्दि आ जाएगी क्योंकि समान नियमों और समान सुविधाओं के वातावरण में ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर अधिक लाभदायक ढंग से अपनी सेवाओं को जो बैंक बेच पाएगा वही आगे बढ़ जाएगा।

इसी क्रम में अगले दशक में मानव संसाधन की नवीनतम गतिविधियों और गुणवत्ता का भी विकास होगा। अतः आइ एस ओ 9000 प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले बैंकों/ शाखाओं की संख्या में भी वृध्दि हो जाएगी।

उद्योग और व्यापार के अतिरिक्त उपभोक्ता ऋणों की मात्रा में भी अगले दशक में वृध्दि होगी। इस कार्य के लिए विशिष्टीकृत शाखाएं खुलेंगी। गैर निधि आधारित ऋणों, कम ब्याज वाली जमाराशियों में वृध्दि पर अगले दशक में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जमाराशि और ऋणों पर ब्याज निर्धारण और अनुषंगी सेवाओं पर अधिभार वसूलने की बैंकों को छूट मिल जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा

अगले दशक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से मुकाबला। संभव है कि कुल 6-7 बैंकों को बहुराष्ट्रीय बैंक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार उनके जिम्मे कर दिया जाए ताकि अत्यन्त सुव्यवस्थित ढंग से निर्यातकों को नवोन्मेष प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा सके। ड्यूटी ड्रा बैंक योजना, निर्यात ऋणों पर ब्याज, रुपया आहरण व्यवस्था, विदेशों में शाखाएं, अनिवासी भारतीयों को विशिष्ट सुविधाएं

फोरफिटिंग, फैक्टरिंग सेवाओं का विस्तार भी अगले दशक में होगा।

विवेकपूर्ण मानदण्ड

विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन हेतु प्रारंभ की गई योजनाओं का भी अगले दशक में बैंकिंग के स्वरूप पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होगा। पारदर्शी तुलनपत्र के कारण बैंकों की आर्थिक स्थिति का सही-सही आकलन होगा और पूर्व में लाभ कमाने वाले कई बैंक हानि में पहुँच सकते हैं। लाभ न कमाने वाले ऐसे बैंकों को लाभ कमाने वाले बैंकों में मिलाया जा सकता है। प्रावधानीकरण, पूंजी पर्याप्तता और आस्ति वर्गीकरण के माध्यम से बैंकों को अपनी यथार्थ स्थिति का आभास होगा और वे अनर्जक आस्तियों की प्रभावी वसूली और नए ऋणों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे।

प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों और विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन के कारण जो बैंक कठिनाई महसूस करेंगे उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार पुनर्पूंजीकरण कर सकती है। ऋणों की वसूली के लिए और अधिक न्यायाधिकरणों की स्थापना अगले दशक में हो सकती है।

रिज़र्व बैंक की भूमिका

रिज़र्व बैंक प्रारंभ से ही बैंकों की लाभप्रदता और उनकी मजबूती के लिए चिंतित रहा है। रिज़र्व बैंक ने विश्व बाज़ारों के साथ भारत को संबध्द करने की अपनी वचनबध्दता पर ज़ोर देते हुए जो मौद्रिक और ऋण नीति घोषित की है उसका प्रभाव भी अगले दशक में भारतीय बैंकिंग के स्वरूप पर अवश्य दृष्टिगोचर होगा। रिज़र्व बैंक प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चल निधि अनुपात में और अधिक कटौती करके बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों में वृध्दि कर सकता है। रिज़र्व बैंक को अपने पास रखे हुए नकदी शेष पर बैंकों को दिए जाने वाले ब्याज में भी अगले दशक में वृध्दि करनी होगी।

रिज़र्व बैंक ने मुद्रा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बैंक दर को मौद्रिक नीति की स्थिति के संप्रेषण का एक उपकरण बनाया और बाज़ार में ब्याज दर की घट-बढ़ की दिशा को प्रभावित करने के लिए संदर्भ दर के रूप में बनाए रखा। बैंकों की जमा दरों, रिज़र्व बैंक की पुनर्वित्त दरों को बैंक दर से जोड़कर बैंक दर को घटा कर 9 प्रतिशत तक कर दिया गया। वाणिज्यिक बैंकों को रिज़र्व बैंक के इन प्रयासों पर अगले दशक में सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए मूल उधार दरों, पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरों को परिवर्तित करना होगा।

196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 44 ही 1995-96 तक 42 करोड़ रु. का लाभ अर्जित कर सके जबकि शेष 152 को 468 करोड़ रुपयों की हानि हुई। रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों को भी अपनी उधार दरें निश्चित करने की छूट दी है। इन बैंकों के भविष्य का निर्धारण भी अगले दशक में अवश्य हो जाएगा।

रिज़र्व बैंक द्वारा किये जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि 31.3.97 को समाप्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 8888 करोड़ रु. का परिचालन लाभ दर्शाया जबकि यह विगत वर्ष में 7569 करोड़ रु. था। अगले दशक में परिचालन लाभ में भी सुधार की गुंजाइश है। व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों में भी अगला दशक उन्नतिमय रहेगा। व्यावसायिक बैंकों की कुल जमाराशि अभी 567634 करोड़ रु. (30-1-98) है। यह राशि अगले दशक के प्रारंभ में 8 लाख करोड़ रु. तक पहुंचने की आशा है।

इसी प्रकार ऋण राशि 30-1-98 तक 306100 करोड़ रु. है जो अगले दशक के प्रारंभ में 4 लाख 50 हजार करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है। इस समय देश में लगभग 64000 बैंक शाखाएं हैं जो अगले दशक में 75 हजार होने और कर्मचारियों की कुल संख्या 10 लाख से बढ़कर 12 लाख होने की आशा है।

अगले दशक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैंकों में बढ़ रहे घोटालों, धोखाधड़ी और असुरक्षा की भावना से निजात पाने के लिए बैंकिंग सतर्कता आयोग का गठन किया जा सकता है।

उपसंहार

इतिहास साक्षी है कि परिवर्तनों की आंधियां कभी भी भारतीय बैंक के उज्ज्वल दीप को बुझा नहीं पाई हैं, चाहे सामाजिक दायित्वों की पूर्ति का दबाव हो या वित्तीय सुधारों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की महती जिम्मेदारी, हर परिस्थिति में भारतीय बैंकिंग का स्वरूप और अधिक निखरा ही है। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने विश्व को पहले से ही संकुचित कर दिया है, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता होते ही व्यापार और निर्यात संवर्धन के लिए सभी राष्ट्रीय सीमाएं भी अगले दशक में समाप्त हो जायेंगी और विश्वव्यापीकरण, नवीनतम तकनीक तथा उच्चतर ग्राहक सेवा उन्मुख अगला दशक भारतीय बैंकिंग के स्वरूप को एक नया सुदृढ़ आकार प्रदान करेगा।

बैंकों की लाभप्रदता एवं उनका सामाजिक दायित्व *

श्री राजेन्द्र सिंह
उप मुख्य अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, नवचेतना केंद्र
तीसरी मंजिल, 10, अशोक मार्ग
लखनऊ 226 001 (उ. प्र.)

बैंकों के सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी का दौर 14 दिसम्बर, 1967 से प्रारम्भ हुआ जब तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने लोकसभा में इसके बारे में बयान दिया था। अगले वर्ष 1968 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू किया गया। इसके अनुरूप बैंकों के कुल ऋण का 33.33 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को दिया जाना था। उस समय प्राथमिकता क्षेत्र के घटक थे–कृषि, लघु उद्योग और निर्यात। चूंकि यह एक कठिन कार्य था अतएव बैंकों द्वारा इस बारे में कोई ठोस कार्य नहीं किया जा सका।

19 जुलाई, 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाकर 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 15 अप्रैल, 1980 को छः और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

जहां तक सामाजिक दायित्व का प्रश्न है वह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से है जिसमें कृषि, लघु उद्योग, छोटे व्यवसाय, व्यवसायिकों एवं स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों, खुदरा व्यापार, सड़क एवं जल परिवहन प्रचालकों तथा शिक्षा एवं समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल किया गया है। सामाजिक दायित्व का एक दूसरा पहलू है–शाखाओं का विस्तार। इसके अन्तर्गत ग्रामीण/अर्धशहरी इलाकों में शाखाएं खोलकर वहां लोगों में बैंकिंग आदत का विकास करने से है जिससे घरेलू बचत को प्रोत्साहन मिले और जमा संग्रहण को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं/सरकारी नीतियों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के आधार पर उत्पादक गतिविधियों में लगाया जाए।

शाखा प्रसार

सामाजिक दायित्व को ठोस आधार प्रदान करने हेतु व्यावसायिक बैंकों ने क्रान्तिकारी प्रगति की है। उदाहरण के तौर पर मार्च, 97 तक सभी अनुसूचित बैंकों की शाखाएं 63534 हैं जो बैंकिंग व्यवसाय का 92 प्रतिशत व्यवसाय करती हैं। इन शाखाओं में से 52 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में, 21.5 प्रतिशत अर्ध-शहरी और 26.5 प्रतिशत शहरी/मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में हैं।

सामाजिक दायित्व का व्यापक रूप

सामाजिक दायित्व को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से ``कमजोर वर्गों'' की परिभाषा को और अधिक विस्तृत रूप दिया गया। घोष समिति की संस्तुति के अनुसार निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए :-

(क) कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रों को दिया जाए;
(ख) कुल अग्रिमों का 18 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के लिए निर्धारित किया जाए;
(ग) पिछले वर्ष के कुल अग्रिमों का 1 प्रतिशत विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिया जाए;
(घ) विभेदक ब्याज दर अग्रिमों का 40 प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को दिया जाए;
(ङ) कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत अथवा प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 25 प्रतिशत कमजोर वर्गों को दिया जाए।
(च) ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

नवीन संस्थागत उपाय

सामाजिक दायित्व को बल प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा समय-समय पर समुचित नवीन संस्थागत उपाय किए गए जिसमें अग्रणी बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, नाबार्ड और सेवा क्षेत्र अवधारणा मुख्य हैं।

इसके साथ ही बैंकों ने अपने संगठनों के ढांचे में कई संरचनात्मक परिवर्तन किए। इसमें शीर्ष स्तर पर प्रधान कार्यालय, द्वितीय स्तर पर आंचलिक कार्यालय, तृतीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय और चतुर्थ स्तर पर शाखाएं हैं।

*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आयोजित अंतर - बैंक निबंध प्रतियोगिता, वर्ष 1999 - 2000 में क्षेत्र `क' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध ।

अधिकांश ऋण प्रस्तावों का मूल स्तर पर ही निपटान सुनिश्चित करने हेतु संस्वीकृति सम्बन्धी अधिकारों एवं प्राधिकारों को विकेन्द्रीकृत किया गया। व्यावसायिक बैंकिंग की नई शैली में कृषि अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों, फील्ड अधिकारियों एवं अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति करके स्टाफ विस्तार से सम्बन्धित आवश्यकताएं पूरी की गईं। सामुदायिक बैंकिंग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीतियों एवं कार्यविधियों में भी सुधार किए गए।

सामाजिक दायित्व और परिचालनात्मक समस्याएं

बैंकों को अर्थव्यवस्था में सुधार करने हेतु महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए। इन्हें सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया। पिछले तीस वर्षों के क्रिया-कलापों से पता चलता है कि बैंकों ने इन उद्देश्यों को बखूबी निभाया है। ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे-छोटे लाभार्थियों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की है। इससे लोगों की आय में वृध्दि हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत कुछ मुद्रीकृत हो गई है। सेठ-साहूकारों के चंगुलों से गरीबों को काफी हद तक मुक्ति मिली है। परन्तु इसी के साथ बैंकों के सामने अनेक परिचालनात्मक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं जिनका जिक्र करना यहां आवश्यक है :

(क) शाखाओं का व्यापक विस्तार होने से रिपोर्ट एवं नियंत्रण सम्बन्धी समस्याएं;

(ख) छोटे खातों की उच्च सर्विसिंग दर होने के कारण अग्रिमों पर प्राप्त होनेवाले लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव;

(ग) बढ़ती हुई स्थापना एवं परिचालनात्मक लागतें;

(घ) निधियों के पुनरावर्तन की समस्याएं।

सामाजिक दायित्व और बैंककर्मी

चूंकि ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं में मूलभूत संरचनाओं जैसे सड़क, आवास, स्कूल, बिजली, शुध्द पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं आदि उपलब्ध नहीं होती हैं, अतएव इन शाखाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी इन क्षेत्रों में न रहकर निकट शहरों में ही निवास करते हैं। इसकी सच्ची अनुभूति करने में वे कठिनाई अनुभव करते हैं। चूंकि इन शाखाओं में इनकी तैनाती एक निश्चित अवधि के लिए ही होती है अतएव इनका एकमात्र उद्देश्य इस अवधि को पूरा करना है।

सामाजिक दायित्व और संस्थागत बाधाएं

(क) सामाजिक दायित्व क्रियान्वयन में बैंकों के समक्ष अनेक बाधाएं आई हैं जिनका जिक्र यहां किया गया है। यद्यपि बैंकों ने भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावशाली कार्य किया है, इनकी लाभप्रदता भी प्रभावित हुई है। बहुधा यह देखा गया है कि सामाजिक बैंकिंग सम्बन्धी योजनाओं से सौतेला व्यवहार किया जाता है। इनके प्रभावी कार्यान्वयन, अनुवर्तन और वसूली पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। इन अग्रिमों को शुरू से ``बट्टे खाते में'' जानेवाला समझा जाता है। इसी कारण इन पर अधिक ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने में कुछ लोग पेशेवर बन गए हैं और इस प्रकार कुछ खास व्यक्तियों को ही लाभ प्राप्त हुए हैं जबकि सहायता पाने के इच्छुक यथार्थ व्यक्ति सामाजिक बैंकिंग की परिधि से बाहर ही रह गए हैं। यह एक गंभीर मामला है। यहां बैंक के उच्च प्रबन्धन वर्ग का यह कर्तव्य है कि वे अधिकारियों/कर्मचारियों को मानव संसाधन विकास के माध्यम से अभिप्रेरित करें। तथापि वर्तमान अनुभवों को देखते हुए उनकी सम्बद्धता और रुचि अत्यन्त सीमित दिखाई देती है। इस विषय में कई वर्षों पहले वित्त मंत्रालय (बैंकिंग)ने एक अनुदेश जारी किया था कि शीर्ष कार्यपालक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें। ऐसा ही सुझाव भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति–आर. वी. गुप्ता समिति ने भी दिया है।

(ख) सरकार एवं व्यावसायिक बैंकों ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रभावी उपाय करने हेतु कई संस्थागत उपाय प्रारम्भ किए हैं। पहले इसमें बड़ा उत्साह देखा गया। परन्तु यह कई कारणों से मंद पड़ गया। यहां यह कहना उपयुक्त होगा कि सामाजिक दायित्व की सफलता मुख्य रूप से स्टाफ द्वारा विभिन्न स्तरों पर दर्शाई जाने वाली व्यक्तिगत रुचि एवं समर्पण की भावना पर निर्भर करती है। ऐसी भावना अब बहुत कम दिखाई पड़ती है।

(ग) बैंकिंग तंत्र वास्तव में सामाजिक बैंकिंग गतिविधियों के प्रसार को आत्मसात करने हेतु तैयार नहीं था। बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों को इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु आत्म परीक्षण का समय नहीं मिला जो कि दीर्घावधि सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है। बैंकों को लक्ष्य पूरा करने हेतु जल्दबाजी करनी पड़ी जिसमें आंकड़ों का ही पेट भरने का प्रयास किया गया।

सामाजिक बैंक को चोट

इसी बीच तत्कालीन सरकार द्वारा कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना–1990 लागू की गई। इससे सामाजिक बैंकिंग में राजनीति का प्रवेश हुआ। ऐसा देखा गया कि राजनैतिक शक्तियों ने बैंकों का दुरुपयोग किया। वास्तविकता यह है कि जब तक ऋणों का वितरण नहीं किया जाता सभी साथ होते हैं परन्तु जब वसूली का समय आता

है तो केवल बैंक वाला ही दिखाई पड़ता है। अनुभव बताते हैं कि बैंकों ने जब ऋणकर्ताओं के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए तो उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा गया और जब उन्होंने ऋण प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया तो उन्हें बुरा-भला भी कहा गया।

बढ़ती अनर्जक आस्तियां और सामाजिक दायित्व

विवेकपूर्ण मानदंड लागू होने के पहले बैंक के लोग भी ऋणों की गुणवत्ता के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थे क्योंकि उस समय बैंकरों का उत्तरदायित्व अनर्जक आस्तियों के लिए बहुत कम था और लेखा प्रणाली इस तरह थी कि हानि उसमें छिपी रहती थी।

आज की बदली हुई परिस्थिति में जब एक खाता ऋण देने के छः महीने बाद ही अनर्जक हो जाता है तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाता है। अतएव कोई भी बैंकर ऐसा जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है।

अतिदेय बढ़ने के कारण बैंकों में प्राथमिकता क्षेत्र के प्रति काफी उदासीनता आ गई है। बढ़ते अतिदेय से अनर्जक आस्तियों में वृध्दि हुई है। अनर्जक आस्तियां बढ़ने के मुख्य कारण–राजनीतिक हस्तक्षेप, ऋण देने के तौर-तरीके जैसे मूल्यांकन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण में कमी है। वित्तीय अनुशासनहीनता के कारण ऋण के पुनरावर्तन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सबके फलस्वरूप बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा है। बढ़ते अतिदेय के कारण नाबार्ड द्वारा दिए जाने वाले पुनर्वित्त भी प्रभावित हुए हैं। इससे सहकारी समितियां एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

बढ़ती अनर्जक आस्तियों के कारण एक ओर तो जोखिम बढ़ता है तो दूसरी ओर वसूली के लिए किए गए प्रयासों से सर्विसिंग दर भी बढ़ जाती है। अतिदेय खाते जब अनर्जक आस्तियां हो जाती हैं तब उनके लिए प्रावधानीकरण भी करना पड़ता है जो हानि को बढ़ाते हैं ।

बैंकों की अनर्जक आस्तियां

बैंक		अनर्जक आस्तियां (प्रतिशत)
व्यावसायिक बैंक	:	18
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	:	36
सहकारी बैंक/राज्य ग्रामीण विकास बैंक	:	23

जान-बूझकर चूक करने वाले लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृध्दि होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा का जन्म लेना है कि ``यह तो सब सरकार का पैसा है और इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है।'' आज जो सबसे बड़ी चुनौती है-लाभार्थियों में एक नई चेतना जागृत करना है।

इस बारे में लेखक द्वारा चलाया गया ``लाभार्थी चेतना अभियान'' का जिक्र करना प्रासंगिक होगा। लेखक ने इण्डियन ओवरसीज बैंक, बरेली (उत्तर प्रदेश) के सेवा क्षेत्र गांवों में यह अभियान चलाया। इस अभियान के अन्तर्गत सही समय पर ऋण की किस्त/राशि जमा करने वाले लाभार्थियों को खुली सभा में सम्मानित करना, इन्हें दोबारा ऋण देने में कम से कम औपचारिकताएं पूरी कराना और साथ ही ऋण अदा न कर पाने वाले व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अतिदेय के कारणों का पता लगाना शामिल है ताकि इन्हें उत्पादक आस्तियों में परिवर्तित किया जा सके।

(घ) सामाजिक दायित्व के साथ ऋणों में तकनीकी मार्गदर्शन का सम्मिश्रण करने के लिए बैंकिंग उद्योग ने विशेषज्ञ एवं तकनीकी स्टाफ की भर्ती की। विशेषज्ञ शाखाएं जैसे, कृषि विकास शाखाएं, ग्रामीण विकास केन्द्र, प्राथमिकता क्षेत्र पटल, बहुसेवा एजेन्सी, लघु व्यवसाय एजेन्सी आदि भी खोले गए। परन्तु विवेकपूर्ण मानदण्डों जैसे; आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, पूंजी पर्याप्तता और प्रावधानीकरण लागू होने के बाद इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया या बंद कर दिया गया। विशेषज्ञ स्टाफ जो सामाजिक बैंकिंग में सुधार के लिए नवोन्मेष अवधारणाएं बनाने में योगदान कर सकते थे, दृश्य से ओझल हो गए। परिणाम यह हुआ कि सामाजिक बैंकिंग का ताना-बाना टूट गया।

(ङ) **विभिन्न एजेन्सियों में ताल–मेल की कमी :** सामाजिक बैंकिंग की सफलता बैंक, राज्य सरकार की एजेन्सियों एवं लाभार्थियों के बीच बेहतर ताल-मेल से ही संभव है। अनुभवों से पता चलता है कि ताल-मेल की बेहद कमी है। इसका ज्वलन्त उदाहरण सरकार द्वारा चलाये गये गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों से है। अनुभवों से पता चलता है कि भौतिक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना ही प्राथमिकता है, गरीबी और बेरोजगारी दूर करना गौण हो चुका है। इस बात की पुष्टि डॉ. रजनीकान्त पाण्डेय द्वारा किए गए एक अध्ययन से होती है। वर्ष 1996-97 में लखनऊ जनपद में स्थित 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं एक राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा को राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा 356 प्रार्थना पत्र अग्रसरित किए गए। इनमें से मात्र 160 जो लक्ष्य से काफी कम है, स्वीकृत किए गए। इससे स्पष्ट है कि ताल-मेल के अभाव में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे सामाजिक बैंकिंग की प्रतिष्ठा भी गिरी है।

क्या सामाजिक दायित्व के साथ बैंकों की लाभप्रदता संभव है?

बैंक एक व्यावसायिक संस्था है और कोई भी संस्था

बिना लाभ कमाये कारोबार में नहीं रह सकती। बैंक एक परोपकारी संस्था नहीं है। लाभप्रदता है तो बैंक है, लाभप्रदता नहीं तो बैंक नहीं। जब बैंक रहेगा तो सामाजिक दायित्व भी रहेगा। इसे नीचे रेखांकित किया गया है।

लाभप्रदता–बैंक–सामाजिक दायित्व

ऋण एक प्रकार के उत्प्रेरक का कार्य करता है और यह उत्पादन को प्रभावित करने वाले उपादानों को उपलब्ध कराता है। यद्यपि ऋण और उत्पादन में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना सरल नहीं है, फिर भी ऋण से तकनीक का बेहतर उपयोग और निवेश की उपलब्धता बढ़ जाती है जो उत्पादन वृध्दि के लिए आवश्यक है। अतः ऋण का उत्पादन में महत्व कम नहीं किया जा सकता।

सामाजिक दायित्व को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि ऋण देने वाली संस्थाओं की पूंजी निरंतर बढ़ती रहे और इनकी हालत बेहतर रहे। इसके लिए जरूरी है कि प्राथमिकता क्षेत्र लाभप्रद हों। आज जबकि बैंकों ने इतना भौगोलिक विस्तार कर लिया है, जमा संग्रहण में नया कीर्तिमान स्थापित किया है और ऋणों में प्रभावशाली वृध्दि की है, फिर भी इनकी हालत चिन्ताजनक है। उदाहरण के तौर पर 1996-97 में 27 अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में से 21 बैंकों के संचालित लाभ में 2 प्रतिशत की कमी आई है और शुध्द लाभ में 1 प्रतिशत की कमी।

सामाजिक दायित्व और बैंकों की लाभप्रदता

सामाजिक दायित्व प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिकता क्षेत्र में ऋणों के प्रवाह से सम्बन्धित है, अतएव यहां आवश्यक है कि इसका लाभप्रदता पर प्रभाव देखें।

डॉ. एस. सी. आनन्द (आई.बी.ए. बुलेटिन अप्रैल, 1993) के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र लाभप्रद है। इसका विवरण नीचे दिया गया है ।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण राशि

व्यय	**रुपये**
जमाराशि पर ब्याज (रु. 100) दर 7.90% :	7.90
जमा संग्रहण पर प्रशासनिक व्यय दर 1.44% :	1.44
पुनर्वित्त (रु. 16.20) पर ब्याज दर 8.50% :	1.37
योग	**10.71**

उधार देने पर व्यय	**रुपये**
संचालन व्यय (रु. 70.20) दर 2.70% :	1.89
डी.आई.सी.जी.सी. कमीशन दर 1.12% :	0.79
पूंजी में हानि दर 2% (बट्टे खाते में डालने से):	1.40
योग	**4.08**
कुल व्यय	**14.79**

आय	**रुपये**
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (ब्याज) (रु. 15) दर 8% :	1.20
सांविधिक चलनिधि अनुपात (ब्याज) (रु. 30) दर 11% :	3.30
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर (ब्याज) (रु. 70.20) दर 15% :	10.53
कुल आय	**15.03**
शुध्द लाभ : 15.03 – 14.79 = 0.24	

यहां लेखक डॉ. आनन्द के विचार से सहमत नहीं है। लेखक का विचार है कि वर्तमान स्वरूप में प्राथमिकता क्षेत्र लाभप्रद नहीं है। अतएव प्राथमिकता क्षेत्र की अर्थव्यवस्था निकालनी होगी।

वर्तमान ब्याज दर संरचना को ध्यान में रखते हुए हम इसकी अर्थव्यवस्था निकाल सकते हैं :

राशि का आकार	**ब्याज दर (प्रतिशत)**
रु. 25000 तक :	12% कर
रु. 25000 से अधिक और रु. 2 लाख से कम :	12.5% कर
रु. 2 लाख से अधिक :	पी.एल.आर. + कर

यदि हम यह मानकर चलें कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्तपोषण का स्रोत जनता द्वारा जमा संग्रहण एवं नाबार्ड/सिडबी द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त की सुविधा से है तो प्राथमिकता क्षेत्र की लागत की गणना की जा सकती है।

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात	:	9%
सांविधिक चलनिधि अनुपात	:	25%
जमाराशियों का अंश जो वित्त के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है	:	66%
पुनर्वित्त का अनुमान जो नाबार्ड एवं सिडबी द्वारा उपलब्ध होता है।	:	20%

इस अनुमान के आधार पर संसाधनों का नमूना एवं उनका उपयोग दिया जा सकता है।

संसाधन	**राशि (रुपये में)**
जमाराशि	: 100.00
पुनर्वित्त	: 19.80
	119.80

उपयोग		रुपये
नकद जमा	:	1.20
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात	:	9.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	:	25.00
वित्तपोषण हेतु उपलब्ध राशि	:	84.80
योग		**120.00**

लागत व्यय		
जमाराशि पर ब्याज	**:**	**रुपये**
रु. 75.00 दर 9.5% - 7.13	:	8.26
रु. 25.00 दर 4.50% - 1.13 (सावधि जमा और मांग जमा में 75:25 का अनुपात) जमा संग्रहण पर प्रशासनिक व्यय दर 1.71%	:	1.71
पुनर्वित्त (रु. 19.80) पर ब्याज दर 9%	:	1.78
योग		**11.75**

उधार देने पर व्यय		**रुपये**
संचालित व्यय दर 3%(रु. 84.80)	:	2.54
पूंजी में हानि दर 2% (बट्टे खाते में डालकर)	:	1.70
योग		**4.24**
कुल व्यय	**:**	**15.99**

आय		रुपये
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात पर ब्याज दर 5.4%	:	0.49
सांविधिक चलनिधि अनुपात दर 9%	:	2.25
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (रु. 84.80) पर ब्याज (60% दर 16.5%) (40% दर 12.5%)	:	11.96
(60% रु. 2 लाख से अधिक, 40% रु. 2 लाख तक)		**योग** **14.70**

कुल व्यय - 14.70
शुध्द लाभ : 1.29 (-) (हानि)

उपर्युक्त उदाहरण द्वारा यह सिध्द हो जाता है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वर्तमान स्वरूप में लाभप्रद नहीं है। इसी के साथ विवेकपूर्ण मानदण्डों जैसे; आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण आदि लागू होने से सामाजिक दायित्व कार्यान्वित करने वाली शाखाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लाभप्रद नहीं है इस बात की पुष्टि नरसिम्हम समिति के सुझावों से भी होती है। समिति ने दो सुझाव दिए थे - एक, प्राथमिकता क्षेत्र 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाये, दूसरा, प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत केवल कमजोर वर्गों को ही शामिल किया जाए। परन्तु भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन सुझावों को नहीं माना है।

1992 में नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह स्वतंत्रता दी कि वे अपनी अलाभप्रद ग्रामीण शाखाओं को या तो सैटेलाइट शाखाओं में बदल दें या फिर उसी क्षेत्र में बिना रिज़र्व बैंक की अनुमति के स्थानान्तरित कर सकते हैं। 1993 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं को आपसी सहमति के आधार पर बंद करने की अनुमति भी प्रदान की है।

आज सामाजिक बैंकिंग जर्जर अवस्था से गुजर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक बैंकिंग शैशवावस्था से सीधे प्रौढ़ावस्था में पहुंच गई, युवावस्था में आई ही नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इस क्षेत्र में घटती लाभप्रदता है। नरसिम्हम समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा घाटे की प्रवृत्ति के लिए पांच कारण गिनाए हैं- निदेशित विनियोजन, निदेशित ऋण प्रवाह, ऋणों की घटती गुणवत्ता, पूंजी/आरक्षित बचत की कमी और घाटे के लिए प्रावधानीकरण।

क्या बैंकों को सामाजिक दायित्व से मुक्त किया जा सकता है?

इसमें कोई दो राय नहीं कि सामाजिक दायित्व बैंकों के लिए लाभदायक नहीं है परन्तु इस समस्या का हल यह नहीं है कि बैंकों को इस दायित्व से मुक्त कर दिया जाए। लेखक नरसिम्हम समिति के इस सुझाव से भी सहमत नहीं है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की राशि में कमी कर दी जाए। यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जनसंख्या का 71 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की महती आवश्यकता है। चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसलिए इसमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।

वाणिज्यिक बैंकों ने रोजगार के अवसरों का सृजन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे क्षेत्रीय असमानताएं कम करने में काफी मदद मिली है। तीन दशकों की सामाजिक बैंकिंग के बावजूद भी गरीबी उन्मूलन में थोड़ा ही योगदान हो पाया है और अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि देश में अधिक बेरोजगारी है और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या भी बहुत अधिक है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सामाजिक दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता।

क्या स्थानीय क्षेत्र बैंक (लोकल एरिया बैंक) लाभप्रद सिध्द हो सकते हैं?

अगस्त 1996 में रिज़र्व बैंक ने स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। रिज़र्व बैंक के अनुसार इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में एक अतिरिक्त या सहायक अंग के रूप में विकास करना है जो ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वर्तमान बचतों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगी। इन बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र में 40 प्रतिशत तथा इसमें 25 प्रतिशत कमजोर वर्गों को देना होगा।

क्या सामाजिक दायित्व बैंकों के लिए लाभप्रद हो सकता है?

सामाजिक दायित्व का वर्तमान स्वरूप बैंकों के लिए लाभप्रद नहीं हो सकता। सामाजिक दायित्व बैंकिंग प्रणाली पर थोपा नहीं जा सकता क्योंकि इससे इसकी व्यावसायिक व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव इसके वर्तमान स्वरूप में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबन्धक डी. जे. कानविन्दे का कहना है, ``अगर बैंकों को स्वतंत्र रूप से सामाजिक बैंकिंग का दायित्व सौंपा गया होता तो परिणाम कुछ और होता। आज सामाजिक बैंकिंग सरकारी दबावों एवं लक्ष्यपूर्ति के बोझ के नीचे दब-सा गया है। अगर इन दबावों से बैंकों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो एक नए अध्याय की शुरूआत होगी जो समाज की बेहतरी के लिए प्रभावशाली सिध्द होगी।''

अतएव एक ऐसे स्वरूप की आवश्यकता है जिसमें सामाजिक दायित्व बैंकों के लिए लाभप्रद सिध्द हो। इसके लिए लेखक के निम्नलिखित सुझाव हैं :

(1) सामाजिक दायित्व का अर्थ सस्ता ऋण देना नहीं है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जो अनुभव किया जा रहा है उससे साफ पता चलता है कि लोग ब्याज की दर पर ध्यान न देकर बल्कि इसे आवश्यक मात्रा में और समय से उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण समझते हैं। आज भी साहूकार गांवों में समृध्द हो रहे हैं और बड़े कृषक अपने अतिरिक्त धन का उपयोग छोटे और सीमान्त कृषकों को ऋण देने में कर रहे हैं जो परम्परागत रूप से उनसे ऋण प्राप्त करते आए हैं। इन क्षेत्रों की उधार दरें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायती दरों की तुलना में बहुत अधिक हैं। यही कारण है कि वाणिज्यिक बैंक सामाजिक दायित्व को बहुधा हानिकर प्रस्तावों के रूप मे देखते हैं और इसके प्रति उदासीनता का भाव अपनाए हुए हैं।

लेखक का सुझाव है कि सामाजिक बैंकिंग पर व्यावसायिक ब्याज दरें लगाई जाएं। इसके साथ ही ऋण स्वीकृत/वितरित करने की प्रक्रिया सरल बनाई जाए, शीघ्र ऋण स्वीकृत योजना लागू की जाए, ऋण के दस्तावेजों को सरल बनाया जाए। इनके लागू होने से सामाजिक दायित्व का बैंकों की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) स्वयं सहायता समूह द्वारा वित्तपोषण

व्यक्तिगत लाभार्थियों को ऋण न देकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही वित्तपोषण किया जाए। बांग्लादेश में ग्रामीण विकास स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही हो रहा है। इससे ऋण प्रदान करने से सम्बन्धित कार्यप्रणाली जैसे- ऋण की आवश्यकता का आकलन, प्रस्ताव का मूल्यांकन, ऋण का वितरण, पर्यवेक्षण, वसूली आदि की लागतों में कमी आती है अर्थात कुल परिचालन लागत में कमी आती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यमों से दिए गए ऋणों की वसूली 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत हुई है। अतः सामाजिक दायित्व को लाभप्रद बनाने के लिए वित्तपोषण हेतु स्वयं सहायता समूह का विकल्प अपनाना चाहिए।

(3) लाभार्थी चेतना अभियान

वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सहकारी बैंक की शाखाओं को ``लाभार्थी चेतना अभियान'' चलाने चाहिए जिससे ग्रामीणों में जागरूकता उत्पन्न हो। ग्रामीणों के बीच इस बात का प्रसार करना आवश्यक है कि राहत कोष या कल्याण कोष नहीं है बल्कि उन्हें जनता द्वारा दी गई जमाराशि में से ही ऋण दिया जा रहा है। उनके द्वारा भुगतान करने से अन्य लोगों को ऋण दिया जा सकेगा और इस तरह सामाजिक कल्याण का चक्र चलता रहेगा। जो लाभार्थी समय पर ऋण की राशि/किस्त जमा करें उनको जनता के बीच सम्मानित किया जाए।

सम्बन्धित राज्य सरकार की एजेन्सियों को भी इसमें भाग लेना चाहिए। इन्हें आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। इससे वसूली में सुधार तो होगा ही बैंकों की लाभप्रदता भी बढ़ेगी।

(4) राज्य सरकारों का वसूली में योगदान

कम वसूली और अतिदेयों की मात्रा में वृध्दि बैंकों को और ऋण प्रदान करने से रोकते हैं। तलवार समिति ने एक सुझाव दिया था कि सभी राज्य सरकारें बैंक देयों की वसूली के लिए कानूनी प्रावधान लाएं। इस प्रावधान को कुछ राज्य सरकारों ने लागू किया है। अन्य राज्य सरकारों को तुरन्त वसूली के लिए अधिनियम बनाने चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद में बैंक देयों की वसूली के लिए कक्ष बनाया जाना चाहिए। सभी कार्यरत बैंकों को आपस में विचार-विमर्श कर इस कक्ष का व्यय वहन करना चाहिए। इस कक्ष के स्थापित होने से वसूली बढ़ेगी और बैंकों की लाभप्रदता में वृध्दि होगी।

बैंकिंग परिदृश्य

विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए उत्सुक

विश्व बैंक ने भारत सरकार की एक अरब डालर की लागतवाली परियोजनाओं–राष्ट्रव्यापी सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) और `ऑपरेशन नॉलेज'–में भाग लेने में रुचि दर्शायी है। विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री जेम्स. डी. वोल्फनसन के साथ बंद कमरे में 45 मिनट तक चली बैठक के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रमोद महाजन ने कहा कि, ``विश्व बैंक के अध्यक्ष ने सीआईसी और ऑपरेशन नॉलेज परियोजनाओं में से प्रत्येक ऐसी परियोजना जिसकी कुल लागत एक अरब डालर है उसमें सरकार के साथ साझेदारी में अत्यधिक रुचि दर्शायी है।'' उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय शीघ्र ही सीआईसी परियोजना पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

एलआईएफएफई का इलेक्ट्रॉनीकरण

पारंपरिक फ्यूचर्स बाज़ारों में से एक `लंदन इंटर-नेशनल फाइनेन्शियल एण्ड ऑप्शन्स फ्यूचर्स एक्सचेंज' का शुक्रवार 24 नवंबर 2000 को पूर्णत: इलेक्ट्रॉनीकरण हो जाने के साथ ही वहां कार्यरत पण्य व्यापारियों ने बोली लगाकर कारोबार करने के दौर के अपने अंतिम ऑर्डर दिए। सोमवार 27 नवंबर 2000 से कॉफी, कोको, गेहूं, जौ, आलू के पुराने कोलाहलभरे बीआईएफएफईएक्स माल विपणन विनिमय गृह के स्थान पर `माउस क्लिक' से कारोबार होने लगेगा। अब यहां का कारोबार वित्तीय डेरिवेटिव्ज के लिए पहले से प्रयुक्त `एलआईएफएफई कनेक्ट' प्रणाली से किया जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी उन्मुख बाज़ार में भारत के लिए 30 अरब डालर के कारोबार की संभावना

गोल्डमन सैचेस ग्लोबल ईक्विटी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवाओं के विश्व बाज़ार में 2004 तक 585 अरब डालर का कारोबार होने का अनुमान है जिसमें से 5 प्रतिशत या लगभग 30 अरब डालर भारतीय कंपनियों को मिलेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने 1992 में 270 मिलियन डालर के कारोबार की तुलना में 1999 में 5.7 अरब डालर का कारोबार करके 55 प्रतिशत की मिश्र वार्षिक वृध्दि दर दर्ज की है। भारतीय कंपनियों ने विश्व सूचना प्रौद्योगिकी बाज़ार के 1.6 प्रतिशत और विश्व बाज़ार से परे होनेवाले कारोबार के 4.9 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों से प्राप्त अधिकतर आय तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अर्थात् वित्तीय सेवा/बैंकिंग, विनिर्माण और बीमा में लगी हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रबन्धन पर संस्थान

राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्य दल ने सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रबंधन से संबंधित सभी विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक स्मार्ट राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की सिफारिश की है। `नासकॉम' द्वारा इसका अध्ययन किये जाने के साथ ही निजी क्षेत्र की सीमा में इस परियोजना की स्थापना की जायेगी तथा इस संस्थान के प्रबंधन निकाय में सरकार का प्रतिनिधित्व होगा।

47 वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाये गये

सरकार ने वर्ष 2000-01 की आयात-निर्यात नीति में 714 वस्तुओं के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिये हैं जिनमें से 47 वस्त्र उद्योग के हैं। वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्री धनंजय कुमार ने कहा है कि मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने से वस्त्रोद्योग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृध्दि होगी।

`ऑपरेशन नॉलेज' परियोजना

सरकार ने देश की शैक्षणिक संस्थाओं के स्तर के उन्नयन के लिए `ऑपरेशन नॉलेज' परियोजना की कुल परिव्यय लागत वर्ष 2006 तक 3346 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एस. लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि, ``सरकार द्वारा अपनायी गयी ऑपरेशन नॉलेज नीति परियोजना पर आगामी छ: वर्षों में 3346 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।''

कंपनी नियंत्रण पर बिड़ला रिपोर्ट को मंजूरी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबध्द कंपनियों के लिए `कंपनी नियंत्रण संहिता' पर कुमारमंगलम बिड़ला की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसमें स्वतंत्र निदेशकों और लेखा परीक्षा समिति की नियुक्ति सहित कई अधिदेशात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की बात कही गयी है। यह संहिता ऐसी कंपनियों के लिए

बाध्यकारी होगी जो पहली बार सूची में स्थान पा रही हैं और जो मुंबई शेयर बाज़ार तथा एस एंड पी सी एन एक्स निफ्टी में मार्च 2001 से पहले ग्रुप-`ए' के अंतर्गत सूचीबध्द हैं।

शुक्रवार 8 दिसंबर 2000 को जारी प्रेस प्रकाशनी के अनुसार जिन लघु कंपनियों की न्यूनतम पूंजी 10 करोड़ रुपये हो या जिनकी शुध्द संपत्ति 25 करोड़ रुपये हो उन्हें मार्च 2002 से पहले उक्त संहिता का पालन करना होगा और जिन कंपनियों की पूंजी 3 करोड़ रुपये हो उन्हें मार्च 2003 तक निर्धारित मानदंडों की पूर्ति करनी होगी।

केन्द्र द्वारा बायोटेक पार्कस् की स्थापना

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार देश में आनेवाली बायोटेक क्रांति से बेखबर नहीं रहना चाहती है और इसीलिए वह दीर्घ प्रतीक्षित क्रांति का आरंभ करने के लिए `बायोटेक पार्कस्' की स्थापना कर रही है। ``बायोफार्मास्यूटिकल्स, प्रोटिन्स में उभरती प्रवृत्तियां और क्रोमैटोग्राफी की भूमिका'' पर आयोजित एक सम्मेलन में मानव संसाधन विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के केन्द्रीय मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि सरकार कृषि और खाद्य संसाधन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कई उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यमान अनुसंधान और विकास सुविधाओं को भी मजबूत करेगी और बायोटैक्नोलॉजी उत्पादों का विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र और कृषि ग्रामीण उद्योग द्वारा कार्यान्वयन और अंगीकरण किये जाने में सहायता देने की दृष्टि से प्रशिक्षण केन्द्र और प्रयोगशालाएं खोलेगी। श्री जोशी ने कहा कि बायोटैक्नोलॉजी की सहायता से संसाधित खाद्य सामग्री की पूरे विश्व में मांग बढ़ रही है इसलिए विभिन्न उद्योगों द्वारा बायोटेक का अधिकाधिक प्रयोग किये जाने से उत्पादन और निर्यात की गुणवत्ता बढ़ेगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बैंकों के रूप में परिवर्तित होने की संभावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नये बैंकों के प्रवेश पर संशोधित दिशानिर्देश जारी करके बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के अगले चरण की शुरुआत की है। केन्द्रीय बैंक ने न्यूनतम प्रारंभिक ईक्विटी पूंजी दुगुनी करके 200 करोड़ रुपये (42 मिलियन डालर) की और कहा है कि कारोबार शुरू करने के बाद तीन वर्षों के भीतर इसे बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।

माइक्रोसॉफ्ट पर 5 अरब डालर का मुकदमा

वाशिंग्टन के फेडरल जिला न्यायालय में माइक्रोसॉफ्ट पर रोजगार विभेद संबंधी 5 अरब डालर का मुकदमा दायर होगा। इस शिकायत में कंपनी पर कर्मचारियों का मूल्यांकन करने तथा साथ ही मुआवजे और सेवा-समाप्ति में किया जानेवाला विभेद संबंधी आरोप लगाया जायेगा।

सरकार द्वारा कर लक्ष्य की प्राप्ति

सरकार ने कहा है कि वह औद्योगिक मंदी के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1,46,000 करोड़ रुपये के कर राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करेगी और प्रत्यक्ष कर वसूली तो लक्ष्य से भी अधिक होगी। राजस्व सचिव श्री एस. नारायण ने संवाददाताओं से कहा कि, ``हम काफी प्रयास करेंगे (कर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए)। हम प्रत्यक्ष कर का 72,00 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और हमें पूरी आशा है कि हम अप्रत्यक्ष कर के लक्ष्यों को भी पूरा कर सकेंगे।''

विदेशी संस्थागत निवेशकों संबंधी मानदंड अब आसान

विदेशी संस्थागत निवेशकों को देशी कंपनियों में निवेश करने के लिए अब विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी नहीं लेनी होगी बशर्ते उनके द्वारा किये जानेवाले ऐसे निवेश क्षेत्रीय परिसीमाओं में और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुरूप हों। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और राष्ट्रमंडल विकास निगम (कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कारपोरेशन) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय कंपनियों में निवेश का स्वचालित मार्ग अपना सकते हैं।

(राशि करोड़ रुपयों में)

चयनित संकेतक*		**31 दिसंबर 1999**	**29 दिसंबर 2000**
1. कुल जमाराशियाँ	:	7,88,099	9,31,657
2. बैंक ऋण	:	4,10,464	4,95,247
3. ऋण-जमा अनुपात	:	52.08%	53.16%
4. नकद-जमा अनुपात	:	8.20%	7.87%
5. निवेश-जमा अनुपात	:	38.22%	38.22%

6. जनसंख्या समूह		रिपोर्ट करनेवाले कार्यालयों की संख्या	(कुल योग का प्रतिशत)	कुल जमाराशियां (करोड़ रुपयों में)	(कुल योग का प्रतिशत)	सकल बैंक ऋण (करोड़ रुपयों में)	(कुल योग का प्रतिशत)
ग्रामीण	जून 1999	32,850	(50.32)	1,02,998	(14.56)	41,157	(10.76)
	जून 2000	32,694	(49.82)	1,21,954	(14.75)	48,390	(10.16)
अर्धशहरी	जून 1999	14,159	(21.69)	1,38,204	(19.54)	46,306	(12.10)
	जून 2000	14,341	(21.86)	1,62,960	(19.70)	55,045	(11.55)
शहरी /	जून 1999	18,268	(27.99)	4,66,091	(65.90)	2,95,202	(77.14)
महानगरीय	जून 2000	18,586	(28.32)	5,42,168	(65.55)	3,72,994	(78.29)
योग	जून 1999	65,277	(100)	7,07,293	(100)	3,82,665	(100)
	जून 2000	65,621	(100)	8,27,082	(100)	4,76,429	(100)

टिप्पणी :

(1) मद संख्या 1 से 5 में दिये गये आंकड़े 31 दिसंबर 1999 और 29 दिसंबर 2000 की स्थिति दर्शाते हैं। ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिनांक 22 जनवरी 2000 और 13 जनवरी 2001 के ``वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट'' से लिये गये हैं तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

(2) मद सं. 6 में दिये गये आंकड़े जून 1999 और जून 2000 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति दर्शाते हैं। ये आंकड़े भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित, बैंकिंग सांख्यिकी से संबंधित जून 1999 और जून 2000 की तिमाही पुस्तिकाओं पर आधारित हैं।

जमाराशियों/ऋण की मात्रा के अनुसार सर्वोच्च स्तर के पच्चीस केन्द्र
जून 2000

(राशि लाख रुपयों में)

जमाराशियाँ					ऋण				
दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)	दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मुंबई	1,435	108841,95	12.2	1.	मुंबई	1,435	107569,69	35.5
2.	दिल्ली	1,318	89808,69	18.1	2.	दिल्ली	1,318	73136,96	34.5
3.	कलकत्ता	975	31551,03	11.0	3.	चेन्नई	753	28086,94	19.0
4.	चेन्नई	753	22903,32	17.9	4.	कलकत्ता	975	21232,56	21.2
5.	बंगलूर	733	21937,16	26.4	5.	बंगलूर	733	14147,83	17.1
6.	हैदराबाद	519	15850,99	22.7	6.	हैदराबाद	519	11918,77	17.7
7.	अहमदाबाद	480	9510,31	15.2	7.	अहमदाबाद	480	8808,27	25.4
8.	पुणे	313	8973,24	12.4	8.	पुणे	313	5202,54	28.0
9.	लखनऊ	228	8234,58	18.6	9.	कोयम्बतूर	180	4243,73	19.9
10.	चंडीगढ़	152	5881,70	15.2	10.	वड़ोदरा	188	4241,58	36.8
11.	जयपुर	230	5392,02	20.3	11.	लुधियाना	198	3796,58	23.4
12.	कानपुर	287	5337,80	14.5	12.	जयपुर	230	3723,14	23.0
13.	पटना	164	4916,67	22.8	13.	इन्दौर	167	3457,46	22.5
14.	वड़ोदरा	188	4900,32	17.0	14.	लखनऊ	228	3119,90	48.1
15.	जलंधर	148	4502,33	15.9	15.	चंडीगढ़	152	3090,62	-38.1
16.	लुधियाना	198	4250,74	17.6	16.	कोची	212	2939,86	24.9
17.	कोची	212	4218,50	10.9	17.	श्रीनगर	87	2245,35	3.1
18.	तिरुवनन्तपुरम	149	3862,32	14.5	18.	दोराहा	4	2167,95	32.9
19.	इन्दौर	167	3425,00	20.7				(82.87)	
20.	कोयम्बतूर	180	3304,79	24.5	19.	भोपाल	153	1908,54	21.8
21.	अमृतसर	151	3244,70	13.6	20.	कानपुर	287	1751,41	10.2
22.	नागपुर	161	3212,76	19.0	21.	तिरुवनन्तपुरम्	149	1724,63	39.5
23.	भोपाल	153	3127,53	18.7	22.	तिरुपुर	50	1679,33	15.2
24.	सूरत	162	2960,55	10.1	23.	विशाखापट्टणम्	126	1634,39	20.2
25.	वाराणसी	133	2536,14	15.7	24.	नागपुर	161	1597,31	21.5
					25.	सूरत	162	1438,03	17.2

(स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकी, तिमाही पुस्तिका - जून 2000)

कंप्यूटर परिभाषा कोश*

Memory Chip – स्मृति चिप : वह चिप, जो अपने में आंकड़े या प्रोग्राम निर्देश संग्रहीत करता है। स्मृति चिप अपने तथ्यों का एकाएक पहुंच स्मृति (RAM) की तरह अस्थायी रूप से या केवल पठनीय स्मृति (ROM) की तरह स्थायी रूप से जानकारी को संग्रहीत कर रख सकता है।

Memory Management – स्मृति प्रबंधन : इसके द्वारा कंप्यूटर स्मृति का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर पर निम्नलिखित प्रकार की स्मृतियां होती हैं -

Conventional Memory – पारंपरिक स्मृति : यह 640 किलोबाइट से कम क्षेत्र वाली स्मृति है।

Extended Memory – विस्तारित स्मृति : 80386 संसाधकों में 1 मेगाबाइट से अधिक स्मृति को विस्तारित स्मृति कहते हैं। विस्तारित स्मृति के लिए HIMEM.SYS जैसे प्रबंधकों की आवश्यकता होती है।

High Memory area – उच्च स्मृति क्षेत्र : विस्तारित स्मृति का प्रथम 64 किलोबाइट उच्च स्मृति क्षेत्र होता है।

Expanded Memory – विस्तारित स्मृति : पारंपरिक स्मृति से अधिक की स्मृति, जिसका प्रयोग डॉस (DOS) प्रोग्रामों द्वारा किया जाता है। कुछ स्मृति प्रबंधक, जैसे ई एम एम 386 आदि द्वारा एक्सटेंडेड मेमोरी को एक्सपांडेड मेमोरी में परिवर्तित किया जा सकता है, ताकि डॉस उनका इस्तेमाल कर सके। मूल पी सी में और डॉस के पहले के रूपों में एकाएक पहुंच स्मृति (रैम) की सीमाएं परिभाषित की गयी थीं।

Micro Computer – सूक्ष्म / माइक्रो कंप्यूटर : ऐसा कंप्यूटर, जो केवल एक चिप माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित हो। पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म बनाने की तकनीक का तेजी से विकास होने के कारण आज के माइक्रो कंप्यूटर कुछ वर्ष पहले के मेनफ्रेम के बराबर क्षमता से कार्य कर सकते हैं। आधुनिक सूक्ष्म कंप्यूटर काफी शक्तिशाली हैं। कुछ तो विगत वर्षों के मेनफ्रेम कंप्यूटरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। ये कम खर्चीले और ले जाने में आसान होते हैं तथा बिजली भी कम खर्च होती है।

Micro Processor – सूक्ष्म संसाधक : एक छोटा संसाधक, जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई (सी पी यू) एक ही चिप में लगी होती है। प्रथम सूक्ष्म संसाधक का विकास इंटेल द्वारा 1969 में किया गया। एप्पल मैकिंटॉश पर्सनल कंप्यूटरों में अक्सर प्रयोग किया जाने वाला संसाधक मोटरोला 680 x 0 श्रृंखला का होता है। इंटेल 80 x 86 परिवार के संसाधकों का उपयोग आइ बी एम और आइ बी एम संगत कंप्यूटरों के लिए किया जाता है। कंप्यूटरों के अतिरिक्त सूक्ष्म संसाधकों का प्रयोग माइक्रोवेव ओवन, वी सी आर और वाहनों से लेकर पॉकेट कैलकुलेटर, लेज़र प्रिंटरों और वाशिंग मशीनों में किया जाता है।

Mini Computer – लघु / मिनी कंप्यूटर : यह मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है। इस पर एक साथ 100 से भी अधिक प्रयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। यह कंप्यूटर छोटी कंपनियों, छोटे कार्यालयों या सरकारी विभागों के लिए उपयुक्त है। ये सूक्ष्म कंप्यूटरों और बृहत् कंप्यूटरों के बीच के होते हैं। इनकी कार्य-पद्धति मेनफ्रेम कंप्यूटरों से अधिक मिलती है, किंतु केंद्रीय संसाधन इकाई (सीपीयू) की कार्यक्षमता मेनफ्रेम कंप्यूटर के सी पी यू से कम होती है।

MIPS (Million Instructions Per Second) – मिप्स, दशलक्ष निर्देश प्रति सेकंड : यह कंप्यूटर की केन्द्रीय संसाधन इकाई (CPU) के संसाधन की गति मापने की इकाई है।

Monitor – मॉनिटर : एक प्रकार का दृश्य उपकरण है, जो पाठ एवं रेखचित्रों को स्क्रीन पर दिखाने में सक्षम होता है। यह कंप्यूटर का आउटपुट स्क्रीन पर दिखानेवाला डिवाइस होता है। मॉनिटर पर ही पाठ (टेक्स्ट) या ग्राफिक्स प्रदर्शित होता है।

Mother Board – मदर बोर्ड : वह दृढ़ फ्रेम, जिस पर परिपथ-पटल (सर्किट बोर्ड) लगे होते हैं। ये परिपथ बोर्ड ही कंप्यूटर प्रणाली के मुख्य अवयव होते हैं। मदर बोर्ड पर मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर तथा अन्य नियंत्रक कार्ड लगे होते हैं।

Mouse – माउस : यह एक छोटा-सा यंत्र होता है, जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर संचालन के लिए आदेश दिये जाते हैं। इसकी ऊपरी सतह पर चपटे बटन होते हैं (प्राय: दो बटन होते हैं)। सामान्यत: बायां बटन कर्सर के संचालन के लिए और दायां बटन कतिपय विशिष्ट कार्यों के लिए होता है। माउस की निचली सतह पर एक गोली होती है, जिसमें माउस के तीर को किसी दिशा में ले जाया जा सकता है। माउस से लगा तार (केबिल) कंप्यूटर से माउस को जोड़ता है। माउस की सहायता से कर्सर को पूरे स्क्रीन (मॉनिटर) पर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। माउस के तीर की सहायता से मॉनिटर पर बने आइकनों को सक्रिय किया जा

* 'कंप्यूटर परिभाषा कोश' भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, मुंबई - 400 005 द्वारा प्रकाशित कोश है। यहाँ पर उक्त कोश में से कतिपय चयनित शब्दों को लिया गया है।

सकता है । इतना ही नहीं भौतिक कुंजी पटल का अभ्यास न होने पर माउस की सहायता से प्रोग्राम में विद्यमान की बोर्ड को मॉनिटर के स्क्रीन पर लाकर अक्षरों को क्लिक करके टाइप का कार्य भी किया जा सकता है ।

Multilayer - बहुस्तरीय बोर्ड : यह एक मुद्रित परिपथ बोर्ड होता है, जिसमें परिपथ के कई स्तर लगे होते हैं । इन सतहों को लैमिनेट करके एक ही बोर्ड बनाया जाता है, ताकि उस पर अन्य उपकरण लगाये जा सकें ।

Multimedia Personal Computer - बहुसंचारी पर्सनल कंप्यूटर : मल्टिमीडिया अर्थात् ध्वनि, दृश्य, ग्राफ, एनीमेशन आदि से संबंधित कंप्यूटर । मल्टिमीडिया सॉफ्टवेयर विभिन्न माध्यमों को मिलाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे ध्वनि, दृश्य, ग्राफ आदि । अच्छे परिणाम हेतु कंप्यूटर पर कम से कम 8 या 16 एम बी स्मृति 600 एम बी से ज्यादा डिस्क स्थान, उच्च गति वाली सीडी-रॉम ड्राइव, डिस्प्ले कार्ड पर कम से कम 2 एम बी स्मृति, एक्सिलरेटर कार्ड, ध्वनि कार्ड, अच्छी क्वालिटी के स्पीकर तथा उचित सॉफ्टवेयर जरूरी हैं । बहुसंचारी कंप्यूटर विपणन परिषद में अनेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर / विक्रेता शामिल हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, जेनिथ डाटा सिस्टम, वीडियो सेवन, मीडिया विज़न और एन इ सी आदि शामिल हैं । यह परिषद बहुसंचारी पर्सनल कंप्यूटरों और उन पर चलने वाले सॉफ्टवेयरों के लिए मानक तय करती है । परिषद द्वारा निर्धारित स्तर-2 की विशिष्टताओं के अनुसार 25 मेगाहर्ट्ज पर चलने वाला 80486 एस एक्स, 8 मेगाबाइट की स्मृति, 160 मेगाबाइट तक भंडारण वाली हार्ड डिस्क, 300 K प्रति सेकंड की दर से संप्रेषित करने की क्षमता और दुगनी गतिवाला (300 के बी पी एस) सीडी-रॉम एक्स ए तथा 16 बिट वाले ध्वनि कार्ड की आवश्यकता पड़ती है ।

Multiprocessing - बहुसंसाधन : किसी प्रणाली की दो या ज्यादा माइक्रो प्रोसेसरों से एक कंप्यूटर पर कार्य कराने की क्षमता । इसमें विभिन्न प्रोसेसर एक ही प्रक्रिया के विभिन्न हिस्सों पर एक साथ कार्य करते हैं तथा कार्य काफी जल्दी सम्पन्न होता है । कैड (कंप्यूटर द्वारा डिजाइन) में बहुसंसाधन काफी उपयोगी होता है । संतुलित (symmetrical) बहुसंसाधन में परिचालन प्रणाली संसाधन का कार्य उपलब्धता के अनुसार अन्य संसाधक को सौंप देती है, जबकि असंतुलित बहुसंसाधन में यह अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित कार्य के लिए संसाधक का चुनाव मौलिक प्रोग्राम रचना के अनुरूप प्रोग्राम लिखे जाने के समय किया जाये ।

Multiscanning - मल्टीस्कैनिंग : वह मॉनिटर, जो पटल (स्क्रीन) को विभिन्न दरों पर स्कैन कर सके । ऐसे मॉनिटर मल्टीसिंक भी कहलाते हैं । हार्डवेयर विन्यास बदलने या वीडियो मोड में परिवर्तन करने पर मॉनिटर विभिन्न स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी पर काम कर स्क्रीन पर डाटा चित्र को विभिन्न स्टाइलों में दिखाता है ।

Non-Volatile Memory - स्थिर स्मृति : ऐसी स्मृति, जो विद्युत आपूर्ति रुक जाने पर अपनी विषयवस्तु को नष्ट नहीं होने देती । रॉम (ROM), इप्रॉम (EPROM) और ई-ई प्रॉम स्थिर स्मृतियां हैं ।

Notebook Computer - नोटबुक कंप्यूटर : एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर, जो किताब के आकार का और हल्का होने के कारण आसानी से उठाकर ले जाया जा सकता है । यह अंकशायी (लैपटॉप) कंप्यूटर से भी हलका होता है । इसका समतल स्क्रीन और की बोर्ड मुड़कर पुस्तक की तरह बंद हो जाते हैं । बैटरी तकनीक में हाल में हुई प्रगति से इसकी छोटी बैटरी को चार्ज करने के समय से नौ घंटे तक काम कर सकता है । बैटरी को पुनः चार्ज किया जा सकता है । कुछ मॉडल प्रोग्राम और आंकड़ों के संग्रहण के लिए परंपरागत हार्ड डिस्क की अपेक्षा फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य मॉडल रॉम (ROM) में अन्य व्यावसायिक एप्लिकेशन उपलब्ध कराते हैं । कुछ मॉडल अतिरिक्त सहायक उपकरण, जैसे मॉडेम, फैक्स मॉडेम और नेटवर्क कनेक्शन के लिए पी सी एम सी विस्तार उपलब्ध कराते हैं । नोटबुक के कुछ मॉडलों में हार्ड डिस्क के स्थान पर फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है ।

NS (Nanosecond) - नानोसेकंड : कंप्यूटर स्मृति (मेमोरी) और लॉजिक चिप की गति की माप की इकाई, जो सेकंड के अरबवें हिस्से के बराबर होती है । 25 मेगाहर्ट्ज या अधिक की गति से ऑपरेट करने वाले प्रोसेसर को 80 नानो सेकंड से अधिक तेज एक्सेस टाइम सहित डायनॅमिक रैम (गतिशील रैम) की आवश्यकता होती है, जबकि स्थैतिक रैम चिप 15 से 30 नानो सेकंड में पढ़ सकता है ।

Null - शून्य : एक ऐसा कैरेक्टर, जिसके सभी बाइनरी डिजिट शून्य (आस्की 0) पर सेट किये गये होते हैं और इस कारण उनका कोई मान नहीं होता । प्रोग्रामिंग में शून्य कैरेक्टर का इस्तेमाल अनेक विशेष प्रयोजनों के लिए होता है । उदाहरण के लिए `सी' भाषा में शून्य कैरेक्टर, कैरेक्टरों की लड़ी (स्ट्रिंग) के अंत को प्रदर्शित करता है ।

Numeric Key Pad - न्युमरिक की पैड, आंकिक कुंजी पैड : की बोर्ड पर दायीं ओर कैल्कुलेटर की तरह का कुंजियों का एक ब्लॉक होता है । इसका प्रयोग संख्याओं की प्रविष्टि/के लिए किया जाता है । इस पैड पर 0 से 9 तक संख्याएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए कुंजियों के साथ-साथ *एंटर की* भी होती है । यह *एंटर की* कभी-कभी मुख्य की बोर्ड की एंटर की से भिन्न होती है । एपल की बोर्ड

में *क्लियर की* भी होती है, जो किसी कैरेक्टर को मिटाने के लिए होती है । अनेक कुंजियां एक से अधिक कार्यों (जैसे कर्सर को नीचे, ऊपर, दायें और बायें ले जाने) के लिए भी प्रयुक्त होती हैं ।

Num Lock Key - नम लॉक की, न्युमरिक लॉक की : कुंजी पटल (की बोर्ड) की एक कुंजी, जो अंकों वाले कुंजी पैड की संख्याओं की प्रविष्टि और कर्सर के बीच के कार्यों का संचालन करती है । कुछ कुंजीपटलों में इस कुंजी के कार्यरत (ऑन) होने पर प्रकाश जलता रहता है ।

OCR (Optical Character Recognition) - प्रकाशीय संप्रतीक (कैरेक्टर) अभिज्ञान : मुद्रित या टाइप किये गये कैरेक्टरों की कंप्यूटर पहचान (अभिज्ञान) । यह पहचान सामान्यतः मानक प्रकाश स्कैनर और विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके की जाती है । कुछ प्रणालियां विशेष पठन-प्रणाली (रीडर) का भी प्रयोग करती हैं । कतिपय उन्नत प्रणालियां हस्तलिखित पाठ को भी पहचान सकती हैं ।

Open Architecture - खुली संरचना : कंप्यूटर की ऐसी डिजाइन, जो निर्माता या विक्रेता पर निर्भर नहीं होती और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती है तथा उद्योग के लोग इससे भली-भांति परिचित होते हैं । इस तरह की संरचना में प्रयोक्ता कंप्यूटर में विस्तार कार्ड लगाकर उसकी बनावट में यथोचित परिवर्तन कर सकता है ।

Pages Per Minute - पृष्ठ प्रति मिनट : लेजर प्रिंटर पर एक मिनट में मुद्रित किये जाने वाले पृष्ठों का मोटा अनुमान। यह संख्या सामान्यतः आउटपुट को मुद्रित किये जाने की प्रिंटर की गति की दर को दर्शाती है । पाठ को ग्राफिक्स के साथ मिलाने पर निष्पादन गति में कमी आ जाती है ।

Page-Mode RAM - पृष्ठ–मोड रैम : मेमोरी प्रबंध तकनीक, जो कि गतिशील रैम के निष्पादन को गति देने में प्रयुक्त होती है । पृष्ठ मेमोरी में विशिष्ट गतिशील रैम चिप के माध्यम से मेमोरी को पृष्ठों में विभाजित किया जाता है । उसी पृष्ठ पर मेमोरी के पतों (एड्रेस) पर लगातार संपर्क से पृष्ठ मॉडल चक्र प्राप्त होता है, जो कि गतिशील रैम वृत्त से लगभग आधा समय लेता है । उदाहरण के लिए, सामान्य गतिशील रैम चक्र 130 से 180 नानो सेकंड लेता है, जबकि विशिष्ट पृष्ठ मॉडल चक्र 30 से 40 नानो सेकंड में पूरा कर देता है ।

Paper Tape – कागज टेप : मजबूत कागज की रील, जिस पर सूचनाओं का अभिलेखन छिद्रों द्वारा किया जाता है ।

Partition - विभाजन : हार्ड डिस्क का एक भाग, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम यह मानता है कि यह एक अलग ड्राइव है । डॉस में हार्ड डिस्क को कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्राथमिक डॉस भाग विस्तारित डॉस भाग और गैर-डॉस भाग शामिल है । प्राथमिक डॉस भाग में कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण डॉस फाइलें होती हैं और सामान्यतः इसे `सी' ड्राइव कहा जाता है । विस्तारित डॉस भाग प्राथमिक डॉस भाग में शामिल न किये गये भाग को संचालित करने में मदद कर सकता है । गैर-डॉस भाग की आवश्यकता तभी होती है, जब कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करना होता है । यदि केवल डॉस पर ही काम करना हो तो गैर-डॉस भाग के लिए डिस्क स्पेस को अलग से रखने की आवश्यकता नहीं होती । `एफ डिस्क' कमांड का उपयोग करके भाग बनाये जा सकते हैं या परिवर्तित किये जा सकते हैं । फ्लॉपी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बांटी नहीं जा सकती, इसलिए इसमें कोई भाग नहीं हो सकते ।

PC - पी सी : पर्सनल कंप्यूटर के लिए संक्षिप्त शब्द । यह एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । इसकी अपनी केंद्रीय संसाधन इकाई (सी पी यू), मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कुंजी पटल और डिस्प्ले, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव तथा आवश्यकतानुसार अन्य उपकरण होते हैं । जब इसका संक्षिप्त रूप बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, तो इसका आशय यह है कि कंप्यूटर आइ बी एम मानदंडों के अनुरूप है, न कि मैकिंटॉश कंप्यूटर मानदंडों के । बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पूरा शब्द जैसे `पर्सनल कंप्यूटर' से आशय यह है कि कंप्यूटर आई बी एम द्वारा बनाया गया है ।

PDA (Personal Digital Assistant) - पी डी ए : वैयक्तिक अंकीय सहायता का संक्षिप्त रूप । छोटे पेन पर आधारित वामन (पामटॉप) कंप्यूटर, जिसमें फैक्स, ई-मेल और सामान्य वर्ड प्रोसेसिंग की सुविधा होती है । इसका उपयोग करना आसान होता है और इसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है । पी डी ए कई उत्पादकों, जैसे एपलस-न्यूटन और केसियो और टेंडी तथा ए टी एंड टी के उपलब्ध हैं ।

Pen-Based Computer - पेन पर आधारित कंप्यूटर : एक कंप्यूटर, जो लिखावट को एक इन्पुट के रूप में स्वीकार करता है । पेन जैसी सुई का उपयोग करके स्क्रीन पर समान रूप से प्रिंट किया जा सकता है और कंप्यूटर पैटर्न पहचान तकनीक का उपयोग करके इस इन्पुट का अनुवाद कर सकता है । सुई के द्वारा एक स्क्रीन मेनू से चुनाव भी किया जा सकता है । सितंबर 1991 से यू पी एस पार्सल लेने के लिए पेन पर आधारित प्रणाली का उपयोग कर रहा है । जब पैकेज दिया जाता है तो ड्राइवर डिलिवरी के स्तर पर बार कोड की बारीक जांच करता है और दबाव महसूस करने वाले स्क्रीन पर

हस्ताक्षर करता है । हस्ताक्षर को अंकीय करके बार कोड से जोड़ा जाता है और पैकेज की पहचान के लिए स्थानीय यू पी एस मेनफ्रेम दोनों को अपलोड किया जाता है । पी सी डॉस में पेन विस्तार माइक्रोसॉफ्ट विंडो और ओ एस/2 में उपलब्ध है।

Pentium - पेंटियम : 1993 में इंटेल द्वारा प्रारंभ किया गया 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर.x86 नामाभिधान पर अपना नियंत्रण बनाये रखने के लिए चले लंबे न्यायिक मुकदमे को हारने के बाद इंटेल ने परिवार के अद्यतन संस्करण का नाम 80586 या 586 रखने के बजाय पेंटियम रखा । पेंटियम, माइक्रोप्रोसेसर के 80486 परिवार के अद्यतन संस्करण को दर्शाता है और इसमें कई विशिष्ट उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, जैसेकि 8 किलो बाइट अनुदेश कोड, डाटा कैश, फ्लोटिंग प्वाइंट प्रोसेसर का अंतर्निहित होना और मेमोरी प्रबंधन इकाई, सुपरस्केलर डिज़ाइन और दोहरी पाइप लाइनिंग, जो पेंटियम को एक से अधिक अनुदेशों के अनुपालन की सुविधा देती है। अब यह 400 मेगाहर्ट्ज और 450 मेगाहर्ट्ज संस्करण में उपलब्ध है । पेंटियम 31 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर 80486 की तुलना में दुगुने से अधिक कार्य कर चकित कर सकता है। प्रति सेकंड 11 करोड़ 20 लाख अनुदेशों का अनुपालन कर सकता है । आजकल 500 मेगाहर्ट्ज का पेंटियम-III भी उपलब्ध है ।

Peripherals / Peripheral Devices - सहायक यंत्र या उपकरण : कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण एवं यंत्र, जो कंप्यूटर पर किये जाने वाले विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं । इनमें मॉनिटर, कुंजीपटल, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सी डी-रॉम डिवाइस, प्रिंटर, माउस, टेप ड्राइव और जॉयस्टिक शामिल हैं ।

PG Up / PG Down Keys - पेज अप / पेज डाउन कुंजी : की बोर्ड पर दायीं ओर मध्य में दो कुंजियां, जो कर्सर के संचालन में प्रयुक्त होती हैं । प्रयुक्त एप्लिकेशन के आधार पर ही ये कुंजियां कार्य करती हैं । ये कर्सर को विद्यमान शब्द या सेल के प्रारंभ से अंत तक या विद्यमान लाइन के प्रारंभ से लेकर अंत तक या विद्यमान विंडो या स्क्रीन के प्रारंभ से लेकर अंत तक या कुछ मामलों में विद्यमान फाइल के प्रारंभ से लेकर अंत तक ले जा सकती हैं ।

Physical Drive – फिजिकल ड्राइव : कंप्यूटर में लॉजिक ड्राइव की अपेक्षा एक स्थूल उपकरण, जिसे देखा या स्पर्श किया जा सकता है । लॉजिकल ड्राइव हार्ड डिस्क का ही एक भाग होता है, लेकिन इस तरह कार्य करता है कि वह हार्ड डिस्क ड्राइव से अलग लगे । एक फिजिकल ड्राइव को कई लॉजिकल ड्राइवों में बांटा जा सकता है ।

Pin-Compatible - पिन संगत : चिप या अन्य विद्युतीय घटकों का विवरण, जिसकी पिनों का मेल विभिन्न उपकरणों में प्रयुक्त जोड़ने वाली पिनों के साथ होता है । यह सिस्टम को उन्नत करने में सहायक होता है । पुराने चिप की जगह इस नये अधिक शक्तिशाली चिप को लगाया जा सकता है ।

Pinfeed - पिनफीड : प्रिंटर में कागज लगाने की एक प्रक्रिया । प्रिंटर की प्लेट के दोनों किनारों पर गोल पिनें लगी होती हैं, जो कागज को रोके रखती हैं और प्रिंट करते समय कागज को प्रिंट हेड के सामने से चलाये रखती हैं ।

Pixel - पिक्सेल, कणिका : तस्वीर का सबसे छोटा भाग । डिस्प्ले सॉफ्टवेयर का सबसे छोटा भाग, जो पाठ या ग्राफिक्स बनाने में सहायक होता है । डिस्प्ले रिजोल्यूशन को 640 X 480 कहा गया है । इसमें स्क्रीन पर 640 पिक्सेल आड़े होते हैं और 480 पिक्सेल खड़े (vertical) होते हैं । स्क्रीन पर कुल मिलाकर 307200 पिक्सेल होते हैं । पिक्सेलों की संख्या जितनी अधिक होगी, स्क्रीन रिजोल्यूशन उतना ही बेहतर होगा । मोनोक्रोम पिक्सेल में दो रूप होते हैं-काले और सफेद और इसे एक बिट (शून्य या एक) के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है । स्केल के दूसरी तरफ लगभग एक करोड़ 67 लाख रंगों को डिस्प्ले करने के लिए वास्तविक रंग होते हैं । इसमें प्रत्येक पिक्सेल के लिए 24 बिट की आवश्यकता होती है । आजकल 1064 x 1280 के मॉनिटर भी उपलब्ध हैं ।

Plotter – प्लॉटर : एक उपकरण, जो उत्कृष्ट चार्ट, ग्राफ, लेआउट और अन्य लाइनों पर आधारित चित्रों को बनाने में प्रयुक्त होता है और सामान्यत: कैड (कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन) सिस्टम के साथ प्रयुक्त होता है ।

Plug Compatible – प्लग संगत : किसी ऐसे हार्डवेयर डिजाइन का वर्णन करता है, जो दूसरी कंपनियों द्वारा बनाये गये डिवाइस की तरह ही काम करता है । उदाहरण के लिए, बाह्य मॉडेम प्लग-संगत होते हैं, जिनमें बिना केबलिंग या कनेक्टर बदले एक को बदलकर दूसरा लगाया जा सकता है।

PMMU (Paged Memory Management Unit) – पेज स्मृति प्रबंधन यूनिट / इकाई : आभासी स्मृति (वर्चुअल मेमोरी) के प्रबंधन के लिए बनाया गया विशेष चिप, उच्च स्तरीय प्रोसेसर, जैसे मोटरोला 68030 और 68040 और इंटेल 80386 और उसके बाद के प्रोसेसरों में पी एम एम यू के सभी कार्य होते हैं, जो उनकी चिप में ही अंतर्निहित होते हैं ।

Port - पोर्ट, संद्वार : एक हार्डवेयर प्लेटफार्म से दूसरे हार्डवेयर प्लेटफार्म में एक प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम को ले जाना । उदाहरण के लिए विंडोज एन टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का आशय है कि एक समान ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेल और रिस्क आर्किटेक्चर दोनों पर कार्य कर सकता है । *(अगले अंक में जारी)*

फेमा के अन्तर्गत विदेश यात्रा

सारांश

रिज़र्व बैंक ने एक व्यापक परिपत्र जारी किया है जिसमें विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने संबंधी सभी निदेश दिये गये हैं।

- भारत में निवासी व्यक्तियों को विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अधीन बनाये गये नियमों का पालन करना चाहिए।
- नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी नहीं की जाती है।
- कतिपय सीमाओं से अधिक विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।
- सीमाओं से अधिक विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्र विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाने चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवेदक कार्य/निवास करता है।

सीमाएं

- मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू) के अन्तर्गत मौजूदा सीमा 5,000 अमेरिकी डालर है। यात्री को बेची जा रही समग्र विदेशी मुद्रा में से विदेशी मुद्रा तथा सिक्कों के रूप में निर्धारित सीमाओं तक मुद्रा बेची जा सकती है :

	यात्रा का स्थान	राशि
(i)	इराक, लीबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रूस महासंघ और अन्य रिपब्लिक्स ऑफ कॉमनवेल्थ के स्वतंत्र राज्यों के अलावा अन्य देशों को	500 अमेरिकी डालर अथवा उसके समकक्ष से अधिक नहीं ।
(ii)	इराक अथवा लीबिया को जानेवाले यात्रियों को	5000 अमेरिकी डालर अथवा उसके समकक्ष से अधिक नहीं।
(iii)	इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रूस महासंघ और अन्य रिपब्लिक्स ऑफ कॉमनवेल्थ के स्वतंत्र राज्यों को जानेवाले यात्रियों को	पूरी विदेशी मुद्रा जारी की जाती है ।

व्यक्तिगत यात्राएं

व्यक्तिगत यात्रा के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को विदेशी मुद्रा जारी की जा सकती है जो भारत से बाहर किसी भी प्रयोजन के लिए, यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा लेना चाहता हो।

सांस्कृतिक दौरे

नृत्य मंडलियों, कलाकारों आदि को, यदि वे सांस्कृतिक प्रयोजन के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वे अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के संबंध में सिफारिश के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विभाग), भारत सरकार को आवेदन करें। प्राधिकृत व्यापारी मंत्रालय से प्राप्त मंजूरी के आधार पर उन्हें उसमें दर्शायी गयी सीमा तक कुछेक शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा जारी करें।

दौरे के लिए प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी यात्री के अनुरोध पर उसके द्वारा यात्रा के प्रस्तावित देशों में उसके होटल कमरा, यात्रा व्यवस्था आदि के लिए यथोचित सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रेषित कर सकते हैं बशर्ते यह राशि यात्री द्वारा उस प्राधिकृत व्यापारी से खरीदी गई विदेशी मुद्रा (निजी विदेशी यात्रा के लिए आहरित विदेशी मुद्रा सहित) में से ही है।

चिकित्सा

विदेश यात्रा पर यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया हो तो उसे भारत के बाहर चिकित्सा उपचार हेतु विदेशी मुद्रा जारी की जाये।

एजेंटों के लिए प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी भारत में ऐसे एजेंटों, जिनकी होटलों में कमरे अथवा भारत से यात्रियों के लिए अन्य यात्रा व्यवस्थाओं के लिए विदेशों में होटलों /एजेंटों आदि के साथ तालमेल व्यवस्था है, के अनुरोध पर प्रेषण कर सकते हैं, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हों कि यह प्रेषण संबंधित यात्री द्वारा प्राधिकृत व्यापारी से (निजी विदेश यात्रा के लिए आहरित विदेशी मुद्रा सहित) खरीदी गई विदेशी मुद्रा में से ही किया जा रहा है।

अग्रिम प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी किसी भी चालू खाता लेनदेन, जिसके लिए विदेशी मुद्रा जारी करना स्वीकार्य है, के लिए अग्रिम प्रेषण करने की अनुमति दें बशर्ते अग्रिम प्रेषण की राशि 25,000 अमेरिकी डालर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक नहीं है। जहां राशि 25,000 अमेरिकी डालर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक है, वहां विदेशी हिताधिकारी से भारत के बाहर स्थित किसी प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से, यदि ऐसी गारंटी भारत के बाहर स्थित किसी प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की काउंटर गारंटी पर जारी की गयी है, गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी यह भी सुनिश्चित करे कि अग्रिम प्रेषण के हिताधिकारी ने भारत में प्रेषणकर्ता के साथ संविदा के अंतर्गत अथवा करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा किया है।

रुपयों में भुगतान

प्राधिकृत व्यापारी विदेश यात्रा (निजी यात्रा अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए) के लिए विदेशी मुद्रा की बिक्री पर 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) तक नकद भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। जब कभी विदेशी मुद्रा की बिक्री 50,000 रुपये की समतुल्य राशि से अधिक हो तो भुगतान आवेदक के बैंक खाते पर आहरित रेखित चेक अथवा फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर

आहरित रेखित चेक अथवा बैंकर चेक/भुगतान आदेश/डिमांड ड्राफ्ट के जरिये ही प्राप्त किया जाये।

जहां आहरित विदेशी मुद्रा की रुपये की समतुल्य राशि किसी एकल आहरण या किसी एकल यात्रा/दौरे के लिए एक से अधिक आहरणों को एक ही आहरण मानते हुए 50,000 रुपये से अधिक है तो यह ऊपर बताये गये अनुसार चेक अथवा ड्राफ्ट द्वारा अदा की जानी चाहिए।

विदेशी मुद्रा के उपयोग पर अनुवर्ती कार्रवाई

जहां प्राधिकृत व्यापारी ने विदेश में चिकित्सा उपचार अथवा चिकित्सा जाँच आदि जैसे मामलों के लिए अनुमानों के आधार पर विदेशी मुद्रा जारी की है, वहां प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि आवेदक द्वारा वास्तविक व्ययों के ब्यौरे प्राधिकृत व्यापारी की विदेशी मुद्रा जारी करनेवाली शाखा को भारत में यात्री के लौटने से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। उचित समय के भीतर ब्यौरे प्रस्तुत न करने पर रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन आवेदक निवास करता है, को सूचित किया जाना चाहिए।

खर्च न की गयी मुद्रा

यात्री द्वारा भारत में वापस लायी गयी खर्च न की गयी विदेशी मुद्रा प्राधिकृत व्यापारी को, यदि खर्च न की गयी विदेशी मुद्रा करेन्सी नोटों के रूप में है, रुपयों में भुगतान पर यात्री के वापस लौटने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सुपुर्द करनी चाहिए। यदि इस प्रकार की विदेशी मुद्रा यात्री चेकों के रूप में है तो उक्त मुद्रा को प्राधिकृत व्यापारी को वापसी की तारीख से 180 दिनों के भीतर वापस लौटानी चाहिए। इस प्रकार वापस लायी गयी विदेशी मुद्रा का उपयोग ऊपर बतायी गयी अवधि के दौरान यात्री अपनी बाद की विदेशी यात्राओं के लिए कर सकता है। तथापि वापस आये हुए यात्रियों को 2000 अमेरिकी डालर की समग्र राशि तक यात्री चेक और नोटों के रूप में विदेशी मुद्रा और बिना किसी सीमा तक सिक्के अपने पास रखने के लिए अनुमति भी दी गई है। इस प्रकार अपने पास रखी गयी विदेशी मुद्रा का उपयोग यात्री बाद के अपने विदेश दौरे के लिए कर सकता है।

अलबत्ता, यदि कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा लौटाने के लिए प्राधिकृत व्यापारी से निर्धारित अवधि के बाद संपर्क करता है तो प्राधिकृत व्यापारी को इस आधार पर विदेशी मुद्रा खरीदने से इनकार नहीं करना चाहिए कि निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है।

विदेशी मुद्रा वापस लौटाने की अवधि

यदि किन्हीं उद्देश्यों के लिए खरीदी गई विदेशी मुद्रा उन उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है जिसके लिए विदेशी मुद्रा की खरीदी अथवा अर्जन फेमा 1999 के उपबंधों अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा विनियमावली के अंतर्गत अनुमत है, उक्त मुद्रा अथवा उसके उपयोग न किये गये किसी भाग को प्राधिकृत व्यक्ति को उसकी खरीद की तारीख से साठ दिनों के भीतर वापस लौटाना आवश्यक है।

यदि कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा लौटाने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से 60 दिनों के बाद संपर्क करता है तो प्राधिकृत व्यक्ति को इस आधार पर विदेशी मुद्रा खरीदने से इनकार नहीं करना चाहिए कि 60 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है ।

क्रिया विधि

एजेंटों के लिए खाता खोलना

प्राधिकृत व्यापारी भारत में ऐसे एजेंटों के नाम पर विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं जिनकी भारत से यात्रियों के लिए होटल कमरे अथवा अन्य यात्रा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए विदेश में होटलों/एजेंटों आदि के साथ तालमेल व्यवस्था है बशर्ते

क) खाते में जमा निम्नलिखित को जमा करके लिखा गया है।
   i) यात्रियों से विदेशी मुद्रा में की गयी वसूलियां और
   ii) बुकिंग/यात्रा व्यवस्था आदि के निरस्त किये जाने के कारण भारत के बाहर से प्राप्त राशियां, और

ख) विदेशी मुद्रा में नामे उक्त (ii) के अनुसार भारत से बाहर होटल कमरे, यात्रा व्यवस्थाओं आदि के लिए किये गये भुगतान के लिए।

- जहां परमिट/अनुमोदन रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किये गये हैं, वहां विदेशी मुद्रा की बिक्री परमिट/अनुमोदन पर उल्लिखित वैधता अवधि के भीतर की जानी चाहिए और इस तरह की बिक्री परमिट/मूल अनुमोदन के पीछे पृष्ठांकित की जानी चाहिए ।
- जहां यात्री व्यक्तिगत यात्रा के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए विदेश जा रहा है, वहां प्राधिकृत व्यापारियों को यात्रियों के पासपोर्ट पर विदेश यात्रा के लिए बेची गई विदेशी मुद्रा अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। जहां कहीं विदेशी मुद्रा व्यक्तिगत यात्रा के लिए बेची गई है, वहां इसे यात्री के पासपोर्ट पर प्राधिकृत व्यापारी की मुहर, तारीख और हस्ताक्षर के अधीन अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।
- प्राधिकृत व्यापारी, यदि यात्री अनुरोध करे तो, व्यक्तिगत विदेश यात्रा के अलावा अन्य यात्रा के लिए बेची गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे अपनी मुहर और हस्ताक्षर के अधीन रिकार्ड करें।
- यदि कोई बच्चा माता-पिता के पासपोर्ट पर यात्रा करता है तो उस मामले में पृष्ठांकन संयुक्त पासपोर्ट पर करना चाहिए।
- यात्रा चेक जारी करने के मामले में यात्री को चेकों पर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करना चाहिए और यात्री चेकों की प्राप्ति के बारे में खरीदार की प्राप्ति सूचना विधिवत संभाल कर रखी जानी चाहिए।
- विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा की बिक्री करने से संबंधित फार्म ए2 को प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए अपने आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापन करने के उद्देश्य के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ सुरक्षित रखा जाये।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के नवंबर 2000 अंक से साभार)

मुद्रा प्रबंधन

पृष्ठभूमि

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केन्द्रीय बैंक द्वारा आम जनता को अपेक्षाकृत अच्छी क्वालिटी के नोट उपलब्ध कराये जाने चाहिए, गवर्नर महोदय ने वर्ष 1999 में स्वच्छ नोट नीति घोषित की थी। यह वर्ष बैंक के कार्यालयों और वाणिज्य बैंकों की ओर से इस नीति को लागू करने की दिशा में प्रयासों का साक्षी रहा। यह नीति जारी है और उसे जारी रहना चाहिए। पिछले दो वर्षों के दौरान सभी कार्यालयों ने भी एक, दो और पांच रुपये मूल्यवर्ग के तथा 500 रुपये के पुराने डिज़ाइन के नोटों को इकट्ठा करने के प्रयास किये हैं।

परिचालन में नोटों की मात्रा 1935 के 172 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2000 में 2,01,141 करोड़ रुपये हो गयी। नकद लेनदेनों की ओर जनता का बढ़ता रुझान, गलत तरीके से नोटों के लेनदेन की आदतों के कारण नोटों की बहुत कम उम्र और मुद्रा की जरूरत की लगातार वृद्धि से मांग सूची, प्रबंध, वितरण तथा मुद्रा के लेनदेन के रूप में बैंक पर बहुत अधिक बोझ पड़ता है। 1935 में 10 करोड़ नोटों की जरूरत पूरी करने के लिए अपनायी गयी प्रणाली तथा क्रियाविधियां नयी शताब्दी में परिचालन में बहुत बड़ी मात्रा में नोटों का काम नहीं निपटा सकती हैं। मुद्रा के लेनदेन में बहुत हद तक पुराने जमाने की प्रणालियां तथा क्रियाविधियाँ ग्राहकों को सेवा देने में गुणवत्ता तथा कुशलता पर असर डालती हैं। इस बात को रोजाना लेनदेन में गंदे, कटे-फटे तथा जीर्ण-शीर्ण नोटों के लगातार प्रयोग से देखा जा सकता है। इससे बैंक की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरह से मुद्रा प्रबंधन क्षेत्र में समस्या का निदान करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।

गंदे नोट निपटान में तेजी लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने कुछ कार्यालयों में नायक समिति की सिफारिशों के अनुसार गंदे नोटों की जांच के लिए संशोधित क्रियाविधि शुरू की है। इसके अंतर्गत मौजूदा नोट परीक्षण अनुभाग (एनईएस) को नये नोट परीक्षण अनुभाग में बदल दिया गया था। एनएनईएस के अंतर्गत औसत कार्य परम्परागत एनईएस की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक होता है।

इस बात में कोई शक नहीं है कि छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के बदले सिक्के जारी करने से परिचालन में नोटों की कुल मात्रा सीमित रखने में मदद मिली है। फिर भी, निपटान क्षमता तथा नोटों की प्रोसेसिंग के लिए अपेक्षित नोटों के बीच अंतराल लगातार बढ़ता जा रहा है।

नायक समिति की सिफारिशों के अनुसार एनईएस की शुरूआत के अलावा रिज़र्व बैंक ने 1998 में भोपाल तथा चंडीगढ़ में करेन्सी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की उच्च प्रौद्योगिकी (सीवीपीएस) को भी अपनाया है।

नजरिया

मुद्रा प्रबंधन की समस्या की पहचान के लिए तथा उन्हें सुलझाने के संभावित प्रयासों के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के विचार मांगे गये थे। इसके अतिरिक्त मुद्रा प्रबंध विभाग के मुख्य महाप्रबंधक तथा अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेशक, चेन्नई, प्रभारी अधिकारी, भायखला तथा मुख्य महाप्रबंधक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय से विस्तृत विचार-विमर्श किये गये। अधिकतर कार्यालयों तथा समूह के सदस्यों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर पता लगायी गयी समस्याएँ इस प्रकार हैं :

समस्याएं

i) मुद्रा तिजोरियों में हटाये जाने के इंतज़ार में बहुत अधिक मात्रा में गंदे नोट जमा होना।

ii) हालांकि इधर के वर्षों के दौरान मुद्रा की मांग बढ़ रही है, मुद्रा तिज़ोरियों में उपलब्ध स्थान वही रहा है।

iii) भंडारण क्षमता के संबंध में रिज़र्व बैंक के लगभग सभी कार्यालयों में इसी तरह की समस्या है।

iv) हालांकि रिज़र्व बैंक के लगभग सभी कार्यालयों में नये नोटों की पर्याप्त मात्रा मौजूद है, वे स्थान की कमी के कारण और मुद्रा तिजोरियों से गंदे नोट हटाये जाने में रिज़र्व बैंक की असमर्थता के कारण तिजोरियों को प्रेषण भेजने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

v) मुद्रा तिजोरियाँ रिज़र्व बैंक को विधिवत छांटे गये नोट नहीं भेजतीं।

vi) वाणिज्य बैंकों द्वारा जनता को कटे-फटे/दोषपूर्ण नोट के बदले दूसरी मुद्रा उपलब्ध कराने में हिचकिचाहट।

vii) रेलवे जैसे ग्राहकों से दैनिक आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में नोट प्राप्त होना।

viii) मुद्रा तिजोरियों में निरंतर आधार पर प्रेषण भेजने में पुलिस तथा रेलवे से सहायता मिलने में समस्या।

ix) पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचार/विद्रोह की समस्या के कारण गुवाहाटी कार्यालय सात अलग-अलग राज्यों को प्रेषण भेजने में विशिष्ट प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। भौगोलिक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में तथा विद्रोह की समस्या के कारण खज़ाने का प्रेषण मणिपुर तथा नागालैंड के लिए सड़क मार्ग द्वारा प्रतिबंधित है।

x) लगभग सभी कार्यालयों में नकदी विभागों में स्टाफ की कमी।

xi) अंतर-राज्यीय प्रेषणों में पुलिस एस्कॉर्ट ।

xii) नेपाल राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त प्रेषणों के संबंध में पटना कार्यालय की विशिष्ट समस्या।

xiii) नकली नोटों में उछाल - इसके परिणामस्वरूप जनता के दिमाग में, यहां तक कि नये डिज़ाइन के 500 रुपये के नोट स्वीकार करने में भी शंकाएँ।

xiv) हालांकि रिज़र्व बैंक में श्रेणी III की एसोसिएशन/यूनियन तथा श्रेणी IV कर्मचारियों की यूनियन है और उनके साथ केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर समझौता किया जा चुका है, फिर भी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्थानीय एसोसिएशन/यूनियन कतिपय रुकावट डालने वाले व्यवहार अपनाते रहते हैं।

xv) नोट जांच अनुभागों में कामकाज की विकट परिस्थितियाँ।

xvi) जनता द्वारा विनिमय करने के काउंटरों का परिचालन संतोषजनक नहीं है। सभी कार्यालयों द्वारा जनता सेवा के लिए एकल खिड़की संकल्पना शुरू नहीं की गयी है। स्टाफ की ओर से विरोध होता है।

सुझाव

i) निर्गम कार्यालयों में नकदी के निपटान के लिए मौजूदा प्रणाली तथा क्रियाविधियों की व्यापक समीक्षा आवश्यक है ताकि गतिशील, सहज कार्य की सुविधा के लिए बैंकिंग तथा प्रौद्योगिकी में हाल ही की प्रगति को दर्शाया जा सके। आवश्यक सुरक्षा पहलू के महत्व को बरकरार रखते हुए इस प्रगति के लिए निर्गम विभाग मैन्युअल को पूरी तरह बदलने की भी जरूरत है। प्रसंगवश, संशोधित मैन्युअल को और अधिक आधुनिक और पाठक के प्रति मित्रवत शैली में लिखा जाना चाहिए। मौजूदा प्रणालियों तथा कार्यविधियों को बदलने के साथ-साथ मशीनीकरण/ऑटोमेशन को अपनाया जाना चाहिए और उसके साथ उत्पादकता को बढ़ाया जाये और अड़चन डालनेवाले व्यवहारों को समाप्त किया जाये।

ii) लम्बे अरसे के लिए सोचें तो इस दृष्टि से सोचने की जरूरत होगी कि धीरे-धीरे मुद्रा के बदले डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड तथा अलग-अलग तरह के बैंक विलेख लाये जायें ताकि मुद्रा का उपयोग केवल छोटी मात्रा में छोटे मूल्यवर्ग के लेनदेनों के लिए हो। आवश्यक उपायों, शैक्षणिक अभियानों और ऐसी कुछ सीमित अवधि के लिए भुगतानों के गैर-मुद्रा विलेखों पर आर्थिक सहायता के मिले-जुले रूप पर विचार किया जा सकता है ताकि देश में मुद्रा के लिए बहुत बड़ी मांग को कम किया जा सके।

iii) कई कारणों से मुद्रा तिजोरियाँ उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी है जिनके लिए उन्हें बनाया गया था। इस बात की जरूरत है कि तिजोरी रखने वाले बैंकों को अनुदेश दिये जायें कि वे जनशक्ति तथा आधारभूत सहायता के रूप में मुद्रा तिजोरियों को प्राथमिकता क्षेत्र समझें। रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने में मुद्रा तिजोरियों द्वारा किये गये प्रयासों तथा प्रगति की निरंतर आधार पर निगरानी की जानी चाहिए और प्रोत्साहन सह दंड वाली प्रणाली शुरू करने की संभावना पर विचार किया जाये।

iv) तिजोरी स्तर पर अतिरिक्त भंडारण क्षमताएँ तैयार करने की जरूरत है। तिजोरी नेटवर्क बढ़ाये जाने की जरूरत है। वर्तमान में 70 प्रतिशत से अधिक तिजोरियाँ भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंकों के पास है। इस बात की जरूरत है कि सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों पर और अधिक मुद्रा तिजोरियाँ खोलने के लिए दबाव डाला जाये। इसके लिए मानदंड कुल शाखा नेटवर्क के प्रेषण के आधार पर होने चाहिए। मुद्रा तिजोरियां खोलने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों तथा सहकारी बैंकों पर भी विचार किया जा सकता है।

v) प्रेस से नये नोटों की आपूर्ति की वर्तमान प्रणाली की कुशलता, निकटता तथा तर्कसंगतता आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि जमा/ऋण के आकार के अनुसार 100 ऐसे सर्वोच्च केंद्रों पर, जहां यह माना जाता है कि मुद्रा नोट की मांग अधिक है, नोडल मुद्रा शाखा पर नये नोट, मुद्रणालय से सीधे ही वहां भेज देने चाहिए । ये शाखाएँ नोटों को अन्य मुद्रा तिजोरियों में

वितरित करेंगी। ऐसे केन्द्रों पर जहाँ रिज़र्व बैंक के कार्यालय मौजूद हैं, वे नोट मुद्रणालय से प्रेषण सीधे ही प्राप्त करते रहेंगे।

vi) नये नोटों की आपूर्ति की तरह ही तिजोरी नोटों की प्रोसेसिंग भी रिज़र्व बैंक के स्टाफ के पर्यवेक्षण के अधीन होनी चाहिए। इन सभी केंद्रों पर सीवीपीएस प्रणाली उपलब्ध कराने की जरूरत होगी।

vii) मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत तिजोरियों द्वारा नये नोटों का प्रेषण एक-एक नोट की गणना करके किया जाता है जिसकी वजह से रिज़र्व बैंक के पोतदारों को बहुत लम्बे अरसे तक रुके रहना पड़ता है। शुरूआत के तौर पर मुद्रा तिजोरियों को चाहिए कि वे 10 रुपये के ऊपर के प्रेषणों को पैकेटों की गिनती के आधार पर स्वीकार करें।

viii) प्रत्येक रिज़र्व बैंक निर्गम कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संसाधन की मौजूदा प्रणाली खज़ाने की आवाजाही में समस्याएँ उत्पन्न कर रही है। इसे निकटता तथा उपलब्ध परिवहन संपर्कों के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। यहां तक कि नये वर्गीकरण के अंतर्गत क्षेत्राधिकार लचीला होना चाहिए और दो कार्यालयों के बीच में आवश्यकता तथा करारों के आधार पर होना चाहिए।

ix) भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में पड़े गंदे नोटों के निपटान की प्रणाली में तेजी लाने के लिए एक, दो, पांच तथा दस रुपये मूल्यवर्ग के नोटों का निपटान अनिवार्य रूप से आशोधित क्रियाविधि के अंतर्गत किया जाये।

x) सभी कार्यालयों में कम से कम दो आशोधित क्रियाविधि अनुभाग होने चाहिए। मौजूदा नोट जांच अनुभागों को नायक समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार नये नोट जांच अनुभागों में परिवर्तित किया जाए।

xi) भोपाल कार्यालय में स्थापित सीवीपीएस प्रणाली सुव्यवस्थित हो गयी है और कार्यक्षम है। इस केंद्र को मशीनीकृत प्रोसेसिंग केंद्र (मैकेनाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो अन्य कार्यालयों के 100 और 500 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों की प्रोसेसिंग की आवश्यकता पूरी कर सकेगा। उच्चतम गति की दो या तीन मशीनें लगायी जा सकती हैं। तथापि अतिरिक्त स्टाफ के बारे में उनके द्वारा किये गये अनुरोध, जो पिछले दो वर्षों से लंबित हैं, पर प्राथमिकता आधार पर विचार किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ कार्यालय के लिए भी इसी तरह की स्थिति सोची जा सकती है।

xii) उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों के लिए सीवीपीएस प्रणाली अत्यंत उपयुक्त पायी गयी है। तकरीबन सभी कार्यालयों ने सीवीपीएस स्थापित करने का सुझाव दिया है। सभी कार्यालयों में सीवीपीएस स्थापित करने का अनुमोदन किया जाना चाहिए।

xiii) दिनांक 31 अक्तूबर 2000 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लंबित 10 रुपये मूल्यवर्ग तक के सभी नोटों को आशोधित क्रियाविधि के अंतर्गत नष्ट किया जाना चाहिए।

xiv) बीस रुपये और पचास रुपये मूल्यवर्ग के नोटों को भी नोट गणना मशीनों के जरिए उच्चतर प्रतिशत सत्यापन के साथ आशोधित क्रियाविधि के दायरे में लाया जाना चाहिए।

xv) रेलवे आदि द्वारा दैनिक रूप से प्राप्त किये जानेवाले करेंसी नोट, जो गारंटी के अंतर्गत रखे जाते हैं, स्वयं उनके द्वारा ही निपटाये जायें। उन्हें सीवीपीएस स्थापित करने के लिए सूचित किया जाये। उन्हें यह भी सूचित किया जाये कि वे पुनः जारी करने योग्य नोटों के पैकेटों पर अपनी पर्ची लगायें, और जब वे भारतीय रिज़र्व बैंक से आहरण के लिए आयें तो उन्हें ऐसे नोट जारी किये जा सकते हैं। उन्हें यह भी सूचित किया जाये कि वे नकदी की अपनी मासिक जरूरत की राशि अपने पास रखें ताकि नकदी आहरण के लिए उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास न आना पड़े।

xvi) `श्रॉफ', जनसाधारण के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। उन्हें प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक (आरएमसी) की तरह प्राधिकृत किया जाना चाहिए। परंतु नोट प्रदान करने की उनकी सीमा के अनुसार उनके द्वारा एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें लाइसेंस जारी किये जायें। उनके द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक उन्हें आवर्ती कमीशन का भुगतान करे।

xvii) करेंसी चेस्टों को बार-बार अनुदेश जारी किये जाने के बावजूद वे यथोचित रूप से छांटे गये गंदे नोट प्रेषित नहीं करते। ऐसे करेंसी चेस्टों पर दंड लगाया जाना चाहिए।

xviii) जो वाणिज्यिक संस्थान बैंकों को बहुत बड़ी

मात्रा में नकदी प्रस्तुत करते हैं, उन पर कैश हैंडलिंग कमीशन लगाया जाना चाहिए जिसके बारे में भारतीय बैंक संघ को निर्णय लेना होगा। परंतु बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी भी ग्राहक को गंदे नोट नहीं दिये जाते हैं। अच्छे नोट प्राप्त करना ग्राहक का अधिकार होगा।

xix) मज़बूत बक्से ढोने वाली किसी विशेषीकृत परिवहन एजेंसी द्वारा प्रेषण भेजने की संभावना की छान-बीन की जाए। यह प्रणाली केवल करेंसी नोटों और सिक्कों को लाने/ले जाने के लिए होगी और समग्र बैंकिंग प्रणाली इसका इस्तेमाल कर सकेगी।

xx) इसी तरह पुलिस के बजाय रक्षा कल्याण बोर्ड/ पुलिस कल्याण बोर्ड द्वारा चलायी जानेवाली किसी मान्यताप्राप्त प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी की सेवाओं के इस्तेमाल की संभावनाओं का पता लगाया जाये। परंतु एजेंसियों को चाहिए कि वे नवीन और अद्यतन संसूचना प्रणाली के माध्यम से राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ नज़दीकी तालमेल रखें।

xxi) यह सुझाव है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी विनिमय काउंटरों पर सहायक प्रबंधक (करेंसी) को तैनात किया जाए। नकदी विभाग को मुख्य प्रवाह में लाने की दृष्टि से कोषपाल को सहायक महाप्रबंधक (करेंसी) तथा उप कोषपाल (प्रबंधक करेंसी) के रूप में पुनःपदनामित किया जाए। गणकों (टेलर) के पद हटाकर यथोचित क्रियाविधि का अनुपालन करने के बाद सभी गणकों को सहायक प्रबंधक (करेंसी) के पदों पर पदोन्नत किया जाए।

xxii) ऐसा प्रतीत होता है कि तकरीबन सभी कार्यालयों में लिपिकीय स्टाफ की कमी है। प्राथमिकता आधार पर इन रिक्त पदों का कार्यालय-वार वास्तविक मूल्यांकन किया जाए तथा अखिल भारतीय आधार पर पदों की मंजूरी दी जाए। इस तरह की अतिरिक्त भर्तियों का केवल सीवीपीएस प्रणाली के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। इससे सभी कार्यालयों में सीवीपीएस प्रणाली परिचालन में लाना आसान हो जाएगा।

xxiii) नकदी विभाग नोट जांच अनुभागों में कामकाज की परिस्थिति में प्राथमिकता के आधार पर सुधार लाना चाहिए।

xxiv) वर्ष 2005 तक दस रुपये मूल्यवर्ग के नोटों की भी सिक्का ढलाई हो जानी चाहिए।

xxv) नोट प्रेसों से प्राप्त होने वाले सभी नूतन नोट प्रेषण, फिर चाहे उनका मूल्यवर्ग कुछ भी हो, प्रतिशत गणना के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त कर लेने चाहिए। (एक बंडल में 100 पैकेट x एक बक्से के 100 बंडल)

xxvi) फिलहाल सभी चेस्ट नोट प्रेषणों को ट्रिपल लॉक में रखा जाता है और करेंसी चेस्ट द्वारा प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष उनकी जांच की जाती है। न्यूनतम मूल्यवर्गों, जैसे दस रुपये के नोटों के निपटान में शीघ्रता लाने के लिए ऐसे प्रेषण ट्रिपल लॉक में रखने की पद्धति खत्म करनी होगी। प्रारंभिक सत्यापन के बाद संयुक्त अभिरक्षक (बीजकीकृत नोट) इन्हें प्राप्त करके नोट जांच अनुभाग (प्रतिशत जांच) में उनकी जांच करें और चेस्ट प्रतिनिधि की उपस्थिति के बिना आशोधित क्रियाविधि के अंतर्गत उनका निपटान करें। कोई कमी/विसंगति होने पर उसे संबंधित बैंक के खाते से काटा जा सकता है। इसके लिए वाणिज्य बैंकों की सहमति होना आवश्यक है। यदि मूल्यवर्ग और बैंक में प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करने के लिए चेस्टों द्वारा किये जानेवाले व्यय को देखा जाए तो इस मामले का समाधान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

xxvii) बैंक की मुद्रा प्रबंधन गतिविधियों को अद्यतन बनाने की प्रक्रिया में यदि निर्गम विभाग में कार्य करने वाले बैंक के कुछ अधिकारियों को विदेश के केंद्रीय बैंकों/करेंसी प्रोसेसिंग केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो बैंक के लिए अच्छा रहेगा। इससे इस जोखिमपूर्ण क्षेत्र के बारे में बैंक के अधिकारियों के अनुभवों का दायरा बढ़ेगा और मुद्रा प्रबंधन से संबद्ध समस्याओं को सुलझाने के लिए वे एक निश्चित उपयुक्त रणनीति अपना सकेंगे।

xxviii) बहुत से अन्य देशों की तरह नोट पैकेटों को स्टेपल करना बंद कर दिया जाना चाहिए। प्रारंभ में स्टील पिन्स के बदले सिंथेटिक स्टिचिंग को प्रयोग में लाया जाये ताकि करेंसी नोटों की क्षति न हो।

xxix) पांच, दस और बीस पैसे जैसे छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों को नष्ट करने के लिए टकसालों में प्रेषित किया जाए।

(स्रोत : रिज़र्व बैंक न्यूज़ लेटर के 31 दिसंबर 2000 अंक से साभार)

2000 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

जनवरी

• रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि अंतर-शाखा खातों में निवल नामे शेष के विरुद्ध प्रावधान करने के लिए समयांतर को 31 मार्च 2001 को समाप्त हो रहे लेखाकरण वर्ष से तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दिया जाये। तदनुसार, बैंकों के लिए यह अपेक्षित था कि वे 31 मार्च 1998 तक की अवधि से संबंधित अंतर-शाखा खातों में नामे और जमा प्रविष्टियों को अलग-अलग करें तथा 31 मार्च 2001 को जो बकाया होंगे, से अलग करके निवल स्थिति निकालें। बैंकों को सूचित किया गया था कि निवल नामे होने की स्थिति में वे 2000-01 के लिए शत-प्रतिशत के बराबर प्रावधान करें।

• बैंकों को यह सूचित किया गया था कि चालू खाता खोलते समय वे खातेदार से इस आशय की घोषणा करने पर जोर दें कि वह किसी अन्य बैंक से किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है अथवा वह अन्य बैंक से ली जा रही ऋण सुविधा के ब्यौरे घोषित करे। ऐसा अनर्जक आस्तियों में कमी लाने हेतु ऋण अनुशासन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

• रिज़र्व बैंक ने इससे पूर्व जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित कतिपय निदेश आशोधित और स्पष्ट किये।

• रिज़र्व बैंक ने दस अखिल भारतीय ऋणदाता और पुनर्वित्त संस्थाओं के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन संबंधी व्यापक दिशानिर्देश जारी किये।

फरवरी

• रिज़र्व बैंक ने निर्यात परियोजना वित्त के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये।

• रिज़र्व बैंक ने एडीआर और जीडीआर जारी करने के लिए सामान्य अनुमति मंजूर की।

• बैंकों को यह सूचित किया गया कि उनके द्वारा एकल उधारकर्ताओं को जारी किये गये लघु-ऋणों को, चाहे वे सीधे दिये गये हों या किसी मध्यस्थ के माध्यम से दिये गये हों, उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये उधारों के एक अंग के रूप में गिना जायेगा।

• रिज़र्व बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना तथा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में विवेकशील मानदण्डों के लिए जोखिम भार की गणना के लिए मानदंडों के संबंध में बैंकों को टेक-आउट वित्त के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये।

मार्च

• रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि बुनियादी संरचनावाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में बैंकों द्वारा सामूहिक रूप से वित्त प्रदान किये जाने संबंधी मानदण्डों में छूट मात्र चार क्षेत्रों, अर्थात, सड़क, विद्युत, दूर संचार और बंदरगाह क्षेत्रों में ही मिलेगी।

• रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि मूल्यांकन पद्धति के कारण प्रतिभूतियों के मूल्य में होनेवाली किसी भी वृद्धि को आय के रूप में दर्ज न करें। इसके अलावा, वे बैंक जिन्होंने प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए सुझायी गयी पद्धति की अपेक्षा अधिक उत्तम पद्धति अपना रखी है, वे अपनी पद्धति जारी रखें।

• विनियम समीक्षा प्राधिकरण के निर्णय की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों को सेबी के विनियमों के दायरे में लाया गया। अब बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को केवल मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के संचालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से मंजूरी लेनी होगी।

अप्रैल

• रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2000 को वर्ष 2000-2001 की मौद्रिक और ऋण नीति घोषित की।

• बीमा कारोबार में बैंकों के प्रवेश के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी।

• निर्यात ऋण वित्त सुविधा उदार बनायी गयी।

• निर्यात परियोजनाओं को मंजूरी मिल जाने के बाद दिये जानेवाले ऋण की सीमा में वृद्धि।

• प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात जमा शेष की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता 65 प्रतिशत तक घटायी गयी।

• जमा प्रमाणपत्रों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि घटाकर 15 दिन की गयी।

• बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गयी कि वे अलग-अलग अवधि समाप्ति के लिए अलग-अलग पीएलआर पर कार्य कर सकते हैं।

• बाज़ार को और अधिक `ऑन लाइन' बनाने के लिए बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गयी कि वे एफसीएनआर जमाराशियों के प्रस्ताव देते समय चालू बदली (स्वैप) दरों में से दरें चुन सकते हैं।

• विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण में बेहतर प्रणालियों की ओर जाना।

• ऋण सुपुर्दगी प्रणालियों में सुधार का निर्णय लिया गया।

• बैंकों को यह स्पष्ट किया गया था कि निवेश के मूल्य में गिरावट आने की स्थिति में आवश्यक प्रावधान को लाभ-हानि खाते में नामे किया जाये और, यदि आवश्यक हो, `निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाता' से उसके बराबर की राशि उस वर्ष के लाभ निकालने के पश्चात लाभ-हानि खाते में उस वर्ष के लाभ लाइन के नीचे की मद में अंतरित कर दिया जाये। उक्त अनुदेश 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किये जानेवाले तुलन-पत्र से लागू हैं।

• कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों द्वारा दिये गये उधारों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये उधारों के अंतर्गत गिना जायेगा।

• विनियम समीक्षा प्राधिकरण को पहली अप्रैल 1999 से मूलतः एक वर्ष की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के विनियमों को सरल, कारगर बनाने तथा अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम करने के प्रयोजन से गठित किया गया था। डॉ. वाई. वी. रेड्डी, उप गवर्नर को विनियम समीक्षा प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। विनियम समीक्षा प्राधिकरण की मीयाद पहली अप्रैल 2000 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी थी।

• रिज़र्व बैंक ने बैंकों के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने की घोषणा की। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षी संसाधनों का विनिधान करके बैंकों की निगरानी तथा प्रत्येक संस्था के जोखिम के स्वरूप के अनुसार उस पर पर्यवेक्षी ध्यान केन्द्रित करना शामिल है।

• एक स्पष्टीकरण में, बैंकों को सूचित किया गया कि वे केवल चूककर्ता इकाइयों द्वारा जारी और राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा प्रतिभूतियों के लिए ही 100 प्रतिशत जोखिम भार दें न कि उस राज्य सरकार द्वारा जारी या गारंटी दी गयी सभी प्रतिभूतियों के संबंध में। बैंकों को सूचित किया गया कि वे उस राज्य सरकार की गारंटी के आधार पर उस राज्य में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को और ऋण देने के अनुरोध पर विचार करते समय अपनी गारंटी का भुगतान करने में राज्य सरकार के रिकार्ड को उचित सम्मान दें।

• बैंकों को सूचित किया गया कि उन लघु उद्योग इकाइयों को जिनकी रुग्ण इकाई के रूप में पहचान की गयी है और जहाँ बैंकों द्वारा स्वयं अथवा संघीय व्यवस्था के तहत पुनर्व्यवस्था पैकेज/शुश्रूषा कार्यक्रम तैयार किये गये हैं वहाँ एक वर्ष के लिए प्रदत्त अतिरिक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

• बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सार्वभौमिक संविभागीय आधार पर न कि मात्र देशी अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों पर 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करें। मानक आस्तियों के संबंध में किये गये प्रावधानों को `मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान' के रूप में दर्शाया जाये और ये टियर II पूंजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

मई

• विवेकसम्मत विचारों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बैंकों को सूचित किया गया था कि वे स्वैच्छिक रूप से अपने तुलन-पत्र में सैद्धांतिक आधार पर अपनी सहायक कंपनियों के बारे में जोखिम भारित घटकों का समावेश करें जो कि उस बैंक की स्वनिधियों के लिए लागू जोखिम भार के सममूल्य हों। बैंकों को पुनः सूचित किया गया था कि वे एक समयावधि में अपनी बहियों में अतिरिक्त पूंजी निश्चित करें ताकि जब कुछ समय के पश्चात पूरे समूह के लिए एक स्वीकृत तुलन-पत्र बनाना शुरू किया जाये तो उनकी निवल मालियत के क्षरण की संभावना दूर हो जाये। बैंकों को सूचित किया गया था कि मार्च 2001 को समाप्त होनेवाले वर्ष से शुरू करते हुए चरणबद्ध रूप में बैंक की बहियों में अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान करें।

• बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ऋण और अन्य सूचना एक स्थान पर एकत्र करने और उनका समेकन करने

के लिए अपनी संस्था में ही आवश्यक व्यवस्था करें ताकि जब कभी ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना हो तो ये सूचनाएं उन्हें भेजी जा सकें।

• जमा परिपक्वता, उधार ऋण एवं अग्रिम और निवेश की गतिविधियाँ तथा संवेदनशील क्षेत्रों को दिये गये उधार के विवरण का प्रकटीकरण मार्च 2001 के अंत के तुलन-पत्र की `लेखा टिप्पणी' में अतिरिक्त सूचना के रूप में किया जाना चाहिए न कि मार्च 2001 के अंत के 2000 के तुलन-पत्र में, जैसा कि मूलतः निर्दिष्ट किया गया था। कुछ बैंकों द्वारा अनुभव की गयी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था।

• बैंकों को दुपहिया और तिपहिया गाड़ियों की बिक्री से उत्पन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भुनाये गये बिल की पुनर्भुनाई की अनुमति दी गयी, बशर्ते विनिर्माता द्वारा बिल का आहरण केवल व्यापारी पर किया गया हो।

• 25 करोड़ रुपये की न्यूनतम कार्यशील पूंजीवाले और अन्य मानदंड पूरा करनेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एन.आर.ई रुपया खाता खोलने/रखने के लिए अधिकृत किया गया।

जून

• विदेशी व्यापार और भुगतानों को सरल बनाने और भारत के विदेशी मुद्रा बाज़ारों के सुचारु विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली जून 2000 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) लाया गया। फेमा में संपूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता दी गयी है तथा उसमें पूंजी खाता लेनदेनों के प्रगामी उदारीकरण के लिए प्रावधान तैयार किये गये हैं।

• बैंकों को गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में लंबित सभी वादग्रस्त मामलों की तत्काल समीक्षा करने और सभी स्तर पर कार्यकर्ताओं को उससे अवगत कराने के लिए सूचित किया गया और उन्हें वादग्रस्त और डिक्री-प्राप्त मामलों की निरंतर गहन निगरानी करते रहने की जरूरत के बारे में बताया गया।

• अल्पावधि मुद्रा बाज़ार दर की गतिविधि एक विशिष्ट सीमा में रखने और उसे सरल बनाने, उसमें बेहतर स्थिरता लाने और अल्पावधि रुपया यील्ड कर्व का निर्गमन आसान बनाने के लिए पुनर्खरीद और प्रत्यावर्तनीय पुनर्खरीदों के माध्यम से संपूर्ण चलनिधि समायोजन सुविधा शुरू की गयी।

जुलाई

• बैंकों द्वारा निर्गत जीडीआर/एडीआर आगम के प्रत्यावर्तन के मामले की समीक्षा की गयी और बैंकों से कहा गया कि वे निर्गम प्रक्रिया पूरी होते ही जीडीआर/एडीआर की पूरी राशि प्रत्यावर्तित करें। यह उपबंध बहुपक्षीय संस्थाओं सहित अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों, विदेशी बैंकिंग कंपनियों द्वारा बैंकों में किये गये प्रत्यक्ष निवेश पर भी लागू किया गया।

• रिज़र्व बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली के लिए सरलीकृत गैर-विवेकाधीन और अभेदमूलक व्यवस्था देने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये। इन दिशा-निर्देशों में सभी क्षेत्रों की 5 करोड़ रुपये तक की गैर-निष्पादक आस्तियाँ शामिल हैं, लेकिन इनमें इरादतन चूक, धोखाधड़ी और दुष्करण शामिल नहीं है। मार्च 1997 के अंत में संदिग्ध श्रेणी की सभी गैर-निष्पादक आस्तियाँ, हानि आस्तियाँ और उस तारीख को जो अवमानक आस्तियाँ संदिग्ध हो चुकी हैं, को भी संशोधित दिशा-निर्देशों में शामिल कर लिया गया। समझौता राशि की अदायगी एक वर्ष में की जानी थी और उसके साथ समझौता की तारीख से अंतिम भुगतान की तारीख तक मौजूदा मूल उधार दर पर ब्याज का भुगतान किया जाना था। दिशा-निर्देश मार्च 2001 के अंत तक लागू रहेंगे। बैंकों के निदेशक बोर्ड से भी कहा गया है कि वे 5 करोड़ रुपये से अधिक की गैर-निष्पादक आस्तियों के एकबारगी निपटान से संबंधित व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार कर सकते हैं और उनमें ऋण वसूली नीति के भाग के रूप में अभिकलन सूत्र, वसूलनीय राशि, निर्धारित तिथि और भुगतान शर्तें आदि शामिल करें तथा ऐसी नीति के अनुसार अलग-अलग मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।

• रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाने से संबद्ध मौजूदा दिशा-निर्देश आशोधित किये जिनके तहत अब वित्तीय संस्थाओं को बांड जारी करके संसाधन जुटाने के लिए रिज़र्व बैंक का निर्गमवार पूर्वानुमोदन/पंजीकरण लेना आवश्यक नहीं है।

अगस्त

• रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सूचित किया कि बैंक अपने स्वयं के स्टाफ को मंजूर किये गये सभी प्रकार के ऋणों तथा

अग्रिमों के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार दें। इस तरह के ऋणों तथा अग्रिमों को तुलन-पत्र की अनुसूची 11 में `अन्य आस्तियों' के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिये तथा एक पाद टिप्पणी में उनकी कुल मात्रा दर्शायी जानी चाहिये।

• रिज़र्व बैंक ने (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह स्पष्ट किया कि उनके द्वारा टीयर II पूंजी के रूप में जुटाये गये रुपया अधीनस्थ ऋण एकल/समूह उधारकर्ताओं को ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए पूंजीगत निधियों में शामिल करने के लिए नहीं माने जायेंगे।

सितंबर

• विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत के मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों में बचाव व्यवस्था के ज़रिए एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स फ्यूचर्स में निवेश की अनुमति दी गयी।

• प्रतिभूति निपटान के ग्रिड लॉक्स से बचने के लिए रिज़र्व बैंक ने विशेष निधि सुविधा योजना प्रारंभ की।

• सरकार ने नये बाह्य वाणिज्यिक उधारों और मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अनुमोदन के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की स्वचालित रूट योजना परिचालित की।

अक्तूबर

• रिज़र्व बैंक ने 10 अक्तूबर 2000 को मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यकालिक समीक्षा घोषित की।

• मानक आस्तियों से संबंधित सामान्य प्रावधान टियर II पूंजी में शामिल करने की अनुमति दी गयी।

• प्राथमिक निर्गमों में आबंटन पानेवाले बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को अब रिज़र्व बैंक यह अनुमति देता है कि वे उसी दिन आबंटित की गयी प्रतिभूतियां बेच सकते हैं।

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तुलन-पत्रों में और अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से तथा समेकित पर्यवेक्षण हेतु और अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करने के अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 31 मार्च 2001 को समाप्य वर्ष से शुरू होनेवाले तुलन-पत्र में अपनी प्रत्येक अनुषंगी का तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट मिला देनी चाहिए।

• `पूर्व देय' 30 दिन की अनुकंपा अवधि की अवधारणा, जो अप्रैल 1992 में लागू आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी दो तिमाही की चूक संबंधी मानदंड में शामिल की गयी थी, 31 मार्च 2001 से समाप्त कर दी जाएगी।

• दैनिक चलनिधि स्थितियों को समायोजित करने तथा विदेशी मुद्रा बाज़ार में उतार चढ़ाव का सामना अल्पावधि ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए रेपो तथा रिवर्स रेपो के जरिये एलएएफ का प्रयोग तथा अनुमेय दरों और दिशाओं दोनों की दृष्टि से एलएएफ का प्रयोग लोचशील गति से किया जाता रहेगा।

• ईक्विटियों के बैंक वित्तपोषण पर स्थायी समिति द्वारा किये गये प्रस्तावों पर मीडिया तथा बाज़ार प्रतिभागियों की ओर से अभिमतों तथा रिज़र्व बैंक तथा प्रमुख बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के बीच बैठकों में व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने पूंजी बाज़ार में बैंकों की सहभागिता पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किये।

• रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक पत्र के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी किये। निगमों को वाणिज्यिक पत्रों के जरिये संसाधन जुटाने के लिए और अधिक लचीलापन दिया गया।

• बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों, दोनों के द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्रों की हस्तांतरणियता को आसान बनाया गया।

• ऋण सुपुर्दगी तंत्र में सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, और अधिक अविनियम, तथा क्रियाविधियों को अधिक तर्कपूर्ण बनाने के लिए उपाय किये गये।

• सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की तुलना में ऋण जोखिम सीमा संबंधी चालू प्रथाओं की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय किया गया कि इस विषय पर एक व्यापक चर्चा पत्र तैयार किया जाए। अनुमान है कि दिसंबर 2000 तक उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इससे संबंधित टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर तथा बैंकों के साथ सहयोग के बाद रिज़र्व बैंक दृष्टिकोण संबंधी निर्णय लेगा, जो मार्च 2002 के अंत से लागू करने की दृष्टि से अपनाया जाएगा।

• विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) के सम्बन्ध में 14 अगस्त 2000 को घोषित उपायों की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि (i) निर्यातोन्मुखी इकाइयों, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों, सॉफ्टवेयर

टेक्नॉलॉजी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क की इकाइयों के ईईएफसी खाते में उनके आवक प्रेषण के 70 प्रतिशत, तथा (ii) अन्य इकाइयों के मामले में आवक प्रेषण के 50 प्रतिशत की पुरानी पात्रता बहाल की जाए।

• बैंकों को और परिचालनात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए उन्हें ऋणियों पर दंड ब्याज लगाने की स्वतंत्रता दी गई। बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से दण्ड ब्याज दर लगाने के सम्बन्ध में पारदर्शी नीति तैयार कर सकते हैं।

• बाज़ार स्थितियों की समीक्षा करने के बाद तथा बैंकों को मार्जिन निर्धारित करने में स्वतंत्रता देने के लिए खुली चीनी बिक्री पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण पर 15 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन हटा लिया गया। खुली चीनी बिक्री पर बैंक अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर मार्जिन तय करेंगे।

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे कृषक उधारकर्ताओं को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंक के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अन्तर्गत मासिक लक्ष्य निर्धारित करें तथा समग्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाएँ।

• रिज़र्व बैंक ने बैंकों के निवेश संविभाग के श्रेणीकरण और मूल्यांकन से संबंधित अंतिम दिशा-निर्देश परिचालित किया। दिशा-निर्देश 30 सितंबर 2000 को समाप्त छमाही से लागू किये गये हैं।

• रिज़र्व बैंक ने घटक एसजीएल खाताधारकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये।

• बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को आपस में या गैर बैंक ग्राहकों के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसीआई तथा स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई के जरिये प्रतिभूतियों के लेनदेन की अनुमति दी गयी।

• भारतीय स्टेट बैंक को इंडिया मिलेनियम डिपाज़िट स्कीम शुरू करने की अनुमति दी गयी।

नवंबर

• रिज़र्व बैंक ने समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुदेश दिये हैं कि वे पहली दिसम्बर 2000 से शुरू होनेवाले रिपोर्टिंग शुक्रवार से संशोधित तरीके के अनुसार परिशिष्ट ए तथा बी के साथ फार्म ए में विवरणियां प्रस्तुत करें।

दिसंबर

• 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि 500 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 750 करोड़ रुपये कर दी गयी।

• प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड शुरू किये गये।

• रिज़र्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के समस्त बैंकों को सूचित किया कि वे महिलाओं, विशेष रूप से छोटे तथा लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को मजूबत करने के लिए तैयार की गयी रिपोर्ट में दी गयी कार्य योजना को लागू करें। संभावित महिला उद्यमियों तक पहुंचने तथा उन्हें बैंकों से ऋण तथा ऋणों से जुड़ी अन्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को जिन कार्य मदों पर कार्रवाई करनी है, वे इस प्रकार हैं : बैंक की नीतियों की नये सिरे से परिभाषा करना, दीर्घकालीन योजनाएं बनाना, महिला कोष्ठकों का गठन, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं/महिलाओं की ऋण जरूरतों के प्रति बैंक अधिकारियों/स्टाफ को संवेदनशील बनाना आदि।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के दिसंबर 2000 अंक से साभार)

महत्वपूर्ण परिपत्र

आय निर्धारण-आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना-प्रधान कार्यालय स्तर पर अग्रिमों को बट्टे खाते डालना-अनर्जक आस्तियां-भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देना

हमारे 19 मार्च 1996 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 26/21.04.048/00-01 के अनुसार, उसमें निर्दिष्ट प्रोफार्मा में बैंकों को अनर्जक आस्तियों के सकल और शुध्द आंकड़े भेजने होते हैं। यह देखा गया है कि जब भी शाखा खातों को अस्त-व्यस्त किये बिना प्रधान कार्यालय स्तर पर अनर्जक आस्तियों को तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाला जाता है, तब बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित की जानेवाली सकल अग्रिमों और सकल अनर्जक आस्तियों की मात्रा में एकरूपता नहीं रहती। जहां कुछ बैंक प्रधान कार्यालय स्तर पर तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले जाने को हिसाब में लिये बिना सकल अग्रिमों और सकल अनर्जक आस्तियों की सूचना देते हैं, वहीं कुछ अन्य बैंक इस प्रकार के आंकड़े तकनीकी बट्टे खाते डाली जानेवाली राशि का **समायोजन करने** के बाद सूचित करते हैं। अत: यह निर्णय किया गया है कि यदि प्रधान कार्यालय स्तर पर अग्रिमों को तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाला जाये, तो बैंक रिज़र्व बैंक को सूचना देते समय सकल अग्रिमों, सकल अनर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए किये जानेवाले प्रावधानों में से तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गयी राशि को घटा दें। अनर्जक आस्तियों की सूचना देने के लिए 19 मार्च 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 26/21.04.048/96 के अनुसार निर्दिष्ट फार्मेट में तदनुसार संशोधन किया गया है और वह इसके साथ संलग्न किया जा रहा है। बैंक आगे से अपनी अनर्जक आस्तियों के आंकड़े **संशोधित** फार्मेट में सूचित करें।

(संदर्भ : बैंपविवि.बीपी.बीसी. 40/21.04.048/2000-2001 दिनांक, 30 अक्तूबर 2000)

मृत ग्राहकों के खाते में शेष राशि की अदायगी विधिक उत्तरजीवियों / दावेदारों को करना

कृपया 14 मार्च 2000 का हमारा परिपत्र सं.बीसी. 148/09.07.007/99-2000 देखें।

इस संबंध में हम स्पष्ट करते हैं कि जहां तक मृत ग्राहकों के खाते में शेष राशियों की अदायगी विधिक उत्तरजीवियों / दावेदारों को करने का प्रश्न है, बैंक मृत जमाकर्ताओं के **विधिक उत्तराधिकारियों** से **उत्तराधिकार प्रमाणपत्र** की मांग उन स्थितियों में कर सकते हैं जब उनमें विवाद हो तथा सभी विधिक उत्तराधिकारी बैंक की क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार न हों अथवा कुछ अन्य अपवादात्मक स्थितियों में मांग कर सकते हैं जब बैंक को दावेदार / दावेदारों के जमाकर्ता का / के एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने में संदेह हो।

(संदर्भ : बैंपविवि.बीसी. 56/09.07.007/2000-01 दिनांक 06 दिसंबर 2000)

मृत जमाकर्ताओं की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी

कृपया मृत जमाकर्ताओं के मीयादी जमा खातों पर ब्याज की अदायगी के संबंध में 4 नवंबर 2000 के हमारे निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 46/13.03.00/2000-2001 का पैराग्राफ 14 तथा 4 नवंबर 2000 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 48/13.03.00/2000-2001 का पैराग्राफ 9 देखें। वर्तमान में, मृत जमा खाता धारक के दावाकर्ताओं को ब्याज जमाराशि की अवधि समाप्ति की तारीख के बाद, बैंक के पास जमाराशि के रहने से **वास्तविक अदायगी** की तारीख तक की अवधि के लिए लागू ब्याज दर पर अदा किया जाता है और ऐसा केवल तभी किया जाता है जब जमाराशि की अवधिपूर्णता के पहले जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है। यदि जमाकर्ता की मृत्यु मीयादी जमाराशि की अवधिपूर्णता के बाद होती है तो इस आधार पर मीयादी जमाराशि की अवधिपूर्णता की तारीख के बाद कोई ब्याज देय नहीं है कि जमाकर्ता आगे की अवधि के लिए जमाराशि के नवीकरण के अपने अधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है।

2. हमें इस बारे में **अभ्यावेदन** प्राप्त होते रहे हैं कि उस स्थिति में अवधिपूर्णता की तारीख के बाद जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में कुछ ब्याज की अनुमति दी जाये जहां जमाकर्ता आगे की अवधि के लिए जमाराशि का नवीकरण करने में असमर्थ रहा हो, क्योंकि बैंक ने कानूनी उत्तराधिकारी / नामिती को जमा आगम राशि के भुगतान की तारीख तक निधियों का लाभ उठाया है। इस मामले की हमने जांच की है और अब यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा अवधिपूर्णता की तारीख से अदायगी की तारीख तक अवधिपूर्णता की तारीख को लागू बचत जमा दर (रुपया जमाराशियों के मामले में) या निवासी विदेशी मुद्रा (आर एफ सी) बचत जमा दर [एफ सी एन आर (बी) जमाराशि के मामले में]पर ब्याज अदा किया जाये।

3. तदनुसार, 3 जनवरी 2001 के संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 62 तथा 63/13.03.00/2000-2001 संलग्न है।

4. अनुदेश पुस्तक खंड I, भाग I में इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित संशोधन कर लिये जायें :

(i) पैराग्राफ 9.I.11 के खंड (i) के वर्तमान उप खंड (iii) को संलग्न स्लिप सं. 10 के अनुसार संशोधित किया जाये।

(ii) पैराग्राफ 9.III के खंड (ix) के वर्तमान उप खंड (iii) को संलग्न स्लिप सं. 11 के अनुसार संशोधित किया जाये।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 64/13.03.00/2000-01 दिनांक, 03 जनवरी 2001)

अनिवासी जमा खाते खोलने और उनकी जमानत पर ऋण देने के लिए सुरक्षात्मक उपाय

अनिवासी भारतीयों के जमा खातों में **बेइमानी** / धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने की दृष्टि से बैंकों को सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए कहा गया है। ये सुरक्षात्मक उपाय 28 जनवरी 1997 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 8/13.01.09/97 और 5 मई 1999 के बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 43/13.01.09/99 के अनुसार ऐसे जमा खाते खोलने और साथ ही इस प्रकार की जमाराशियों की जमानत पर ऋण देते समय अपनाने के लिए हैं। बैंकों को यह भी कहा गया था कि अनिवासी भारतीयों की ओर से **मुख्तारनामा** (पॉवर ऑफ अटोर्नी) रखनेवाले एजेंटों या व्यक्तियों के माध्यम से अनिवासी जमाराशियां स्वीकार करते समय भी **सावधानी** रखी जानी चाहिए। चूंकि अनिवासी खातों के संबंध में धोखाधड़ी / कदाचार के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं, अत: यह निर्णय किया गया है कि बैंक निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपायों को सतर्कता से अपनायें :

(i) मीयादी जमाराशि की रसीदें जमाकर्ताओं को सीधे दी जायें या भेजी जायें और उनकी प्राप्ति-सूचना प्राप्त की जाये।

(ii) अनिवासी बाह्य (रुपया) खाते / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) जमाराशियों की जमानत पर तीसरी पार्टियों को ऋण तभी दिये जायें जब जमाकर्ता बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में ऋण दस्तावेजों को स्वयं निष्पादित करें और बैंक को स्वीकार्य साक्ष्य की उपस्थिति में ऐसा किया जाये। मुख्तारनामे के आधार पर तीसरी पार्टियों को इस प्रकार जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम नहीं दिये जाने चाहिए।

(iii) यदि किसी अनिवासी खाते में धोखाधड़ी की गयी हो और संबंधित अनिवासी जमाकर्ता की उसमें कोई संलग्नता न हो और बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि वह निर्दोष है तो बैंक जमाराशि की देय राशियों को नियत तारीख पर जमाकर्ता को उस स्थिति में अदा करें जब जांच चल रही हो। परन्तु बैंक **क्षतिपूर्ति बांड** सहित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें और अनिवासी जमाकर्ता को राशि जारी करने से पहले उसके लिए कोई स्वीकार्य जमानतदार भी हो।

(iv) अनिवासी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बैंकों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का नेमी तौर पर आग्रह नहीं करना चाहिए। चूंकि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विभिन्न देश अलग-अलग प्रक्रिया अपनाते हैं, अत: बैंकों को **व्यावहारिक दृष्टिकोण** अपनाना चाहिए और जमाकर्ता के निवास के देश में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया का पता लगाना चाहिए और उसके बाद अपने रिकार्ड के लिए उन न्यूनतम दस्तावेजों को प्राप्त करें जो उन व्यक्तियों के सही दावेदार होने की अपेक्षा के संबंध में आवश्यक हो।

2. बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग द्वारा जारी की गयी अनुदेश पुस्तिका में इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित संशोधन किया जाये।

'पैराग्राफ 9.VI.3 के खंड (क) के वर्तमान उप खंड (ii) के बाद पर्ची सं. 12 जोड़ी जाये।'

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 66/13.03.00/2000-01 दिनांक, 08 जनवरी 2001)

ग्राहक सेवा–अवधिपूर्णता पर जमाराशियों का निपटान–जमाराशि की सन्निकट देय तिथि की सूचना ग्राहकों / जमाकर्ताओं को पहले से देना

कृपया बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी गोइपोरिया समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में 28 जनवरी 1992 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीसी. सं. 74/09.07.001/91-92 देखें। उक्त परिपत्र में बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ मीयादी जमाराशि के आवेदन पत्र में अवधिपूर्णता पर जमाराशियों के निपटान के लिए एक निदेश (देखें सिफारिश सं. 3.21) शामिल करने के संबंध में सूचित किया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित विनियमन समीक्षा प्राधिकरण के सुझाव पर हम पुन: सूचित करते हैं कि बैंकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए एक नियम के तौर पर अपने जमाकर्ताओं को पर्याप्त समय पहले जमाराशि की सन्निकट देय तिथि की सूचना भिजवाना सुनिश्चित करना चाहिए।

(संदर्भ : बैंपविवि. बीसी. सं. 70/09.07.001/2000-01 दिनांक, 16 जनवरी 2001)

जमाराशियां जुटाने अथवा बैंक के उत्पादों को बेचने के लिए शुल्क और कमीशन के आधार पर बाहर के एजेंटों को लगाना

आपको विदित ही है कि 2 नवंबर 1987 के हमारे निदेश आरपीसीडी.सं.आरएफ.डीआइआर.बीसी.53/डी.1/-87/88 के पैराग्राफ 20(ख) के अनुसार जमाराशियों पर किसी भी प्रकार की **दलाली** किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अदा करने पर बैंकों पर निषेध है।

2. हमारी जानकारी में यह बात आयी है कि कुछ बैंकों ने जमाराशियां जुटाने के लिए कतिपय कंपनियों के माध्यम से करार करके **बिक्री एजेंटों** की सीधे नियुक्ति की है। इन एजेंटों को अनेक प्रकार के कार्य भी सौंपे गये हैं, जैसे कि नये आवेदनपत्र प्राप्त करना, फोटोग्राफ, भरे गये फार्मों को एकत्र करना और निवास के प्रमाण, **गवाही**, नोटोरी कार्य आदि के सहित खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करना।

3. हमने इस मामले की जांच की है और यह सूचित किया जाता है कि अनिवासी जमाराशियों सहित जमाराशियां जुटाने अथवा जमाराशि से संबध्द अपने अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए किसी भी रूप में या किसी भी ढंग से शुल्क/कमीशन अदा करके फर्मों/कंपनियों के माध्यम से भी किन्हीं बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त करना/काम पर लगाना, बैंकों के लिए उचित नहीं है। केवल ऊपर पैराग्राफ 1 में बताये गये 2 नवंबर 1987 के निदेश के पैराग्राफ 20 के खंड (ख) के उप खंड (i) में बताये गये कार्य अपवाद होंगे, जैसा कि घरेलू जमाराशियों पर लागू है।

4. तदनुसार, 6 अक्तूबर 2000 के संशोधनकारी निदेश ग्राआक्रुवि.सं.डीआइआर.बीसी. 23ए/07.38.01/2000-2001 संलग्न है।

(संदर्भ : ग्राआक्रुवि.कें का. सं. आरएफ.डीआइआर. बीसी.23बी/07.38.01/2000-2001 दिनांक, 6 अक्तूबर 2000)

कतिपय निकायों / संगठनों के नाम बचत बैंक खाते खोलने पर प्रतिबंध

कृपया आप समय-समय पर संशोधित 2 नवंबर 1987 का हमारा निदेश आरपीसीडी.सं.आरएफ.डीआइआर. बीसी.53/डी.1/87-88 का पैराग्राफ 5(i) देखें, जो उन सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों के नाम बचत बैंक खाते खोलने पर प्रतिबंध के संबंध में है, जो अपने कार्यों के निष्पादन के लिए बजट आबंटनों/अनुदानों पर निर्भर है। कतिपय एजेंसियों/निकायों (उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 5(ii) में किये गये उल्लेख के अनुसार) को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले वर्षों में उपर्युक्त प्रतिबंध से छूट देकर प्रत्येक मामले के आधार पर बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दी गयी है।

2. मामले की समीक्षा करके अब यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी **अनुदानों** / सब्सीडी के संदर्भ में सरकारी विभागों / **निकायों** / एजेंसियों के नाम बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दी जाये। यह अनुमति संबंधित सरकारी विभागों से बैंक को एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दी जायेगी जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संबंधित सरकारी विभाग अथवा निकाय को बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गयी है। केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की प्रति बैंकों को अपने रिकार्ड के लिए रखनी चाहिए। तदनुसार 2 नवंबर 1987 के निदेश के पैराग्राफ 5 के खंड (ii) को संशोधित किया गया है।

3. दिनांक 17 अक्तूबर 2000 का संशोधित निदेश ग्राआक्रुवि.सं.डीआइआर.बीसी. 29/07.38.01 संलग्न है।

(संदर्भ : ग्राआक्रुवि.केंका. सं./आरएफ.डीआइआर.बीसी. 30/07.38. 01/2000-2001 दिनांक, 17 अक्तूबर 2000)

अग्रणी बैंक योजना–जिला स्तरीय समीक्षा समिति बैठकों का आयोजन

जैसा कि आप जानते हैं दिनांक 13 अप्रैल 1989 के हमारे परिपत्र ग्राआक्रुवि. सं. एलबीएस. बीसी. 102/एलबीएस. 34/88-89 में निहित अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक द्वारा छमाही अंतराल पर जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन की प्रगति संबंधी समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। इन बैठकों में विचार-विमर्श हेतु भाग लेने के लिए विभिन्न वर्ग के गैर सरकारी अधिकारियों यथा सांसदों, विधायकों, गैर सरकारी संगठनों, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अज/अजजा निगमों के प्रतिनिधियों आदि को भी आमंत्रित किया जाता है। तथापि, दिनांक 11 अगस्त 2000 को लोकसभा की बैठक में सांसदों ने जोर देकर यह कहा कि ये समितियां लगभग निष्क्रिय हो चुकी हैं क्योंकि इनकी बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। चूंकि ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं अतः वित्त मंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया कि जिला स्तरीय समीक्षा समिति को सक्रिय बनाया जायेगा ताकि ये बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जा सकें तथा इन बैठकों में सांसदों/विधायकों और जिला पंचायत प्रमुखों को आमंत्रित किया जा सके।

2. अतः आप को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित करें और इसमें भाग लेने के लिए सांसदों/विधायकों तथा जिला पंचायत प्रमुखों को आमंत्रित करें।

3. उपर्युक्त अनुदेशों का कार्यान्वयन तत्काल रूप से किया जाए।

(संदर्भ : ग्राआक्रवि.एलबीएस.बीसी.सं. 32/02.01.01/2000-2001 दिनांक, 3 नवंबर 2000)

सरकार प्रायोजित कार्यक्रम – बैंकों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर देना

जैसा कि आप जानते हैं प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख रु. तक के ऋणों की मंजूरी/संवितरण के समय बैंकों को जमानत/तृतीय पक्ष गारंटी पर जोर नहीं देना चाहिए। इसी तरह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ) और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) के अंतर्गत 50,000/- रु. तक के **वैयक्तिक ऋणों** और 3.00 लाख रु. तक के समूह ऋणों की स्वीकृति के लिए किसी जमानत/गारंटी की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त ऋण से अर्जित आस्तियों को ही ऋण प्रदान करने वाले बैंकों के पास **दृष्टिबंधक/बंधक/गिरवी** रखा जाए।

2. तथापि, भारिबैं/सरकार द्वारा किये गये अध्ययन के दौरान कुछ ऐसे दृष्टांत ध्यान में लाये गये हैं जिनमें योजना के अंतर्गत बैंकों ने संपार्श्विक प्रतिभूति/जमानत पर जोर दिया था जबकि इन मामलों में ऋणकर्ता द्वारा किसी जमानत/गारंटी देने की आवश्यकता नहीं थी।

3. अनुरोध है कि आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी आवश्यक दिशानिर्देश/अनुदेशों का अनुपालन आप की बैंक शाखाओं द्वारा किया जाए।

(संदर्भ : ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.सं. 33/09.06.01/2000-2001 दिनांक, 4 नवंबर 2000)

खास तौर पर लघुतर और लघु उद्योग क्षेत्र में महिलाओं हेतु ऋण सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ करना

पिछले कुछ समय से खास तौर पर लघुतर और लघु उद्योग क्षेत्र में महिलाओं हेतु ऋण सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान जाता रहा है। मामले पर सचिवों की समिति (सीओएस) में विस्तृत रूप से जांच की गयी। इसके परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग ने विद्यमान संस्थागत ढांचे में खास तौर पर लघुतर और लघु उद्योग क्षेत्रों में महिलाओं की ऋण आवश्यकता की पूर्णतः पूर्ति के मसले पर विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों, भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय, महिला और शिशु विकास विभाग से परामर्श कर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में एक **कार्य योजना** बनायी गयी है जिसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। 14 सितंबर 2000 को आयोजित समिति-सचिवों की बैठक में इस कार्य योजना की सिफारिश सरकार के समक्ष की गयी थी जिसे उन्होंने अब स्वीकार कर लिया है।

सरकार की अपेक्षानुसार हम इसके साथ कार्य योजना निहित रिपोर्ट की प्रतिलिपि भेज रहे हैं जिसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। आप से अनुरोध है कि कार्य योजना के 1 से 13 तक के कार्य मुद्दों के कार्यान्वयन हेतु यथोचित कार्रवाई करें। मार्च 2001 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर प्रत्येक कार्य मुद्दे के कार्यान्वयन के संबंध में की गयी कार्रवाई/प्रगति के संबंध में कृपया बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार को सूचित करते रहें। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर प्रगति रिपोर्ट बैंकिंग प्रभाग को भेजी जाती रहे और इसकी सूचना हमें भी दी जाए।

(संदर्भ : ग्राआक्रवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 40/06.02.79/2000-01 दिनांक, 12 दिसंबर 2000)

वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के बाद निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

क) आयात वित्त पर ब्याज दर अधिभार समाप्त करना

आयात वित्त पर 50 प्रतिशत का ब्याज दर अधिभार जो 26 मई 2000 से लागू है, 6 जनवरी 2001 से समाप्त किया जा रहा है।

ख) अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज दर

बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे 26 मई 2000 से अतिदेय निर्यात बिलों पर 25 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर ब्याज लगाएं। यह शर्त भी 6 जनवरी 2001 से समाप्त की जा रही है तथा बैंकों को अब से अतिदेय निर्यात बिलों पर उचित ब्याज दर का निर्णय करने की स्वतंत्रता होगी। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात की प्राप्य राशियों के **प्रत्यावर्तन** में जानबूझकर विलंब करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, वर्तमान कार्यविधियाँ लागू रहेंगी।

(संदर्भ : सं. मौनीवि. बीसी. 202/07.01.279/2000-01 दिनांक, 5 जनवरी 2001)

मौद्रिक और ऋण नीति के उपाय – वर्ष 2000–2001 की छमाही समीक्षा

कृपया ``वर्ष 2000-2001 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्याविधि समीक्षा'' के संबंध में गवर्नर महोदय का वक्तव्य देखें। उक्त वक्तव्य में व्यक्त किये गए कुछ नीतिगत उपायों के संबंध में दिशा - निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं :

1. जमा प्रमाणपत्र (सीडी) योजना

हमारे दिनांक 13 मई 1998 के परिपत्र शबैंवि.सं.प्लान.पीसीबी./परि.56/09.60.00/97-98 के अनुसार जमा प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम रूध्दता अवधि घटाकर जारी होने की तारीख से 15 दिन कर दी गयी थी। द्वितीयक बाज़ार में लचीलापन और गहनता लाने की दृष्टि से अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाणपत्रों के लिए अंतरण अवधि पर से उक्त प्रतिबंध हटा लिया जाये।

2. दण्डात्मक ब्याज लगाना

19 मई 1990 के परिपत्र शबैंवि.सं.पीसीबी.38/डीसी.एचजी.9/89-90 के साथ पठित दिनांक 20 अप्रैल 1979 के परिपत्र सं.एसीडी.प्लान.358/यूबी.1-78/79 के अनुसार बैंकों द्वारा लगाये जाने वाले समग्र / अतिरिक्त ब्याज के संबंध में बैंकों को सूचित किया गया है, जो संबंधित उधारकर्ताओं पर लागू / उनसे सामान्य रूप में वसूल की जाने वाली ब्याज दर से 2 प्रतिशत ऊपर से अधिक नहीं होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त अनुदेश जारी होने के बाद उधार राशियों और जमाराशियों पर ब्याज दरों पर पर्याप्त नियंत्रण हटा लिये गये हैं और बैंकों के निदेशक मंडलों को अपनी निधियों की लागत, **अंतर्निहित** ऋण जोखिम आदि को हिसाब में लेते हुए उधार दरों के संबंध में नीति निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है। चूंकि निदेशक मंडलों को ब्याज दर (न्यूनतम उधार दर अर्थात 13% के निर्धारण के अधीन) तय करने के लिए अधिकृत किया गया है, इसलिए यह महसूस किया जाता है कि भुगतान में चूक होने, वित्तीय विवरणी आदि प्रस्तुत न करने पर लगाये जाने वाले दंडात्मक ब्याज के संबंध में निर्णय भी प्रत्येक बैंक के निदेशक मंडल पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इससे बैंकों को और अधिक **परिचालनगत स्वायत्तता** मिलेगी। अत: यह निश्चित किया गया है कि प्राथमिक सहकारी बैंक अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से दंडात्मक ब्याज दर लगाने के लिए पारदर्शी नीति निर्धारित कर सकते हैं। यह नीति पारदर्शिता, औचित्य, ऋण की चुकौती के लिए प्रेरणा के मान्यताप्राप्त तत्वों से नियंत्रित होनी चाहिए और इसमें ग्राहकों की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

3. खुले बाज़ार में बिक्री वाली चीनी की जमानत ऋण पर मार्जिन

21 अक्तूबर 1997 के परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.13/13.03.00/97-98 के अनुसार लेवी चीनी पर न्यूनतम मार्जिन 10 प्रतिशत और खुले बाज़ार में बिक्री वाली चीनी पर 15 प्रतिशत का मार्जिन तथा बफर-स्टॉक के लिए शून्य प्रतिशत मार्जिन था। बाज़ार की परिस्थितियों की समीक्षा करने पर और मार्जिन निर्धारित करने में बैंकों को छूट देने की दृष्टि से खुले बाज़ार में बिक्री वाली चीनी पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत वर्तमान निर्धारणों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। खुले बाज़ार में बिक्री वाली चीनी के संबंध में मार्जिन अब बैंकों द्वारा उनके **व्यापारिक मूल्यांकन** के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। लेवी चीनी के स्टॉक के संबंध में 10 प्रतिशत तथा बफर-स्टॉक के संबंध में शून्य प्रतिशत के निर्धारित मार्जिन बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेंगे। इस संबंध में 10 अक्तूबर 2000 का संशोधनकारी निदेश संलग्न है और ये संशोधित अनुदेश इसकी तारीख से लागू होंगे।

(संदर्भ : शबैंवि. सं. डीएस. पीसीबी. परि.7/13.04.00/2000-01 दिनांक, 10 अक्तूबर 2000)

बैंकों का निवेश संभाग–प्रतिभूतियों में लेनदेन–दलालों की भूमिका

कृपया 24 नवंबर 1994 का हमारा परिपत्र शबैंवि. सं. आयो.पीसीबी.32/09.29.00/94-95 और 10 नवंबर 1997 का परिपत्र शबैंवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.19/09.29.00/97-98 देखें जिनके अनुसार बैंकों को आपस में अथवा बैंकेतर ग्राहकों के साथ क्रमश: राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सदस्यों के जरिये प्रतिभूतियों में लेनदेन करने की अनुमति दी गई है। अब यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को आपस में अथवा बैंकेतर ग्राहकों के साथ राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सदस्यों के अलावा स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई) के सदस्यों के जरिये भी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने की अनुमति दी जाए। यदि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया अथवा दि स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई के मार्फत प्रतिभूतियों में कोई लेनदेन नहीं किया जाता है तो बैंक दलालों का उपयोग किए बिना प्रतिभूतियों में सीधे लेनदेन करें।

2. बैंक आपस में अथवा बैंकेतर ग्राहकों के साथ स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई के सदस्यों के जरिये प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय यह सुनिश्चित करें कि निवेश संबंधी लेनदेनों के लिए दलालों को लगाने के बारे में उपर्युक्त परिपत्र के अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाता है। कृपया यह नोट

करें कि अनुदेशों का **उल्लंघन** अथवा उनके अर्थ का **निर्वचन** करनेवाले बैंकों के विरुध्द, रिज़र्व निधि को बढ़ाने, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सुविधा वापस लेने और मुद्रा बाज़ार में प्रवेश से मनाई करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों को यथालागू) के उपबंधों के अंतर्गत ऐसा कोई भी दंड लगाया जा सकता है जो रिज़र्व बैंक उचित समझे।

(संदर्भ : शबैंवि सं. आयो. पीसीबी. परि. 22/09.29.00/ 2000-2001 दिनांक, 30 दिसंबर 2000)

जमाराशियां जुटाने अथवा बैंक के उत्पादों को बेचने के लिए पारिश्रमिक/शुल्क/कमीशन के आधार पर बाहर के एजेंटों को लगाना

आपको विदित ही है कि 25 जून 1987 के हमारे निदेश शबैंवि.सं.डीसी.102/वी-1-86/87 के पैराग्राफ 21 (ख) के अनुसार जमाराशियों पर किसी भी प्रकार की दलाली किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अदा करने पर बैंकों पर निषेध है। उसका पुनरूच्चार हमारे दिनांक 15 फरवरी 1996 के परिपत्र शबैंवि. सं. डीएस.परि. (पीसीबी) 43. 13.01.00/95-96 में किया गया था।

2. हमारी जानकारी में यह बात आयी है कि कुछ बैंकों ने जमाराशियाँ जुटाने के लिए कतिपय कंपनियों के माध्यम से करार करके बिक्री एजेंटों की सीधे नियुक्ति की है। इन एजेंटों को अनेक प्रकार के कार्य भी सौंपे गये हैं, जैसे कि नये आवेदन पत्र प्राप्त करना, फोटोग्राफ, भरे गये फार्मों को एकत्र करना और निवास के प्रमाण, गवाही, नोटोरी कार्य आदि के सहित खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करना।

3. हमने इस मामले की जांच की है और यह सूचित किया जाता है कि अनिवासी जमाराशियों सहित जमाराशियां जुटाने अथवा जमाराशि से संबध्द अपने अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए किसी भी रूप में या किसी भी ढंग से शुल्क/ कमीशन अदा करके फर्मों/कंपनियों के माध्यम से भी किन्हीं बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त करना/काम पर लगाना, बैंकों के लिए उचित नहीं है। केवल ऊपर पैराग्राफ 1 में बताये गये हमारे 25 जून 1987 के निदेश के पैराग्राफ 21 के खंड (ख) के उप खंड (i) और (ii) में बताये गये कार्य अपवाद होंगे, जैसा कि घरेलू जमाराशियों पर लागू है।

4. तदनुसार, 3 जनवरी 2001 का संशोधनकारी निदेश शबैंवि. सं. डीएस. डीआइआर. 3/13.01.00/ 2000-01 संलग्न है।

(संदर्भ : शबैंवि. सं. डीएस. (पीसीबी)परि. 19/13.01.00/ 2000-2001 दिनांक, 03 जनवरी 2001)

बैंक शाखाओं द्वारा गंदे नोटों को स्वीकार ना किया जाना

हमारे ध्यान में यह बात आयी है कि हमारे स्पष्ट निदेशों के बावजूद बैंक शाखाएं ग्राहकों तथा जनता से गंदे नोट स्वीकार नहीं करती हैं। इसके अलावा, जनता से यह भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्राहकों को चेक इत्यादि के लिए दिए जानेवाले भुगतान के नोट पैकेटों में गंदे/कटे नोट मिलाकर देने की प्रवृत्ति है।

आप सहमत ही होंगे कि ऐसी परिपाटी बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के विपरीत है और फिर चारों तरफ से इसकी आलोचना का आधार बनेगा।

इसलिए, आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आप अपने नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं को यह अनुदेश जारी करें कि वे जनता से गंदे/कटे फटे नोट स्वीकार करने, फिर से जारी किए जा सकने वाले और जारी ना किए जा सकने वाले नोटों को अलग करने और जनता को साफ-सुथरे नोट जारी करने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के विनिदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में हमें यथासमय सूचित करें।

(संदर्भ : मुप्रवि. सं. जी.15/09.11.00/2000-2001 दिनांक, 11 अक्तूबर 2000)

खज़ाने का प्रेषण – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा तिजोरियों को भेजे गए नये/पुनर्निर्गमनीय नोटों को स्वीकार करना – बैंक प्रतिनिधियों को कार्यमुक्त करने में देरी

हमारे द्वारा **विप्रेषणों** की अग्रिम सूचना और समय-समय पर जारी अनुदेशों के बावजूद यह पाया गया है कि मुद्रा तिजोरिवाली बैंकों की कुछ शाखाएं विप्रेषणों के प्राप्त होते ही नए/पुनः जारी किए जा सकने वाले नोटों के परीक्षण की व्यवस्था नहीं करती हैं, जिससे विप्रेषण के साथ गए रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि (यों) को अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि तक रुकना पडता है।

2. चूंकि इस समय मुद्रा तिजोरिवाली लगभग सभी शाखाओं में नोट गिननेवाली मशीने (एनसीएम) लगी हुई हैं, हमें ऐसा कोई उचित कारण नजर नहीं आता कि नोटों के परीक्षण और परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों को कार्यमुक्त करने में अनावश्यक देरी लगे जिस के कारण श्रम का अपव्यय, समय की बरबादी और अनावश्यक खर्चा तो होता ही है, दूसरे मुद्रा तिजोरियों को विप्रेषण भेजने के लिए हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यक्रम भी गड़बड़ हो जाता है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुद्रा तिजोरिवाली

अपनी सभी शाखाओं को अनुदेश दें कि वे यह सुनिश्चित करें कि हमारे कार्यालयों द्वारा किए गए विप्रेषणों को अविलम्ब स्वीकार कर हमारे प्रतिनिधियों को यथोचित समयसीमा में कार्यमुक्त करें।

4. कृपया इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से हमें अवगत कराएँ।

(संदर्भ : डीसीएम. आरएमएमटी सीआयआर. जी 19/11.65.01/2000-01 दिनांक, 8 नवंबर 2000)

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश

मुद्रा बाज़ार को विकसित करने के प्रयासों के अंग के रूप में, निवेशकों को एक अतिरिक्त वित्तीय लिखत उपलब्ध कराने और उच्च रेटिंग वाले कंपनी-उधारकर्ताओं को उनके अल्पावधिक उधारों के स्रोतों के विविधीकरण को सुगम बनाने की दृष्टि से भारत में 1990 में वाणिज्यिक पत्र शुरू किया गया। जैसा कि आप को ज्ञात होगा, कंपनियों, प्राथमिक व्यापारियों और अनुषंगी व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी किए जाने से संबंधित दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्रमशः (i) दिनांक 11 दिसंबर 1989 की अधिसूचना सं.आईईसीडी.1/87 (सीपी)-89/90, (ii) दिनांक 6 सितंबर 1996 की अधिसूचना सं.आईईसीडी. 14/08.15.01/97-98 और (iii) दिनांक 17 जून 1998 की अधिसूचना सं.आईईसीडी. 21/08.15.01/97-98 द्वारा जारी किए गए थे तथा समय-समय पर उनमें संशोधन भी किए गए थे।

2. जैसा कि वर्ष 2000-2001 की मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी वक्तव्य में बताया गया है, वित्तीय बाज़ार की विभिन्न गतिविधियों के साथ तादात्म्य बनाए रखने के लिए, एक आंतरिक दल ने वाणिज्यिक पत्र निर्गत करने संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और उक्त दल की अनुशंसाओं को दृष्टिगत रखते हुए इन दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निश्चय किया गया है।

3. वाणिज्यिक पत्र निर्गत करने से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश जनता के विचार जानने के लिए 6 जुलाई 2000 को जारी किए गए थे। वर्ष 2000-2001 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधिक समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार, भागीदारों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न है।

4. चूँकि इस विषय पर पहले जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों/निर्देशों का अधिक्रमण करके ये नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, इसलिए बैंकों से अनुरोध है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग तथा औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग) द्वारा जारी की गई अनुदेश-पुस्तक के पैराग्राफ 13.बी.1.8 की जगह इन नए अनुदेशों का प्रयोग किया जाए।

(संदर्भ : सं.औनिऋवि. 3/08.15.01/2000-2001 दिनांक, 10 अक्तूबर 2000)

हीरे के निर्यातकों को दिए गए ऋण– कॉनफ्लिक्ट डायमंड के आयात पर रोक

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13 जुलाई 2000 का हमारा परिपत्र औनिऋवि.सं.1/04.02.02/2000-2001 देखें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकल्प सं. 1306 (2000) द्वारा सियेरा लियोन से सभी प्रकार के अपरिष्कृत हीरों के प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष आयात पर भी **प्रतिबंध** लगा दिया है। तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि बैंक उन ग्राहकों से, संलग्न संशोधित फॉर्मेट में **वचन-पत्र** प्राप्त करें जिन्हें हीरे से संबंधित किसी भी तरह का कारोबार करने के लिए ऋण दिया जाए।

2. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि हीरा उद्योग के जिन ग्राहकों से संशोधित फॉर्मेट में वचन-पत्र प्राप्त किया जाए, उनका विवरण (नाम व पता) हमें 31 दिसम्बर 2000 तक भेज दें। भविष्य में उस विवरण में होने वाले संशोधनों की सूचना हमें हर छः महीने पर, जून और दिसम्बर के अंत की स्थिति दर्शाते हुए, भेजी जाए।

3. आप से यह अनुरोध भी है कि आप लगाए गए प्रतिबंधों के कथित उल्लंघनों से संबंधित सूचना का विवरण भी हमें संबंधित छमाही समाप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर अवश्य भेज दें। अगर इस संबंध में भेजे जाने योग्य कोई सूचना न हो तो कृपया `शून्य' विवरण अवश्य भेजें। ऐसा पहला विवरण दिसम्बर 2000 को समाप्त अवधि से संबंधित होना चाहिए।

(संदर्भ : औनिऋवि.सं. 7/04.02.02/2000-2001 दिनांक, 5 दिसम्बर 2000)

धोखाधड़ियां–निवारक उपाय

उक्त विषय पर `बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के अप्रैल-जून 2000 अंक में `महत्वपूर्ण परिपत्र' के अंतर्गत परिपत्र डीबीएस सं. एजीवी. बीसी. 20/23.04.001/99-2000, दिनांक 4 दिसंबर 1999 को देखें। उसके साथ संलग्न परिशिष्ट I की सामग्री विषय के महत्व को देखते हुए प्रस्तुत है :

अतिरिक्त सिफारिशें

खाता खोलने संबंधी क्रियाविधि और औपचारिकताएं –

जमा खाते खोलते समय बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ग्राहकों से आग्रह करके उनसे उनका फोटोग्राफ माँगें

और किसी वर्तमान ग्राहक द्वारा परिचय कराये जाने के लिए कहें। यह पाया गया है कि कई मामलों में बैंकों ने पुराने फोटो स्वीकार कर लिये हैं और बैंक स्टाफ/ग्राहकों द्वारा चलताऊ ढंग से परिचय कराये जाने की रस्म निभा दी है। यह भी पाया गया है कि बैंक इस बात पर जोर नहीं देते कि ग्राहक अन्य बैंकों में अपने खातों के (पिछले और वर्तमान) ब्यौरे दें। कई मामलों में तो ऐसा भी हुआ है कि ग्राहक बैंक में आये ही नहीं हैं। बैंकों से अनुरोध है कि वे मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करने के अलावा निम्नलिखित उपाय करें ताकि जमा खातों के क्षेत्र में धोखाधड़ियों की रोकथाम की जा सके।

i) ग्राहक की फोटो हाल ही की होनी चाहिए।

ii) आम तौर पर बैंक अधिकारियों और ग्राहक के बीच मुलाकात के बिना खाता नहीं खोला जाना चाहिए।

iii) बैंक को चाहिए कि वह ग्राहक और उसके परिचयदाता, दोनों को डाक से एक पत्र भेजे और खाता खोलने/परिचय देने की पुष्टि के लिए कहे। दोनों से पुष्टि प्राप्त हो जाने के बाद ही चेकबुक जारी की जाये।

iv) खाता रखने का प्रयोजन, पार्टी का पीएएन, पिछले बैंक खाते के ब्यौरे तथा संभावित राशि, किये जाने वाले लेनदेन के प्रकार आदि को खाता खोलने पर फॉर्म में ही शामिल कर लिया जाना चाहिए।

v) यदि ग्राहक को जमाराशियां, मान लीजिये, वेतन के रूप में प्राप्त होती हैं और वह सरकारी/अर्धसरकारी एजेंसियों/व्यक्तियों को चेक द्वारा भुगतान करेगा तो फोटोग्राफ के साथ साधारण परिचय काफी होगा। लेकिन ऐसे खातों के मामले में, जिन्हें परेषण राशियों के लेनदेन के लिए और बड़ी बड़ी राशियों के चेक वसूल करने के लिए प्रयोग में लाया जायेगा, वहां बैंक की ओर से गहराई से जाँच पड़ताल करने की जरूरत होगी।

vi) एक छोटी सी अवधि, उदाहरण के लिए तीन महीने तक खाते पर निगाह रखने के बाद निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

बैंक गारंटियां/ऋणपत्र जारी करना

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे अपने ग्राहकों को ऋणपत्र जारी करते समय रक्षोपाय करें और वे ग्राहक की वास्तविक जरूरतों, विश्वसनीयता और देय तारीखों के बिलों को भुनाने के लिए निधियों के स्रोत के बारे में सुनिश्चित करें। जहां तक बैंक गारंटियों का प्रश्न है, बैंकों को इसी तरह से सूचित किया गया है कि वे अन्य बैंकों के पास से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करने से बचें। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पादन/वित्तीय गारंटियां जारी करने से पहले ग्राहकों की योग्यता, अनुभव क्षमता तथा वित्तीय साधनों के बारे में निर्णय लें। यह आवश्यकता इस संबंध में सुझाये गये, जारी करने से पूर्व अपनाये जाने वाले कई अन्य रक्षोपायों के अलावा है। गैर-निधि आधारित सुविधाओं का लाभ उठा रहे उधारकर्ताओं की गहराई से छानबीन की महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह सुझाव दिया जाता है कि बैंक ऐसे ऋण खातों के संबंध में अपने शाखा स्टाफ के लिए अवश्य ही स्पष्ट अनुदेश तैयार कर लें जहां बैंक की ऋणपत्रों के अन्तर्गत आने वाले बिलों की सुपुर्दगी के कारण अथवा बैंक द्वारा जारी गारंटियों के लागू होने के कारण इस तरह की गैर-निधिक सुविधाएं, निधिक सुविधाएं बन गयी हैं। कई बार, इस पहलू पर यथोचित ध्यान नहीं दिया जाता और अक्सर परिणाम यह होता है कि ऐसे माल के लिए अदायगी करनी पड़ती है जो वास्तव में कभी मौजूद ही नहीं था। अतएव, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए अवश्य ही विधिवत दिशा निर्देश जारी करें कि ऐसे खातों पर, जहां गैर-निधिक सीमाएं निधिक बन गयी हैं, की गहराई से निगरानी रखी जा सके और सुपुर्द किये गये बिलों के अन्तर्गत आने वाला माल बैंक के नियंत्रण/दृष्टिबंधन में रहे। यह बात खास तौर पर ऐसे मामलों में ध्यान में रखी जाये जहां बेईमानी की आशंका हो। आयात ऋणपत्रों के अन्तर्गत आने वाले माल के मामलों में बैंकों को अवश्य ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बिल ऑफ एन्ट्री की ग्राहक की प्रति तत्काल प्रस्तुत की जाती है। वे विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में सुझाये गये उपाय भी करें।

निधियों को अन्यत्र उपयोग में लाने से रोकने के लिए उपाय

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वे यह देखें कि नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों से आहरण केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किये जाते हैं जिनके लिए ऋण सुविधाएं मंजूर की गयी हैं। कार्यशील पूंजी के लिए दिए गए वित्त को अचल आस्तियों, सहयोगी कार्यालयों में निवेश करने तथा शेयर, डिबेंचर आदि खरीदने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। बैंक के आन्तरिक दिशानिर्देशों में आमतौर पर यह पहलू शामिल रहता है, लेकिन वास्तविकता में, बैंकों द्वारा खातों में परिचालनों की कारगर ढंग से निगरानी नहीं की जाती है। अतः गहराई से निगरानी पर जोर दिये जाने की जरूरत होगी।

बैंक द्वारा कार्पोरेट समूहों/निकायों को ऋण देना तथा अदायगियों में चूक अथवा कार्पोरेट समूहों से संबंधित किसी अन्य फर्म की अनुत्पादक आस्तियां

बेहतर जोखिम प्रबंध तथा ऋण जोखिम के जमाव से

बचने के लक्ष्य से विवेकशील उपाय के रूप में बैंक की पूंजीगत निधियों के सन्दर्भ में ऋण सीमाएं एकल उधारकर्ताओं के मामले में 25% तथा उधारकर्ता-समूह के मामले में 50% पर निर्धारित की गयी हैं। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सकल वचनबध्दताओं के लिए आंतरिक सीमाएं निर्धारित करें और समय-समय पर उनकी समीक्षा करें। निगम/समूह/निकायों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने से पूर्व मुख्य कम्पनी को वित्त देने वाले प्रमुख बैंकों की ऋण रिपोर्टें तथा सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए।

रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को यह सूचित करते हुए सावधानी सूचनाएं जारी की जाती हैं कि इस तरह की सूचनाओं के अन्तर्गत उल्लिखित पार्टियों तथा उनके निदेशकों/प्रोमोटरों के साथ लेनदेन करते समय सावधानी बरती जाये। बैंक इस तरह के उपाय कर सकते हैं कि ऋण मूल्यांकन फार्म में समूह-खातों की हैसियत के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इससे संबंधित उधारकर्ता को सुविधाएं मंजूर करने के लिए अभिभावी विचारों को रिकार्ड करने में सुविधा रहेगी।

ऋण प्रस्तावों/ऋण सुविधाओं की मंजूरी

वर्तमान परम्परा के अनुसार, बैंकों द्वारा प्रोसेस किये गये ऋण कागज़ातों में आमतौर पर केवल संबंधित अधिकारियों के पदनाम दिये जाते हैं। इसके अलावा, अक्सर यह देखा जाता है कि ऋण सुविधाओं की सिफारिश करने वाले और उन्हें मंजूर करने वाले अधिकारी दस्तावेजों पर सिर्फ अपने आद्यक्षर कर देते हैं। बैंक अब से यह परम्परा डालें कि ऋण पत्रों पर आद्यक्षर करने वाले सभी अधिकारियों के नाम और पदनाम भी लिखे जायें ओर उन्हें यह भी अनुदेश दिये जायें कि वे की गयी सिफारिशों से सहमत/असहमत होने के कारण दर्शायें और वे कारण भी बतायें जो मंजूरी देते समय वे सही समझते हैं।

जमाराशियों, विशेष रूप से अनिवासी जमाराशियों के खिलाफ ऋण

एफसीएनआर/एनआरई जमा खातों में खाताधारक के फर्जी हस्ताक्षर करके तथा इस तरह की जमाराशियों की जमानत पर तीसरी पार्टियों द्वारा ऋण प्राप्त करके धोखाधड़ियां होती रही हैं। यह इस कारण भी संभव हुआ कि जमाराशि की रसीदें शाखा की अपनी अभिरक्षा में थीं। इस तरह की धोखाधड़ियां अक्सर ऐसे एजेंटों द्वारा की गयीं जो उक्त जमाराशियों के लिए सिफारिश ले कर आये थे और बैंकों का वास्तविक जमाकर्ताओं से कभी आमना-सामना नहीं हुआ था। शाखा द्वारा प्राप्त किये गये सभी दस्तावेज, जिन पर वैसे तो खाताधारक के हस्ताक्षर होने चाहिए थे, बाद में फर्जी पाये गये थे। अतएव, बैंकों के लिए इस बात की जरूरत है कि वे इस क्षेत्र में धोखाधड़ियां रोकने के लिए यथोचित रक्षोपाय विकसित करें। इस तरह का एक उपाय तो यह हो सकता है कि 5.00 लाख रुपये के न्यूनतम स्तर से ऊपर की बड़ी राशिवाली जमा रसीदें ग्राहक के अनुदेश पर शाखा द्वारा रख ली जायें और उनके बारे में अनिवार्य रूप से नियंत्रक कार्यालय को बताया जाये। इनके खिलाफ तीसरी पार्टियों को ऋण, विशेष रूप से मुख्तारनामा के आधार पर ऋण नियंत्रक कार्यालय द्वारा ही अनुमोदित किये जाने चाहिए भले ही वे शाखा प्रबंधक की विवेकाधीन शक्तियों के भीतर आते हों। इसके लिए वे प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के सही होने के बारे में अपनी पूरी संतुष्टि कर लेंगे।

बैंक के अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग और उनकी रिपोर्टिंग प्रणाली

यह पाया गया है कि अक्सर बैंक अधिकारी अपनी विवेकाधीन शक्तियों से या मंजूर सीमाओं से अधिक की ऋण सुविधाओं की अनुमति दे देते हैं। इसके अलावा, किये गये अधिक आहरणों के बारे में अक्सर नियंत्रक कार्यालयों को भी नहीं बताया गया। कई मामलों में नियंत्रक कार्यालयों को अधिक आहरणों की रिपोर्ट भले ही मिल गयी हो, वे कोई भी कार्रवाई करने में असफल रहे। इस तरह इस क्षेत्र में ढिलाई चल रही है और बैंकों को समय-समय पर सूचित किया गया है कि वे अपनी रिपोर्टिंग प्रणाली को चुस्त-दुरस्त बनायें और रिपोर्ट न करने या देरी से रिपोर्ट करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेवार ठहरायें। नियंत्रक कार्यालय प्राप्त होने वाली विवरणियों की बारीकी से छानबीन करें और देखें कि तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। अनुदेशों का पालन न करने वाले चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने की जरूरत है।

शुरुआती चेतावनी देने की प्रणाली विकसित करना (बड़े उधार खातों के मूल्यांकन के लिए)

बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों में से निकाली गयी राशियां केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जायें जिनके लिए सुविधाएं मंजूर की गयी थीं और उन्हें अचल आस्तियां जुटाने या किसी अन्य अनधिकृत प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों की यह प्राथमिक जिम्मेवारी है कि वे सतर्क रहें और यह यथोचित रूप से विकसित की गयी मशीनरी के जरिये निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करें। यह पाया गया है कि बैंकों द्वारा सूचित किये गये धोखाधड़ियों के बड़े-बड़े मामलों में कारण यह रहा कि संबंधित उधार खातों की निगरानी में ढील बरती गयी। अतएव यह आवश्यक है कि अब बैंक शुरुआती चेतावनी देने की प्रणाली विकसित करें ताकि बाज़ार आसूचना मिल

सके और इससे उन्हें विश्लेषण करने पर ऐसे उधारकर्ताओं का पता लगाने में मदद मिलेगी जो बैंक निधियों को इधर-उधर लगाने के कारण या प्रतिकूल बाज़ार प्रवृत्तियों के कारण समस्या मूलक बन सकते हैं।

महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अभिरक्षा के लिए उपाय

बैंकों को चाहिए कि वे विधिवत रिकार्ड रखने, दोहरा नियंत्रण रखने, आवधिक तुलन/सत्यापन, नियंत्रण विवरणियां भेजना आदि जैसे सामान्य रक्षोपाय अपनायें और उनका पालन सुनिश्चित करें। बिना भरे डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश तथा डाक अंतरण फार्म आदि सुरक्षा मदों के रूप में माने जाने चाहिए और शाखाओं को इस बात के पर्याप्त रक्षोपाय करने चाहिए कि इनकी चोरी-चकारी न हो। इन चीजों को संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए और रोजाना इनका हिसाब किताब मिला लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किये जाने की भी जरूरत है कि सुरक्षा मदों, जैसे न भरे गये चेकों, ड्राफ्टों, मीयादी जमा रसीदों, भुगतान आदेश पुस्तिकाओं और साथ ही खाता खोलने वाले फार्मों, नमूना हस्ताक्षर कार्डों/पुस्तिकाओं, लूज लेजर शीटों, आदि तक किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच न हो। इसी तरह, लेजर तथा खातों की अन्य पुस्तकों, वाउचर बंडलों और स्टेशनरी की अन्य मदों को विधिवत स्टोर में रखा जाना चाहिए।

बिचौलिये की भूमिका

किसी भी बैंकिंग गतिविधि में बिचौलिये पर निर्भर रहना जोखिम से खाली नहीं है। धारक को देय प्रतिभूतियों के संबंध में हाल ही में जारी परिपत्र में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे धारक को देय प्रतिभूतियां (जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र आदि) का सत्यापन जारीकर्ता प्राधिकरणों से सीधे ही प्राप्त किया करें। जहां कहीं जमाराशियों की सिफारिश के लिए या ऋण परामर्शदाता के रूप में कोई व्यक्ति पाया जाये तो उनके नाम बैंक के संबंधित दस्तावेजों में नोट कर लिये जायें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके या इस तरह के मामलों में उनके लिप्त होने का पता लगाने के लिए आंकड़े जुटाये जा सकें।

प्रयुक्त शब्दावली

बट्टे खाते डालना	To write off
अनर्जक आस्तियां	Non-performing Assets
समायोजन करना	To adjust
संशोधित	Modified
मृत ग्राहक	Deceased Customer
उत्तरजीवियों	Survivors
विधिक उत्तराधिकारी	Legal heir
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र	Succession Certificate
वास्तविक अदायगी	Actual payment
अभ्यावेदन	Representation
सुरक्षात्मक उपाय	Safeguards
बेइमानी	Cheating
मुख्तारनामा	Power of Attorney
सावधानी	Caution
क्षतिपूर्ति बांड	Indemnity bond
व्यावहारिक दृष्टिकोण	Practical view
निपटान	Disposal
सन्निकट	Impending
दलाली	Brokerage
बिक्री एजेंट	Sales agent
गवाही	Witnessing
प्रतिबंध	Prohibition
अनुदान	Grant
निकाय	Body
संपार्श्विक प्रतिभूति	Collateral Security
वैयक्तिक ऋण	Individual loan
दृष्टिबंधक	Hypothecated
बंधक	Mortgaged
गिरवी	Pledged
लघुतर	Tiny
कार्य योजना	Action plan
अधिभार	Surcharge
अतिदेय	Overdue
प्रत्यावर्तन	Repatriation
जमा प्रमाणपत्र	Certificate of Deposit
अंतर्निहित	Underlying
परिचालनगत स्वायत्तता	Operational Autonomy
व्यापारिक मूल्यांकन	Commercial Judgement
उल्लंघन	Violation
निर्वचन	Circumvention
गंदे नोट	Soiled notes
पुनर्निर्गमनीय नोट	Reissuable note
विप्रेषण	Remittance
रोक	Embargo
प्रतिबंध	Prohibition
वचन-पत्र	Undertaking

लेखकों से

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' बैंकिंग विषयों को समर्पित एकमात्र पत्रिका है जिसकी प्रतियाँ बैंकों की शाखाओं, कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विभागों आदि को उपलब्ध करायी जाती हैं। इस प्रकार यह पत्रिका समूचे बैंकिंग क्षेत्र में पाठकों के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा पढ़ी जाती है।

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखनेवाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर सांकेतिक मानदेय देने की व्यवस्था है। ***कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :-***

- सामग्री ***बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों*** पर ही है।
- उसमें दी गयी जानकारी ***उपयोगी*** और ***अद्यतन*** है एवं ***अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों*** में है।
- वह कागज के ***एक ओर*** स्पष्ट अक्षरों में ***लिखित*** अथवा ***टंकित*** है।
- यथासंभव ***सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली*** का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख ***मौलिक है***, प्रकाशन के लिए ***अन्यत्र नहीं भेजा गया है*** और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल ***आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत*** का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि ***जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती***, संबंधित लेख किसी ***अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए***।

पाठकों से

- इस पत्रिका के वर्ष में चार अंक निकलते हैं।
- वर्तमान ग्राहक वर्ष 2000-2001 में प्रत्येक अंक की कीमत रु. 15/- (रुपये पंद्रह मात्र) और वार्षिक अभिदान रु. 60/- (रुपये साठ मात्र) है।
- उक्त राशि आप हमें भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम मुंबई में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट से निम्न पते पर भेज सकते हैं : प्राचार्य, बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रकाशन कक्ष, वीर सावरकर मार्ग, दादर, मुंबई 400 028।
- ये अंक जारी होने पर आपको बुक-पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे।
- हमारे पुराने अंक संकलित रूप में उपलब्ध नहीं हैं।
- पिछले अंकों में जुलाई-सितंबर 95 से जुलाई-सितंबर 98 तक की हर तिमाही के अंक उपलब्ध हैं। इनकी कीमत प्रति अंक रु. 7.50 है। केवल जुलाई-सितंबर 97 के संयुक्तांक की कीमत रु. 15/- है।
- अक्तूबर-दिसंबर 98 से अब तक के अंकों की कीमत प्रति अंक रु. 15/- है।
- कृपया आप पत्रिका के जो अंक खरीदना चाहते हैं उनके मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में मुंबई में देय मांग ड्राफ्ट द्वारा भेज दें ताकि हम आपको पत्रिका प्रेषित कर सकें।

बीमा और बैंकिंग : परस्पर व्याप्ति के मुद्दे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट -1999-2000 नवम्बर 15, 2000 को जारी की।

भारत में बीमा क्षेत्र के उत्तरोत्तर प्रसार का बैंकिंग उद्योग के लिए कुछ निहितार्थ है। बैंकिंग और बीमा कारोबार में परस्पर व्याप्ति का निहितार्थ यह है कि दोनों प्रतियोगी हो सकते हैं और इसलिए एक दूसरे के स्थानापन्न हो सकते हैं, तो दूसरी ओर वे एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं।

बैंक बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों और छोटे उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय सेवाओं के मुख्य प्रबंधक हैं। भौगोलिक विस्तार और ग्राहकों तक पहुँच के कारण बैंक बीमा उत्पादों के वितरण के आदर्श माध्यम हैं। चूँकि बैंकिंग सेवाएँ, बीमा बिक्री और निधि प्रबन्ध परस्पर जुड़ी गतिविधियाँ हैं और परस्पर मिलकर इनका प्रभाव और बढ़ जाता है, अत: बैंकों द्वारा बीमा बिक्री बैंकों और बीमा कम्पनियों दोनों के लिए लाभदायक होगी। यूरोप में बैंकिंग और बीमा की सहक्रिया से बैंकएस्यूरेंस नाम की एक नई धारणा सामने आयी है। `अलफिनैंज' के भी नाम से ज्ञात `बैंकएस्यूरेंस' की परिभाषा वित्तीय सेवाओं के ऐसे समूह के रूप में की जा सकती है जो एक ही समय पर बैंकिंग और बीमा दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। उदाहरण के लिए वित्तीय सेवा कम्पनियाँ वित्तीय उत्पाद की पूरी श्रेणी उपलब्ध कराती हैं, जिसमें बैंकिंग सेवा, मोटर बीमा, गृह वित्त, जीवन बीमा और पेंशन शामिल हैं।

अनेक यूरोपीय बाजारों में बैंकएस्यूरेंस चल रहा है। फ्रांस में 50 प्रतिशत से भी अधिक जीवन बीमा बैंकों के माध्यम से बेचा जा रहा है। ब्रिटेन में अनेक बैंक बीमाकर्ता के साथ उत्पाद प्रबंधक की हैसियत से कारोबार करते हैं। अमेरिका में बैंक बीमाकर्ताओं को पट्टे पर स्थान उपलब्ध कराते हैं और बहुविध बीमाकर्ताओं के उत्पादों की खुदरा बिक्री करते हैं। भारत में भी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड धारकों को, अपने उत्पाद के मूल्यवर्धन के लिए, व्यक्तिगत दुर्घटना और असबाब बीमा बेच रहे हैं।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग और बीमा का सहयोग अनेक साधनों से संभव हो रहा है। ड्यूश बैंक और क्रेडिट एग्रिकोल जैसे बैंकों ने अपनी बीमा कम्पनी खोलकर बीमा बाजार में प्रवेश किया है। एसई बैंकेन (स्वीडन) और लॉयड्स बैंक की तरह अन्य बैंकों ने पहले से विद्यमान बीमा कम्पनियों में `स्टेक' खरीदने का विकल्प चुना है। बैंकों के एक तीसरे समूह ने बीमा कम्पनियों के साथ शेयर बदलने का रास्ता चुना है, तो कुछ बैंकों ने बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विलयन का सहारा लिया है।

इस दिशा में केवल एकतरफा पहल नहीं हुई है। बीमा कम्पनियों ने भी कुछ बैंकों में `स्टेक' अर्जित करने का प्रयास किया है।

भारत में बैंकएस्यूरेंस की धारणा को मान्यता दी गयी है तथा सार्वभौमिक बैंकिंग की व्यापक परिसीमा में इसे शामिल किया गया है। चर्चा पत्र (भारतीय रिज़र्व बैंक 1999) में यह बताया गया है कि सामान्य रूप से `सार्वभौमिक बैंकिंग' शब्द का अर्थ वाणिज्यिक बैंकिंग और निवेश बैंकिंग का मिश्रण है। दूसरे शब्दों में `सार्वभौमिक बैंक' शब्द का आशय उन बैंकों से है जो अत्यन्त व्यापक श्रेणी की वित्तीय सेवाएँ देते हैं, जो वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग से भी परे जाती हैं । उदाहरण के लिए बीमा।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बीमा बाजार में प्रवेश की अनुमति देते हुए अप्रैल 2000 में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये, जिनमें वाणिज्य बैंकों और बीमा कम्पनियों के बीच के संबंध के परस्पर लाभदायक पहलू पर जोर दिया गया है। बीमा विनियमन संबंधी परामर्शी समूह (अध्यक्ष : श्री आ. रामकृष्णन) ने सितम्बर 2000 में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय मानक और संहिता संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कारोबार फैलाने में सहकारी ऋण संस्थाओं की सम्भावित भावी भूमिका की चर्चा की है। इसी प्रकार सहकारी ऋण प्रणाली का अध्ययन करने तथा उसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाने के लिए गठित टास्क फोर्स (अध्यक्ष : श्री जे.कपूर) की सिफारिशों में भी बीमा उत्पाद के वितरण को उनके कार्यों में ऐसा एक कार्य माना है जिनमें सहकारी बैंक अपने संविभागों को विशाखीकृत करते हुए कर सकते हैं।

रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार बैंक बीमा कारोबार विभागीय रूप से नहीं कर सकते । वे अलग से पूंजीकृत सहायक संस्था भी स्थापित नहीं कर सकते। बैंक और बीमा संस्था के बीच समुचित दूरी होनी चाहिए, ताकि बीमा कारोबार में अन्तर्निहित जोखिम बैंक के तुलनपत्र को विरूपित न करे। दूसरा, मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ऐसे बैंक, जो संयुक्त उद्यम कम्पनियों की स्थापना कर `हामीदारी' या मुख्य कार्य कर सकते हैं और ऐसे बैंक जो केवल बीमा उत्पादों का वितरण करते हैं, अर्थात, एजेंसी कार्य करते हैं - के बीच फर्क किया गया है, तीसरा, बीमा कम्पनियाँ एजेन्सी मार्ग के माध्यम से भारत में वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के व्यापक नेटवर्क का फायदा उठायेंगी तथा बैंकों को भी शुल्क आय कमाने का मौका मिलेगा।

जब बैंक संयुक्त उद्यम कम्पनियों की स्थापना कर बीमा कारोबार में प्रवेश करेंगे तब विनियामक परस्पर व्याप्ति का मुद्दा भी सामने आयेगा । मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस प्रकार की चिन्ता को दूर करने का प्रयास किया गया है । किसी कम्पनी में किसी प्रवर्तक बैंक द्वारा ईक्विटी की धारिता या बीमा कारोबार में किसी भी प्रकार की प्रतिभागिता केन्द्र सरकार/आइआरडीए विनियमावली के अनुपालन के अधीन होगी, जबकि बैंकों द्वारा बीमा कारोबार में प्रवेश की मामला-दर-मामला अनुमति देने का प्राधिकार रिज़र्व बैंक के पास होगा।

(स्रोत : रिज़र्व बैंक न्यूज़ लेटर के 15 नवंबर 2000 अंक से साभार)

इस अंक के लिए संपादक मंडल की बैठक दिनांक 12 जनवरी 2001 को संपन्न हुई । इसमें महाविद्यालय से सम्बद्ध संकाय सदस्य सर्वश्री अमरेन्द्र मोहन, शरदकुमार, डी. जी. काले और एस. मौर्य का योगदान रहा और राजभाषा कक्ष से सम्बद्ध सावित्री सिंह, स्मिता आपटे, गौरी करंदीकर, एम. वी. चांदनानी और रुपाली आंबेकर का सहयोग प्राप्त हुआ । बैं प्र म का फैक्स नंबर 4303882

पंजीकरण सं. 470 43/88

जितना अच्छा कर सकते हैं करें
जितने तरीकों से कर सकते हैं करें
जितनी जगहों में कर सकते हैं करें
सभी समयों में जितना कर सकते हैं करें
जितने लोगों के लिए कर सकते हैं करें
जब तक करते रह सकते हैं करें

—जॉन वेस्ली